



The Bhatkhande Sanskriti Vishwavidyalaya Act, 2022

Act No. 02 of 2022

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 3 जून, 2022
ज्येष्ठ 13, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग-1

संख्या 296/79-वि-1-2022-1-क-1-2022
लखनऊ, 3 जून, 2022

अधिसूचना
विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 जिससे संस्कृति अनुभाग प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 3 जून, 2022 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2022 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2022
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2022)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य में विद्यमान भातखण्डे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय, लखनऊ का उच्चीकरण तथा पुनर्गठन करने की दृष्टि से अध्यापन, अनुसंधान एवं विस्तारण विश्वविद्यालय स्थापित तथा निगमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-एक

प्रारंभिक

1-(1) यह अधिनियम भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2022 कहा संक्षिप्त नाम
जायेगा। और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 6 जनवरी, 2022 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएँ

2—जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,—

(क) "विद्या परिषद" का तात्पर्य धारा 22 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की विद्या परिषद से है;

(ख) सम्बद्ध महाविद्यालय का तात्पर्य इस अधिनियम और विश्वविद्यालय की परिनियमावली के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी संस्था से है;

(ग) स्वायत्त महाविद्यालय का तात्पर्य धारा 40 के उपबन्धों के अनुसार इस रूप में घोषित किसी सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से है;

(घ) कुलाधिपति" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति से है;

(ङ.) घटक महाविद्यालय का तात्पर्य ऐसी किसी संस्था से है जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित तथा परिनियमावली द्वारा इस रूप में नामित है;

(च) संस्थान के सम्बन्ध में निदेशक का तात्पर्य ऐसी संस्था के प्रमुख से है;

(छ) कार्य परिषद" का तात्पर्य धारा 19 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की कार्य परिषद से है;

(ज) "विद्यमान विश्वविद्यालय" का तात्पर्य भातखंडे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय से है;

(झ) संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;

(ञ) फाउण्डेशन कोर्स का तात्पर्य स्वयं के सम्बन्ध में और सामाजिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक वातावरण के सम्बन्ध में अधिकाधिक जागरूकता के पाठ्यक्रम से है;

(ट) हॉल" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त विद्यार्थियों की आवास इकाई से है, जिसमें अनुशिक्षण तथा अन्य अनुपूरक अनुदेशों हेतु उपबन्ध किया जाता है;

(ठ) छात्रावास" का तात्पर्य किसी हॉल से भिन्न विश्वविद्यालय द्वारा आरक्षित या मान्यता प्राप्त छात्रों की आवास इकाई से है और किसी सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय का छात्रावास का तात्पर्य उस महाविद्यालय के छात्रों के लिए किसी निवास इकाई से है;

(ड) "संस्थान" का तात्पर्य धारा 41 के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किसी संस्थान से है;

(ढ) किसी सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के सम्बन्ध में "प्रबन्ध तंत्र" का तात्पर्य प्रबन्ध समिति या ऐसे अन्य निकाय से है जो उस महाविद्यालय के मामलों का प्रबन्ध करने हेतु प्रभारित हो और विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में मान्यता प्राप्त हो;

(ण) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" के वही अर्थ होंगे जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 में है;

(त) "विहित" का तात्पर्य परिनियमावली द्वारा विहित से है;

(थ) किसी सम्बद्ध, मान्यता प्राप्त या संघटक महाविद्यालय के सम्बन्ध में "प्राचार्य" का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय के प्रधान से है, जिसमें प्राचार्य के रूप में कार्य करने हेतु तत्समय सम्यक रूप से नियुक्त व्यक्ति और प्राचार्य या कार्यवाहक प्राचार्य की अनुपस्थिति में इस रूप में सम्यक रूप से नियुक्त उप प्राचार्य सम्मिलित है;

(द) कुलसचिव" का तात्पर्य धारा 14 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के कुल सचिव से है;

(ध) "मान्यता प्राप्त महाविद्यालय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त और इस अधिनियम तथा विश्वविद्यालय की परिनियमावली के उपबन्धों के अधीन विश्वविद्यालय की उपाधि में प्रवेश के लिए आवश्यक अध्यापन का उपबन्धन करने के लिए प्राधिकृत किसी संस्था से है;

(न) सचिव" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शासन के सम्बन्धित विभाग के यथास्थिति अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव से है;

(प) स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम" का तात्पर्य ऐसे किसी पाठ्यक्रम से है, जिसके सम्बन्ध में समस्त वित्तीय दायित्वों का वहन किसी मान्यता प्राप्त या सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्ध तन्त्र द्वारा या विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा;

(फ) "राज्य के ज्येष्ठ अधिकारियों" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में तैनात उत्तर प्रदेश के प्रान्तीय सेवा के अधिकारियों से है;

(ब) परिनियमावली", "अध्यादेश" और "विनियमावली" का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय की परिनियमावली, अध्यादेश और विनियमावली से है;

(भ) "अध्यापक" का तात्पर्य विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय के किसी संघटक महाविद्यालय या सम्बद्ध महाविद्यालय या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या संस्थान में अनुदेश प्रदान करने वाले या शोध हेतु मार्गदर्शन करने वाले आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य या परिनियमावली द्वारा अध्यापक घोषित किये जाने वाले अन्य व्यक्तियों से है;

(म) विश्वविद्यालय का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय से है;

(य) कुलपति" और "प्रतिकुलपति" का तात्पर्य क्रमशः धारा 11 और 13 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रति कुलपति से है।

अध्याय—दो विश्वविद्यालय

3—(1) ऐसे दिनांक से, जो राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे, उत्तर प्रदेश राज्य में "भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय" के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

विश्वविद्यालय
की स्थापना
और निगमन

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से भातखण्डे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय इस रूप में कार्य करने से प्रविरत हो जायेगा और उक्त सम विश्वविद्यालय की समस्त आस्तियां तथा देनदारियां विश्वविद्यालय को अन्तरित हुई मानी जायेंगी।

(3) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा। कुलाधिपति, कुलपति और कार्य परिषद तथा विद्या परिषद के सदस्यों, जो तत्समय विश्वविद्यालय में इस रूप में पद धारण कर रहे हों, से उक्त निगमित निकाय गठित होगी।

(4) विश्वविद्यालय का मुख्यालय लखनऊ में होगा।

(5) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुहर होगी और वह अपने नाम से वाद लायेगा और उस पर वाद चलाया जाएगा।

(6) उपधारा (1) के अधीन स्थापित होने वाले विश्वविद्यालय के संबंध में :-

(क) राज्य सरकार उक्त विश्वविद्यालय के अंतरिम अधिकारियों की नियुक्ति करेगी और ऐसे विश्वविद्यालय के अंतरिम प्राधिकरणों का गठन इस तरह से करेगी जो वह ठीक समझे;

(ख) नियुक्त अधिकारी और खंड (क) के अधीन गठित प्राधिकरणों के सदस्य तब तक पद धारण करेंगे जब तक कि अधिकारियों की नियुक्ति या खंड (ग) के अनुसार प्राधिकरणों का गठन नहीं हो जाता है या ऐसे अन्य पूर्ववर्ती दिनांक तक पद धारण करेंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाय :

परन्तु यह कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे प्राधिकरणों के सदस्यों की अवधि को अनधिक एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।

(ग) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसे विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का गठन और अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए कदम उठाएगी, ताकि खण्ड (ख) के अधीन अंतरिम अधिकारियों तथा सदस्यों की संबंधित शर्तों की समाप्ति से पूर्व उसे पूरा किया जा सके।

4-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:-

(एक) भारत में संगीत, कला और संस्कृति की समस्त शाखाओं में अनुदेश और प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि संगीत, कला और संस्कृति की शिक्षा में उच्चतम मानक प्राप्त किया जा सके और इसे वृहद स्तर पर समाज में प्रसारित किया जा सके;

(दो) भारत और विदेशों में भारतीय शास्त्रीय संगीत, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ज्ञान की उन्नति और प्रसार के लिए अनुसंधान की सुविधा प्रदान करना और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत और विदेशों में विश्वविद्यालय के नए परिसर की स्थापना करना;

(तीन) समाज के विकास में योगदान करने के लिए अतिरिक्त भित्ति अध्ययन, विस्तार कार्यक्रम और फील्ड आउटरीच सम्बन्धी गतिविधियाँ करना;

(चार) शास्त्रीय संगीत की उन्नति के लिए एक ऐसी संस्था के रूप में स्वामित्व, प्रबंधन और विकास करना जो जाति, पंथ, नस्ल और धर्म, आर्थिक स्थिति या सामाजिक प्रास्थिति पर ध्यान दिये बिना सभी के लिए खुला हो;

(पाँच) मानवता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के मूल मूल्यों को धारण करने वाले सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए पूर्ण प्रतिक्रिया देने में सक्षम, और एक मजबूत चरित्र और उच्च नैतिक मानक रखने वाले व्यक्ति का संगीत सम्बन्धी बौद्धिक भावनात्मक और नैतिक एकीकरण करना;

(छः) शास्त्रीय, गायन और वाद्य प्रारूप में उत्कृष्ट संगीत शिक्षा और शास्त्रीय तथा समकालीन प्रारूपों में नृत्य शिक्षा आयोजित तथा प्रदान करना;

(सात) वर्तमान समय के अधिकाधिक संगीतपरक समाज के प्रति अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल व्यक्ति बनाने के लिए व्यावहारिक संगीत तथा संगीत शास्त्र में किसी व्यक्ति को प्रशिक्षित करना तथा उसमें संगीतात्मक प्रवृत्ति विकसित करना;

(आठ) सांस्कृतिक विरासत के अध्ययन को बढ़ावा देना और मानवीय स्पर्श करने के निमित्त संगीतात्मक पृष्ठभूमि प्रदान करना जिससे कि यांत्रिक दुनिया की कठोरता को कम किया जा सके;

(नौ) भारत के लोक संगीत और नृत्य को बढ़ावा देना, संरक्षित करना और प्रोत्साहित करना;

(दस) संगीत-विज्ञान और भारतीय शास्त्रीय संगीत, गायन, वाद्य और नृत्य की सभी तीन शाखाओं में अनुसंधान की सुविधा प्रदान करना;

(ग्यारह) टेपों, अभिलेखों, पांडुलिपियों, तस्वीरों, उपकरणों, परिधानों और आभूषणों आदि के रूप में सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय रचनाओं का संग्रह और संरक्षण करना;

(बारह) लघु अवधि और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, ग्रीष्मकालीन शिविर आदि का आयोजन और संचालन करना और भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार के संबंध में व्याख्यान देने के लिए देश और विदेश के विशेषज्ञों और शोधार्थियों को आमंत्रित करना;

(तेरह) प्रदर्शन कला, फिल्म निर्माण, दृश्य कला, पुरातत्व, संगीत विज्ञान और अभिलेखागार के क्षेत्र में रोजगारोन्मुख डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम प्रदान करना;

(चौदह) भारतीय संगीत के प्रशिक्षण और प्रचार के साथ-साथ विश्वविद्यालय के

अन्य उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए सामान्यजन और संगीत पारखी लोगों के सामने संगीत कार्यक्रमों का निर्माण, निर्देशन और प्रदर्शन करना;

(पन्द्रह) कोरियोग्राफी, स्क्रिप्ट राइटिंग, सिनेमैटोग्राफी, म्यूजिक कंपोजिशन, लिरिक्स राइटिंग, सॉन्ग रिकॉर्डिंग, म्यूजिक डिजाइनिंग, एंकरिंग, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, मेकअप, लाइट डिजाइनिंग, इंस्ट्रूमेंट मेकिंग के क्षेत्र में अध्यापन और विद्यार्जन के संबंध में विभिन्न पाठ्यक्रम आरम्भ करना और भारतीय संस्कृति पर आधारित कार्यक्रमों को बढ़ावा देना;

(सोलह) भारतीय संगीत, कला और संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय मानकों का एक शोध जर्नल प्रकाशित करना;

(सत्रह) संग्रहालय, पुरातत्व, अभिलेखागार के क्षेत्र से सम्बंधित विषय-विशेषज्ञों, प्रतिष्ठित गायकों, वादकों, नृत्य उस्तादों, चित्रकारी तथा पेन्टिंग कलाकारों को कार्यशालाओं में प्रशिक्षण देने के लिए आमंत्रित करना और संस्थान के दृश्य-श्रव्य पुस्तकालय के लिए अध्ययन सामग्री तैयार करने के अतिरिक्त उत्कृष्ट पाठ्यतर गतिविधियों का संचालन करना;

(अट्ठारह) सर्वोत्तम शास्त्रीय रचनाओं, पांडुलिपियों, तस्वीरों, उपकरणों, परिधानों, आभूषणों, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग आदि का संग्रह, मूल्यांकन और संरक्षण करना;

(उन्नीस) उत्तर प्रदेश और भारत की लोक संस्कृति के प्रदर्शन, संरक्षण और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना;

(बीस) सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय रचनाओं, पांडुलिपियों, तस्वीरों, उपकरणों, परिधानों, आभूषणों, ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग आदि का संग्रह, मूल्यांकन और संरक्षण करना;

(इक्कीस) सेमिनार एवं प्रदर्शन में सम्मिलित होने हेतु छात्रों, शिक्षकों की विदेश यात्रा सुगम बनाना, साथ ही उनके अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के माध्यम से भारत और विदेशों में सांस्कृतिक और शैक्षणिक संपर्कों को बढ़ावा देना;

(बाइस) सम्बद्धता प्रदान करना और हमारे देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों के अन्य देशों से एक ही प्रकृति के विश्वविद्यालयों, संग्रहालयों और अकादमियों के साथ एमओओयू करना;

(तेइस) वैश्वीकरण के डिजिटल युग में वास्तविक और आभासी दोनों तरह के अध्यापन के माध्यम से दुनिया के लिए सुलभ, शुद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत को समृद्ध करने के लिए विश्वविद्यालय में एक अनुसंधान और दस्तावेजीकरण प्रकोष्ठ की स्थापना करना;

(चौबीस) भारतीय संस्कृति की गुरु शिष्य परंपरा, परंपरा को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना;

(पच्चीस) एक चिकित्सीय साधन के रूप में संगीत में अनुसंधान प्रारम्भ करना और उसमें अंतर अनुशासनात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना;

(छब्बीस) किन्हीं समान विश्वविद्यालयों या संस्थानों के साथ अंतर विभागीय सांस्कृतिक शैक्षणिक आदान-प्रदान कार्यक्रम और पाठ्यक्रम स्थापित करना;

(सत्ताइस) रोजगार को बढ़ावा देने के लिए संगीत कला, संस्कृति और पर्यटन के समन्वय से उच्चतम शैक्षणिक स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार करना;

(अट्ठाइस) उपाधि, डिप्लोमा और अनुसंधान और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित या स्थापित किये जाने वाले विभिन्न तीर्थ विकास बोर्डों के साथ एमओओयू हस्ताक्षरित करना;

(उन्तीस) उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों-अवध, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, ब्रज और पश्चिमांचल उत्तर प्रदेश आदि के पारंपरिक रंगमंच में अध्ययन और अनुसंधान के लिए एक अलग संकाय की स्थापना करना;

(तीस) मॉरीशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद आदि देशों में उत्तर प्रदेश शास्त्रीय घरानों, शास्त्रीय और लोक संगीत से संबंधित अध्ययन को बढ़ावा देना और केंद्र स्थापित करना;

(इकतीस) विश्वविद्यालय के उन छात्रों को छात्रवृत्तियों की सुविधा प्रदान करना, जो संगीत, कला और संस्कृति के क्षेत्र में विदेश में अपनी आगे की पढ़ाई कर रहे हैं;

(बत्तीस) विभिन्न फेलोशिप प्राप्त करने के लिए छात्रों की सहायता करना;

(तीस) छात्रों हेतु कार्यशालाओं, संगोष्ठियों का आयोजन एवं प्रदर्शन कौशल को बढ़ावा देने हेतु मिनी ऑडिटोरियम, मेगा ऑडिटोरियम एवं संगीत रचना, संपादन, डबिंग और अन्य सम्बद्ध कार्यों हेतु अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित डिजिटल स्टूडियो की स्थापना करना;

(चौतीस) अध्ययन एवं सम्बद्ध कार्यों हेतु एक आधुनिक डिजिटल रूप से सुसज्जित पुस्तकालय की स्थापना करना;

(पैंतीस) लोक, आदिवासी और समकालीन संगीत कला और संस्कृति से संबंधित दुर्लभ वाद्ययंत्रों का संग्रहालय स्थापित करना;

(छत्तीस) उत्तर प्रदेश राज्य, भारत और विदेश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को संगीत कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनके आजीवन कार्यों और उपलब्धियों को उचित मान्यता देने हेतु सम्मानित करना एवं विश्वविद्यालय के छात्रों एवं शोधार्थियों के मध्य जिम्मेदारी की भावना एवं कौशल विकसित करके संगीत एवं कला के माध्यम में समाज की सेवा करना;

(सैंतीस) सामाजिक-सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास के कुशल माध्यमों से संगीत और कला हेतु व्याख्यान, सेमिनार, संगोष्ठी और सम्मेलन आयोजित करना;

(अड़तीस) परीक्षाएं आयोजित करना और उपाधियां और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं प्रदान करना;

(उन्तालीस) ऐसे समस्त अन्य कार्य और चीजें करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक या वांछनीय हों।

विश्वविद्यालय
की शक्तियाँ
एवं कृत्य

5-विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कृत्य होंगे, अर्थात्-

(एक) ज्ञान की ऐसी शाखाओं में अनुदेश की व्यवस्था करना, जिन्हें विश्वविद्यालय उपयुक्त समझे, तथा अनुसंधान के लिये और कला तथा संस्कृति के ज्ञान की वृद्धि तथा प्रसार के लिये उपबन्ध करना;

(दो) किसी महाविद्यालय को यथास्थिति सम्बद्धता या मान्यता का विशेषाधिकार प्रदान करना अथवा पहले से सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के विशेषाधिकारों में वृद्धि करने, या वापस लेने या उनमें कमी करने तथा सम्बद्ध और मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों का मार्गदर्शन करना और उनके कार्य को नियंत्रित करना;

(तीन) उपाधियाँ, डिप्लोमा और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं को प्रस्तुत करना;

(चार) ऐसे व्यक्तियों के लिये परीक्षाएं आयोजित करना एवं ऐसे व्यक्तियों को उपाधियाँ, डिप्लोमा और अन्य शैक्षिक विशिष्टियां प्रदान करना, जिन्होंने :-

(क) विश्वविद्यालय, संघटक महाविद्यालय या सम्बद्ध महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त महाविद्यालय में अध्ययन के पाठ्यक्रम का अनुशीलन किया है; अथवा

(ख) विश्वविद्यालय में या उस विश्वविद्यालय तक उस निमित्त मान्यता प्राप्त किसी संस्था में या स्वतंत्र रूप से परिणियमों और अध्यादेशों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन अनुसंधान किया है; अथवा

(ग) पत्राचार के माध्यम से चाहे विश्वविद्यालय के किसी क्षेत्र में रहते हुए या न रहते हुए अध्ययन के पाठ्यक्रम का अनुशीलन किया है और विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी शर्तों के अध्याधीन जिन्हें परिनियमों और अध्यादेशों में निर्दिष्ट किया जाये, पंजीकृत किया गया है; अथवा

(घ) विश्वविद्यालय में या किसी संस्थान में या संघटक या सम्बद्ध या मान्यताप्राप्त महाविद्यालय में या परिनियमों और अध्यादेशों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन अन्य किन्हीं शैक्षिक संस्थाओं में अध्यापक अथवा अन्य कर्मचारी हैं अथवा वे राज्य सरकार के शिक्षा विभाग में स्थायी रूप से नियोजित निरीक्षण करने वाले अधिकारी हैं और जिन्होंने परिनियमों और अध्यादेशों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन निजी अध्ययन किया है; अथवा

(ङ) विश्वविद्यालय के क्षेत्र के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति हैं और जिन्होंने परिनियमों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन निजी रूप से अध्ययन किया है; अथवा

(च) नेत्रहीन हैं और विश्वविद्यालय के क्षेत्र में निवास कर रहे हैं तथा जिन्होंने परिनियमों और अध्यादेशों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन निजी रूप से अध्ययन किया है;

(पाँच) ऐसे व्यक्तियों के लिये जो विश्वविद्यालय के छात्र नहीं हैं, ऐसे डिप्लोमाओं को प्रदान करना, अथवा ऐसे व्याख्यानों तथा शिक्षा संबंधी निर्देशों का उपबन्ध करना जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित कर सकेगा;

(छः) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिये सहयोग अथवा सहकार्य करना जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित कर सकेगा;

(सात) विश्वविद्यालयों द्वारा अपेक्षित अध्यापन पदों को संस्थित करना और उन पदों के लिये व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(आठ) छात्र निवास में शिक्षण प्रदान करने के लिये अध्यापकों को मान्यता प्रदान करना;

(नौ) महाविद्यालयों की सम्बद्धता अथवा मान्यता की शर्तों को निर्दिष्ट करना और समय-समय पर निरीक्षण द्वारा या अन्यथा अपना समाधान करना कि उन शर्तों को पूरा किया गया है;

(दस) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्ति, अधिछात्रवृत्तियाँ (जिनमें यात्रा अधिछात्रवृत्ति सम्मिलित है) विद्यावृत्तियाँ एवं पारितोषकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(ग्यारह) विश्वविद्यालयों, संस्थानों अथवा संघटक या सम्बद्ध या मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों के छात्रों के लिये छात्र निवासों एवं छात्रवासों को संस्थित करना और उन्हें अनुरक्षित करना तथा निवास के स्थानों को मान्यता प्रदान करना;

(बारह) ऐसे शुल्कों और अन्य प्रभारों की मांग करना एवं उन्हें प्राप्त करना जिन्हें अध्यादेशों द्वारा नियत किया जाय;

(तेरह) विश्वविद्यालय, संस्थान और संघटक या सम्बद्ध या मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों के छात्रों के निवास का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना और उनके अनुशासन को विनियमित करना तथा उनके स्वास्थ्य के सुधार के लिये प्रबन्ध करना;

(चौदह) विश्वविद्यालय संस्था और संघटक या सम्बद्ध या मान्यताप्राप्त या मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में पढाये जाने वाले विभिन्न विषयों में पुस्तकें, मोनोग्राफ, पत्रिकाएं, शोध पत्र प्रकाशित करना;

(पन्द्रह) ऋण लेना;

(सोलह) विश्वविद्यालय के उद्देश्य के लिए अनुदान, आर्थिक सहायता, सदस्यता, दान और उपहार प्राप्त करना;

(सत्रह) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए ट्रस्ट और बंदोबस्ती सम्पत्तियों सहित समस्त प्रकार की स्थावर व जंगम सम्पत्ति का अधिग्रहण, धारण, प्रबन्धन और निस्तारण करना;

(अट्ठारह) प्रशासनिक या लिपिक वर्गीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उनके लिये नियुक्तियाँ करना; और

(उन्नीस) ऐसे सभी कार्यों एवं चीजों को करना चाहें वे पूर्वोक्त शक्तियों से आनुषांगिक हों या न हों जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के उद्देश्य से अपेक्षित हो सकते हैं;

अधिकारिता
विश्वविद्यालय
सभी वर्गों,
जातियों और
सम्प्रदायों के
लिए खुला
होगा

6- विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

7-(1) विश्वविद्यालय समस्त व्यक्तियों (अध्यापकों तथा छात्रों सहित) के लिए होगा, चाहे वे किसी भी वंश, धर्म, जाति, पंथ, वर्ग या लिंग के होंगे :

परन्तु यह कि इस धारा में कही गयी किसी भी बात का अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के प्रवेश के लिए विशेष उपबन्ध करने से विश्वविद्यालय को निवारित करना नहीं समझा जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय, परिनियमावली तथा विनियमावली द्वारा यथा अवधारित छात्रों की संख्या से अधिक संख्या में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं होगा।

अध्याय-तीन

निरीक्षण और पूछताछ

परिदर्शन

8-(1) राज्य सरकार को विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी संघटक महाविद्यालय या संस्था का जिसमें इसके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला और उपकरण सम्मिलित हैं और विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय या संस्थान द्वारा किये जाने वाले अथवा संचालित की जाने वाली परीक्षाओं, अध्यापन और अन्य कार्यों का ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिन्हें वह निर्देशित कर सकेगी, निरीक्षण कराने का अथवा उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या उस संस्थान के प्रशासन तथा वित्त से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में जाँच कराने का अधिकार होगा।

(2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण अथवा जाँच कराने का निर्णय लेती है, वहाँ वह विश्वविद्यालय को उसके सम्बंध में कुलसचिव के माध्यम से सूचित करेगी और कार्यपरिषद द्वारा मनोनीत कोई भी व्यक्ति ऐसे निरीक्षण या जाँच के समय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहेगा और उसे उस रूप में सुने जाने का अधिकार प्राप्त होगा :

परन्तु यह कि कोई विधि व्यवसायी ऐसे निरीक्षण अथवा जाँच के समय विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित नहीं होगा, अभिवचन या कार्य नहीं करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण अथवा जाँच करने के लिये नियुक्त व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) के अधीन वाद के विषय में विचारण करते समय शपथपूर्वक साक्ष्य लेने तथा साक्षियों की उपस्थिति कराने एवं दस्तावेजों और तात्विक वस्तुओं के प्रस्तुतीकरण को विवश करने के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 345 एवं 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय होना समझा जायेगा, और उसके अथवा उनके समक्ष किसी कार्यवाही का, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 193 एवं 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही होना समझा जायेगा।

(4) राज्य सरकार उपकुलपति को उक्त निरीक्षण अथवा जाँच के परिणाम के संदर्भ में पत्र प्रेषित करेगी और उपकुलपति कार्यपरिषद को राज्य सरकार के विचारों को

ऐसी सलाह के साथ जिसे राज्य सरकार प्रभावित कर सकेगी, के साथ उस पर की जाने वाली कार्यवाई के सम्बन्ध में संसूचित करेगी।

(5) तब कुलपति ऐसे समय, जिसे राज्य सरकार नियत करे, के भीतर उसके समक्ष कार्यपरिषद् द्वारा की गयी अथवा किये जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाई के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करेगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारीगण, युक्तियुक्त समय के भीतर राज्य सरकार के समाधान के लिये कार्यवाई नहीं करते हैं, तो सरकार ऐसे किसी भी स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् जिसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारीगण प्रदान कर सकेंगे, ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जिन्हें वह उपयुक्त समझे, और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिये बाध्य होंगे।

(7) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन कराये जाने वाले निरीक्षण अथवा जाँच की प्रत्येक रिपोर्ट की और उपधारा (5) के अधीन उपकुलपति से प्राप्त प्रत्येक संसूचना की और उपधारा (6) के अधीन जारी प्रत्येक निर्देश की और साथ ही ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट या संसूचना, जिसे उस निदेश के अनुपालन अथवा अनुपालन के संबंध में प्राप्त किया गया हो, की भी प्रति, कुलपति को प्रेषित करेगी।

(8) उपधारा (6) के उपबन्धों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि कुलपति की, इस धारा की उपधारा (7) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज या सामग्री, जिसमें इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्वयोजित जाँच की कोई रिपोर्ट सम्मिलित है, के विचारण पर, यह राय हो कि कार्यपरिषद् अपने कार्यों को करने में विफल रहा है अथवा उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है तो वह उसे लिखित स्पष्टीकरण दाखिल करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् यह आदेशित कर सकेगा कि उक्त कार्यपरिषद् के अधिष्ठान में कुलपति अथवा ऐसे अन्य व्यक्तियों, जो संख्या में 10 से अधिक नहीं होंगे, जिन्हें कुलपति अतिष्ठित कार्यपरिषद् के किसी सदस्य को सम्मिलित करते हुए उस निमित्त नियुक्त कर सकेगा, को सम्मिलित करते हुए तदर्थ कार्यपरिषद् ऐसी अवधि के लिये जो दो वर्ष से अधिक नहीं होगी उसे कुलपति समय-समय पर विनिर्दिष्ट कर सकेगा और उपधारा (11) के उपबन्धों के अधीन इस अधिनियम के अधीन कार्यपरिषद् की समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और समस्त कार्यों का सम्पादन कर सकेगा।

(9) धारा 20 में कही गयी कोई बात, तदर्थ कार्यपरिषद् के गठन के लिये लागू नहीं होगी जिसका उपधारा (8) के अधीन गठन किया जा सकेगा।

(10) उपधारा (8) के अधीन किये जा रहे आदेश पर, एतद्द्वारा अतिष्ठित कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों, जिनमें पदेन सदस्य सम्मिलित हैं, के पद का कार्यकाल समाप्त हो जायेगा और ऐसे समस्त सदस्य उस रूप में अपने पदों को रिक्त कर देंगे।

(11) उपधारा (8) के अधीन किसी आदेश के प्रवर्तन अवधि के दौरान, इस अधिनियम के उपबन्ध निम्नलिखित उपान्तरणों के अधीन प्रभावी होंगे, अर्थात्:-

(क) धारा 19 में उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ायी गयी समझी जाएगी;

“(6) कार्यपरिषद् की बैठक प्रत्येक दो माह में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी”

(ख) धारा 20 में, उपधारा (1) में, शब्द “इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन” के पश्चात् शब्द “और कुलाधिपति के नियंत्रण के अधीन भी” बढ़ा दिए गए समझे जायेंगे;

(12) उपधारा (8) के अधीन आदेश के प्रवर्तन की अवधि के समाप्त होने के दिनांक से धारा 19 के उपबन्धों के अनुसार नई कार्यपरिषद् का गठन किया जायेगा।

(13) इस अधिनियम के उपबन्धों जैसा कि वे उपधारा (11) के उपबन्धों के

कारण उपान्तरित हुए समझे जायेंगे, के अनुसार उपधारा (8) के अधीन किसी आदेश के प्रवर्तन अवधि के दौरान बनायी गयी परिनियमावली, अध्यादेश विनियमावली या अन्य नियमावली ऐसी अवधि के समाप्त होते हुए भी तब तक प्रवर्तित रहेंगे जब तक कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उन्हें संशोधित, निरसित या विखण्डित न कर दिया जाये।

अध्याय-4

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

9-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :-

- (क) कुलाधिपति;
- (ख) कुलपति;
- (ग) कुलसचिव;
- (घ) वित्त अधिकारी;
- (ङ) परीक्षा नियंत्रक;
- (च) संकायों के संकायाध्यक्ष;
- (छ) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष;
- (ज) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमावली द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं।

कुलाधिपति

10-(1) राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे/होंगी। वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा/होंगी।

(2) मानद उपाधि प्रदत्त करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अध्याधीन होगा;

(3) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित ऐसी सूचना या अभिलेख प्रस्तुत करे जिसकी कुलाधिपति अपेक्षा करें;

(4) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियाँ प्राप्त होंगी जिन्हें इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या तद्दीन प्रदान किया जा सकता है।

कुलपति

11-(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और उसे कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा और उसे ऐसे व्यक्तियों में से उपधारा (5) या उपधारा (10) द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय नियुक्त किया जायेगा जिनके नाम उपधारा (2) के उपबन्ध के अनुसार गठित समिति द्वारा उसे प्रस्तुत किये जायें।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(क) कोई ऐसा व्यक्ति (जो विश्वविद्यालय, किसी संस्थान और किसी संघटक महाविद्यालय, किसी मान्यताप्राप्त अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय या छात्र निवास या छात्रावास से या विश्वविद्यालय के किन्हीं प्राधिकरणों से सम्बन्धित न हो) कार्य परिषद द्वारा उस दिनांक से कम से कम तीन माह पूर्व जिस दिनांक को कुलपति के पद में उसका कार्यकाल समाप्त होने के कारण रिक्ति होना देय हो, निर्वाचित किया जायेगा :

परन्तु यह कि यदि कुलपति सहित कार्य परिषद का कोई सदस्य कुलपति पद हेतु आवेदक हो तो वह उक्त बैठक में इस बिन्दु की कार्यसूची पर विचार विमर्श करते समय विरत रहेगा।

(ख) कोई व्यक्ति, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आसीन न्यायाधीश हो जिसमें उसका मुख्य न्यायमूर्ति सम्मिलित है, उक्त मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो; तथा

(ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो समिति का संयोजक भी होगा :

परन्तु यह कि जहां कार्य परिषद खंड (क) के अनुसार किसी व्यक्ति को

नामनिर्दिष्ट करने में विफल रहता है, वहां कुलाधिपति खंड (ग) के अधीन अपने द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति के अतिरिक्त कार्य परिषद के प्रतिनिधि के बदले में किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करेगा।

(3) समिति, जहाँ तक सम्भव हो उस दिनांक से कम से कम नब्बे दिन पूर्व जिस दिनांक को कुलपति के पद में उपधारा (7) के अधीन कार्यकाल समाप्त होने अथवा त्याग पत्र के कारण रिक्ति उत्पन्न होने वाली हो और साथ ही जब कभी इस प्रकार अपेक्षित हो और उस दिनांक से पूर्व जैसा कि कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, कुलाधिपति को कम से कम तीन और अधिक से अधिक पांच ऐसे व्यक्तियों का नाम प्रस्तुत करते समय, कुलपति पद को धारित करने के लिए उपयुक्त हो। समिति, नामों को प्रस्तुत करते समय, कुलाधिपति के समक्ष इस प्रकार सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षिक अर्हताएं और अन्य विशिष्टताओं को दर्शित करते हुए संक्षिप्त विवरण अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेषित करेगी, किन्तु वह अधिमान के किसी क्रम को नहीं संसूचित करेगी।

(4) जहाँ कुलाधिपति, समिति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्तियों का कुलपति के रूप में नियुक्त हेतु उपयुक्त होना नहीं समझता है अथवा यदि सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं हैं अथवा हैं और कुलाधिपति का पसंद अन्यून तीन व्यक्तियों तक सीमित हो, वहाँ समिति से उपधारा (3) के अनुसार नए नामों की सूची प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

(5) यदि समिति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्दिष्ट मामले में कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर किन्हीं नामों का सुझाव देने में असमर्थ हो अथवा यदि कुलाधिपति कुलपति के रूप में नियुक्त उपयुक्त समिति द्वारा सिफारिश किये गये नामों में से किसी एक या अधिक नामों पर विचार नहीं करता है तो शैक्षिक प्रतिष्ठा वाले तीन व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए कुलाधिपति द्वारा एक अन्य समिति का गठन किया जाएगा जो उपधारा (3) के अनुसार नामों को प्रस्तुत करेगी।

(6) समिति का कोई कार्य या कार्यवाही मात्र उसके सदस्यों में रिक्ति या रिक्तियों की विद्यमानता के कारण अथवा कार्यवाहियों में किसी व्यक्ति के भाग लेने के कारण, जिसका बाद में ऐसा करने का हकदार न होना पाया गया हो, अविधिमान्य नहीं हो जायेगी।

(7) (क) कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु केवल वही व्यक्ति पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो;

(ख) कुलपति उस दिनांक जिस दिनांक को वह अपना पद धारित करता है अथवा जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले हो, से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(ग) कुलपति, जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, उस रूप में द्वितीय अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है :

परन्तु यह कि कुलपति, कुलाधिपति को संबोधित एवं स्व हस्ताक्षर से लिखित रूप में अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है, और उसका त्याग-पत्र कुलाधिपति द्वारा स्वीकृत किये जाने पर वह पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा।

(8) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, कुलपति की परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जैसा कि परिनियमावली द्वारा अवधारित किया जाए।

(9) कुलपति धारा 32 के अधीन गठित किसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि के लाभ का हकदार नहीं होगा :

परन्तु यह कि जब किसी विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध अथवा मान्यताप्राप्त महाविद्यालय के किसी अध्यापक अथवा अन्य कर्मचारी को कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसे भविष्य निधि में अंशदान करते रहने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें वह

अभिदायकर्ता हो और विश्वविद्यालय का अंशदान उस तक सीमित रहेगा जिसके लिए वह कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति के तत्काल पूर्व अंशदान करता आ रहा था।

(10) निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी परिस्थिति में, (जिनके विद्यमान होने के सम्बन्ध में कुलाधिपति एकमात्र निर्णायक होगा) कुलाधिपति छः महीने से अनधिक अवधि के लिए कुलपति के पद पर किसी ऐसे उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है, जैसा कि वह विनिर्दिष्ट करे-

(क) जहां कुलपति के पद में कोई रिक्ति, अवकाश के कारण या अन्य किसी कारण से, जो त्याग-पत्र अथवा कार्यकाल की समाप्ति न हो, उत्पन्न होती है अथवा उत्पन्न होना सम्भाव्य हो, वहाँ तत्सम्बन्धी रिपोर्ट, कुलसचिव द्वारा कुलाधिपति को अविलम्ब दी जाएगी;

(ख) जहां कुलपति के पद में कोई रिक्ति उत्पन्न होती है और उसे उपधारा (1) से (5) के उपबन्धों के अनुसार सुविधाजनक ढंग से और शीघ्र ही न भरा जा सकता हो;

(ग) कोई अन्य आपातस्थिति :

परन्तु यह कि कुलाधिपति, समय-समय पर, इस उपधारा के अधीन कुलपति के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की कार्यावधि को विस्तारित कर सकता है, तथापि मूल आदेश में निहित कार्यावधि सहित ऐसी नियुक्ति की कुल अवधि एक वर्ष से अधिक न हो।

(11) जब तक उपधारा (1) या उपधारा (5) या उपधारा (10) के अधीन नियुक्त कुलपति पद को धारित करता है, प्रतिकुलपति, यदि कोई हो, अथवा जहाँ कोई प्रतिकुलपति न हो तो उस विश्वविद्यालय का वरिष्ठतम प्राध्यापक अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय की दशा में सम्बद्ध महाविद्यालय का वरिष्ठतम प्राचार्य कुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(12) यदि कुलाधिपति की राय में, कुलपति इस अधिनियम के उपबन्धों का जानबूझकर कार्यान्वयन करने से लोप करता है अथवा उसे अस्वीकृत करता है अथवा अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है, अथवा यदि कुलाधिपति को यह अन्याय लगता है कि कुलपति के लिए पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित के प्रतिकूल है तो कुलाधिपति, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उपयुक्त समझे, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकता है।

(13) उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी जांच के लम्बित रहने के दौरान अथवा उसका अनुध्यात करते हुए कुलाधिपति यह आदेशित कर सकता है कि अग्रतर आदेशों के होने तक-

(क) उक्त कुलपति, कुलपति के पद के कार्यों का संपादन करने में विरत रहेगा, किन्तु वह वेतन तथा विश्वविद्यालयीय आवास की सुविधा प्राप्त करता रहेगा।

(ख) कुलपति के पद के कार्यों का, आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा निष्पादन किया जाएगा।

कुलपति की शक्तियाँ और कृत्य

12-(1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और वह-

(क) विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध एवं मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों द्वारा अनुरक्षित संघटक महाविद्यालयों और संस्थानों सहित विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा;

(ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा;

(घ) विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ङ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को आयोजित करने एवं उन्हें समुचित ढंग से और निश्चित समय पर संचालित करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी

होगा कि उन परीक्षाओं के परिणामों को शीघ्र ही प्रकाशित किया जाये और यह कि विश्वविद्यालय का शैक्षिक सत्र समुचित तिथियों पर प्रारम्भ हो तथा समाप्त हो।

(2) वह, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् और वित्त समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा।

(3) उसे विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण अथवा निकाय की बैठक में बोलने और अन्य प्रकार से उसमें भाग लेने का अधिकार प्राप्त होगा, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मतदान करने का हकदार नहीं होगा।

(4) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम, परिनियमावली और विनियमावली के उपबन्धों का सत्यनिष्ठा से पालन करे और वह (धारा 10 और 68 के अधीन) कुलाधिपति की शक्तियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उन सभी शक्तियों को धारित करेगा जो उस निमित्त आवश्यक हों।

(5) कुलपति को कार्य परिषद्, विद्या परिषद् और वित्त समिति की बैठकों को आयोजित करने अथवा उन्हें आयोजित कराने की शक्ति प्राप्त होगी :

परन्तु यह कि वह अपनी इस शक्ति को विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है।

(6) जहां (विश्वविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति को छोड़कर) कोई मामला, अत्यावश्यक प्रकृति का हो जिसमें तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो और उसे विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य किसी निकाय द्वारा तत्काल संव्यवहृत नहीं किया जा सकता था, जो इस अधिनियम द्वारा अथवा तद्दीन संव्यवहृत करने के लिए सशक्त था, वहां कुलपति ऐसी कार्रवाई कर सकता है जिसे वह उपयुक्त समझे और वह अपने द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट अविलम्ब कुलाधिपति को और साथ ही साथ उस अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को देगा जिसने सामान्य अनुक्रम में उस मामले को संव्यवहृत किया होता :

परन्तु यह कि कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन के बिना कुलपति द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, यदि इसमें परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों में कोई विचलन अन्तर्वलित हो:

परन्तु अग्रेतर यह कि यदि उन अधिकारियों, प्राधिकरण या अन्य निकाय की यह राय हो कि उस कार्रवाई को नहीं किया जाना चाहिए था, तो वह मामला कुलाधिपति के समक्ष निर्दिष्ट कर सकेगा जो या तो कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि कर सकेगा अथवा उसे रद्द कर सकेगा या उसे ऐसी रीति से उपान्तरित कर सकेगा जिसे वह उपयुक्त समझे और तत्पश्चात् उसका प्रभावी होना बन्द हो जायेगा अथवा जैसा विषय हो, उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा किन्तु ऐसे निष्प्रभावी होने या उपान्तरित होने का कुलपति द्वारा अथवा उसके आदेश के अधीन पूर्वतर की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा :

परन्तु यह भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में कोई व्यक्ति, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से क्षुब्ध हो, को उस कार्यवाही के विरुद्ध कार्य परिषद् के समक्ष उस दिनांक से तीन महीने के भीतर अपील करने का अधिकार प्राप्त होगा जिस दिनांक को उस कार्रवाई पर विनिश्चय की सूचना उसे दी जाती है और उसके पश्चात् कार्य परिषद् कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि कर सकेगी, उसे उपान्तरित कर सकेगी या उसे अभिशून्य करार दे सकेगी।

(7) उपधारा (6) में कही गयी किसी बात से कुलपति को ऐसे किसी व्यय को उपगत करने हेतु सशक्त नहीं समझा जाएगा जिसे करने के लिए वह सम्यक रूप से प्राधिकृत न हो और जिसका बजट में उपबन्धन किया गया हो।

(8) जहां उपधारा (6) के अधीन कुलपति द्वारा शक्ति के प्रयोग में अधिकारी की नियुक्ति अन्तर्वलित हो वहां ऐसी नियुक्ति, निर्धारित रीति से किये जाने पर अथवा कुलपति के आदेश के दिनांक से छः माह की अवधि के समाप्त होने पर जो भी पहले

हो, समाप्त हो जायेगी।

(9) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

प्रतिकुलपति

13-(1) विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम प्राध्यापक को कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से कुलपति द्वारा प्रतिकुलपति के रूप में नियुक्त किया जाएगा :

परन्तु यह कि यदि वरिष्ठतम प्राध्यापक के विरुद्ध कोई जाच लंबित हो या उसे किसी वित्तीय, प्रशासनिक या नैतिक कदाचार के लिए दंडित किया गया हो, तो अगले वरिष्ठतम प्राध्यापक को प्रतिकुलपति के पद के लिए विचार किया जायेगा जिसके पास ऐसी कोई अक्षमता न हो।

(2) प्रतिकुलपति ऐसे मामलों के संबंध में कुलपति की सहायता करेगा, जैसा कि समय-समय पर कुलपति द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाए और कुलपति की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करेगा। वह प्रतिकुलपति के पद के लिए प्राध्यापक के रूप में अपनी पात्रता के अलावा किसी अन्य परिलब्धियों के लिए हकदार नहीं होगा।

(3) प्रतिकुलपति के पास ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या तद्दीन प्रदान की जाएँ।

कुलसचिव

14-(1) कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) कुलसचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा राज्य के वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारियों या कुलसचिव, उप कुलसचिव और सहायक कुलसचिव में से सरकारी गजट में अधिसूचना के माध्यम से बनायी गयी नियमावली द्वारा सृजित पृथक सेवा संवर्ग में से की जाएगी।

उसे उक्त के अनुसार नियुक्त किया जा सकेगा, और उसकी सेवा की शर्तें उक्त नियमावली द्वारा शासित हो सकेंगी।

(3) कुलसचिव को विश्वविद्यालय के अधीन अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की शक्ति प्राप्त होगी।

(4) कुलसचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुहर की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, प्रवेश समिति का और विश्वविद्यालय के अध्यादेशों हेतु नियुक्त प्रत्येक चयन समिति का पदेन सचिव होगा और वह इन प्राधिकारियों के समक्ष उन सभी सूचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा जिन्हें परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किया जा सकेगा जिसे कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाये किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मतदान करने का हकदार नहीं होगा।

(5) कुलसचिव को उपधारा (2) के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा यथा उपबन्धित को छोड़कर विश्वविद्यालय के किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जायेगा और न ही वह उसे स्वीकार करेगा।

(6) जब कुलसचिव किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो या कुलसचिव का पद रिक्त हो जाय तो उक्त पद के समस्त कर्तव्यों का निष्पादन तब तक कुलपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जब तक यथास्थिति कुलसचिव अपना पद धारण नहीं कर लेता है या रिक्ति नहीं भर ली जाती है।

15-(1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा वित्त अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा;

(2) वित्त अधिकारी कार्य परिषद् के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमान) तथा लेखा विवरण प्रस्तुत करने तथा विश्वविद्यालय की ओर से निधियों के आहरण एवं संवितरण के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(3) उसे कार्य परिषद् की कार्यवाही में बोलने और अन्य प्रकार से भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह मतदान करने का हकदार नहीं होगा।

(4) वित्त अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे:-

(क) यह सुनिश्चित करना कि कोई व्यय, जो बजट में प्राधिकृत न हो विश्वविद्यालय द्वारा उपगत न किया जाय (निवेश से भिन्न माध्यम से);

(ख) ऐसे किसी प्रस्तावित व्यय को अस्वीकृत करना जिससे इस अधिनियम के उपबन्धों या किन्हीं परिनियमों या अध्यादेशों के निबन्धनों का अतिलंघन होता हो;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमितता न की गई हो और लेखा परीक्षा के दौरान इंगित की गई किसी भी अनियमितता को ठीक करने के लिए कदम उठाना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की संपत्ति और निवेश विधिवत संरक्षित और प्रबंधित है;

(ङ) यह सुनिश्चित करना कि किसी वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बार आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित कराया जाय और वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन सभी सुधारात्मक उपाय और कार्रवाई करेगा, जैसा कि ऐसी लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा अपेक्षित हो।

(5) वित्त अधिकारी को विश्वविद्यालय के ऐसे अभिलेखों और दस्तावेजों तक पहुँच प्राप्त होगी और उनके प्रस्तुत किये जाने तथा तत्सम्बंधी कार्यकलापों से सम्बंधित ऐसी सूचना प्रदान करने की वह अपेक्षा कर सकेगा जो उसकी राय में, उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

(6) सभी संविदाओं को वित्त अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय की ओर से किया जायेगा और उसके द्वारा उन पर हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(7) वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियां और कार्य वही होंगे जैसा कि निर्धारित किया जाय।

16-(1) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

परीक्षा नियंत्रक

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

(3) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से संबंधित अभिलेखों की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह उन सभी सूचनाओं को उस समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा जो उसके कामकाज को करने के लिए आवश्यक हों। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी संपादन करेगा जो कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा समय-समय पर यथा अपेक्षित परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायेंगे, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मतदान करने का हकदार नहीं होगा। वह विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय या संस्थान से ऐसी विवरणी प्रस्तुत किये जाने अथवा ऐसी सूचना प्रदान करने की अपेक्षा कर सकता है, जो उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने लिए आवश्यक हों।

(4) परीक्षा नियंत्रक का अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण होगा।

(5) परीक्षा समिति के अधीक्षण के अध्यक्षीन परीक्षा नियंत्रक को परीक्षाओं को संचालित करना होगा और तद्विहित अन्य सभी प्रबन्ध करना होगा तथा वह तत्सम्बंधी सभी प्रक्रियाओं का सम्यक निष्पादन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) परीक्षा नियंत्रक को राज्य सरकार के आदेश के सिवाय विश्वविद्यालय के किसी भी कार्य के लिए अन्य किसी प्रकार का कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा और न ही वह स्वीकार करेगा।

(7) जब परीक्षा नियंत्रक किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो या परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो, तो उस पद के सभी कर्तव्यों का निष्पादन कुलपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा यथास्थिति तब तक किया जायेगा जब तक कि परीक्षा नियंत्रक अपना कार्यभार ग्रहण न कर ले अथवा रिक्ति न भर दी जाये।

अन्य अधिकारी

17-कुलाधिपति, कुलपति, प्रतिकुलपति, वित्त अधिकारी, कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक को छोड़कर विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शक्तियाँ वही होंगी जैसा कि परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा निर्दिष्ट की जाएँ।

अध्याय-पाँच

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

18- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे:-

(क) कार्य परिषद;

(ख) विद्या परिषद;

(ग) वित्त समिति;

(घ) संकाय;

(ङ) ऐसे अन्य प्राधिकरण जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के रूप में घोषित किया जाय।

कार्य परिषद का गठन

19-(1) कार्य परिषद में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-

(क) कुलपति, जो उसके अध्यक्ष होंगे;

(ख) प्रतिकुलपति, यदि कोई हो;

(ग) विहित रीति से चक्रानुक्रम में दो संकायों के संकायाध्यक्ष;

(घ) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के आचार्यों या सह आचार्यों में से एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के आचार्यों या सह आचार्यों में से एक सदस्य;

(ङ) संगीत, कला और संस्कृति के क्षेत्र में से प्रत्येक से लब्ध प्रतिष्ठित तीन व्यक्ति कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(च) इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(छ) राज्य सरकार का यथा स्थिति अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव संस्कृति, या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी, जो विशेष सचिव के पद से नीचे का न हो;

(ज) राज्य सरकार का यथा स्थिति अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव, उच्च शिक्षा या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी, जो विशेष सचिव के पद से नीचे का न हो;

(झ) राज्य सरकार का यथास्थिति अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव, वित्त या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी जो विशेष सचिव के पद से नीचे का न हो;

(2) सदस्यों के पद की अवधि का उल्लेख निम्नलिखित में किया गया है :-

(एक) उपधारा (1) का खण्ड (ग) व (घ) एक वर्ष का होगा।

(दो) उपधारा (1) का खंड (ङ) या खंड (च) तीन वर्ष का होगा।

(3) कोई व्यक्ति लगातार दो से अधिक कार्यकाल के लिए कार्य परिषद का सदस्य नहीं होगा।

(4) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति को कार्य परिषद के सदस्य के रूप में तब तक नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि वह संगीत, कला और संस्कृति के क्षेत्र से स्नातक या प्रतिष्ठित व्यक्ति न हो।

(5) कोई व्यक्ति कार्य परिषद का सदस्य चुने जाने और उसका सदस्य बनने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा, यदि वह या उसका नातेदार विश्वविद्यालय में या उसके किसी कार्य हेतु या महाविद्यालय के लिए माल प्रदाय करने अथवा कोई कार्य निष्पादित करने के लिए, किसी संविदा के हेतु पारिश्रमिक स्वीकार कर लेता है:

परन्तु यह कि इस उपधारा में कही गयी कोई बात किसी अध्यापक द्वारा उस रूप में अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षा के संबंध में सम्पादित किन्हीं कर्तव्यों के लिए अथवा प्रशिक्षण इकाई के या छात्रावास के अधीक्षक अथवा वार्डन के रूप में अथवा विश्वविद्यालय के संबंध में इसी प्रकृति के किन्हीं कर्तव्यों हेतु कोई पारिश्रमिक स्वीकार किये जाने के लिए लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण-पद 'नातेदार' का वही अर्थ होगा जो कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2013) की धारा 2 के खण्ड (77) में परिभाषित है।

20-(1) कार्यपरिषद विश्वविद्यालय की प्रमुख कार्यकारी निकाय होगी और उसके पास इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी अर्थात् :-

(एक) विश्वविद्यालय की संपत्ति और निधियों को धारित एवं नियंत्रित करना;

(दो) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम अथवा स्थावर संपत्ति को अर्जित अथवा अन्तरित करना;

(तीन)परिनियमों एवं अध्यादेशों को बनाना, संशोधित करना अथवा उन्हें निरसित करना;

(चार) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध निधियों का प्रशासन करना;

(पाँच) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना;

(छः) परिनियमों एवं अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्ति, अधिछात्रवृत्तियाँ, निर्धन छात्रवृत्तियाँ, पदक और अन्य पारितोषिक प्रदान करना;

(सात) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना और उनके कर्तव्यों, सेवा की शर्तों को परिभाषित करना एवं उनके पदों में अस्थायी आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उपबन्ध करना;

(आठ) परीक्षकों के शुल्कों, परिलब्धियों और यात्रा तथा अन्य भत्तों को नियत करना;

(नौ) किसी महाविद्यालय को सम्बद्धता या मान्यता के सम्बंध में विशेषाधिकार प्रदान करना अथवा पहले से सम्बद्ध/मान्यताप्राप्त किसी महाविद्यालय को विशेषाधिकार प्रदान करना अथवा ऐसे किसी विशेषाधिकार को वापस लेना या उसमें कमी करना;

(दस) संस्थानों, सम्बद्ध मान्यताप्राप्त संघटक महाविद्यालयों, छात्र निवासों, छात्रावासों और विद्यार्थियों के निवास के अन्य स्थानों का प्रबन्ध करना और उनके निरीक्षण की व्यवस्था करना;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय की सामान्य मुहर के निर्माण एवं प्रयोग का निर्देश देना;

(बारह) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय के अध्यापन, प्रशासनिक और अन्य कर्मचारियों के मध्य अनुशासन विनियमित करना तथा लागू

कार्य परिषद
की शक्तियाँ
और कृत्य

करना;

(तेरह) विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था, लेखाओं, विनियोगों, संपत्ति, कामकाज और उसके अन्य सभी प्रशासनिक कार्यकलापों का प्रबन्ध करना तथा उन्हें विनियमित करना और उक्त प्रयोजनार्थ उन अभिकर्ताओं की नियुक्ति करना जो वह उपयुक्त समझे;

(चौदह) राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय के किसी धन (जिसमें न्यास और विन्यासित सम्पत्ति से प्राप्त आय सम्मिलित है) का निवेश करना और अचल सम्पत्ति क्रय करना;

(पन्द्रह) विश्वविद्यालय के कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर और अन्य संसाधनों की व्यवस्था करना;

(सोलह) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाओं को करना, उनमें परिवर्तन कार्यान्वित करना और उन्हें रद्द करना;

(सत्रह) परिनियमों के अनुसार प्रवेश और परीक्षाओं के लिए समितियां नियुक्त करना;

(अट्ठारह) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय के साथ ही साथ संस्थाओं, संघटक, सम्बद्ध और मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों से सम्बन्धित अन्य सभी मामलों को विनियमित तथा अवधारित करना।

(2) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, कार्य परिषद् बंधक, विक्रय, विनिमय, दान अथवा अन्य प्रकार से विश्वविद्यालय के किसी स्थावर सम्पत्ति को प्रबन्ध के साधारण अनुक्रम में प्रत्येक माह किराये पर देने के सिवाय न तो अन्तरित करेगी और न ही सिवाय राज्य सरकार से विश्वविद्यालय हेतु कोई सहायक अनुदान प्राप्त होने की शर्त के रूप में अथवा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से किसी अन्य व्यक्ति से उसकी प्रतिभूति पर कोई धन उधार या अग्रिम लेगी।

(3) ऐसा कोई व्यय जिसके संबंध में राज्य सरकार का अनुमोदन इस अधिनियम या परिनियमावली या विनियमावली द्वारा अपेक्षित हो, पूर्व में प्राप्त किये गये उक्त अनुमोदन के सिवाय उपगत नहीं किया जाएगा तथा विश्वविद्यालय में या उसके द्वारा पोषित किसी संस्था या महाविद्यालय में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के सिवाय अथवा राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से कोई पद सृजित नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह कि स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के मामले में राज्य सरकार से इस तरह के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

(4) कार्य परिषद, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय के अध्यापक के अधिसंख्य पद का उस अध्यापक को, जो तत्समय भारत में या विदेश में शिक्षा सम्बंधी प्रशासन या अन्य किसी प्रकार के समनुदेशनों में राष्ट्रीय महत्त्व के उत्तरदायित्वपूर्ण पद को धारित कर रहा है, अपने धारणाधिकार को तथा अध्यापक के रूप में वरिष्ठता को प्रतिधारित करने और अपने समनुदेशन की अवधि के दौरान अपने वेतनमानों में वृद्धि को उपार्जित करते रहने एवं परिनियमों के अनुसार भविष्य निधि के लिए अंशदान करने एवं सेवानिवृत्ति के लाभों, यदि कोई हो, को उपार्जित करने के उद्देश्य से अतिरिक्त पद का सृजन कर सकेगी:

परन्तु यह कि उस अध्यापक के लिए विश्वविद्यालय द्वारा उस समनुदेशन की अवधि के लिए कोई वेतन संदेय नहीं होगा।

(5) विश्वविद्यालय या किसी संस्थान या संघटक महाविद्यालय या सम्बद्ध महाविद्यालय के कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए वेतन एवं अन्य भत्ते वही होंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाय।

(6) कार्य परिषद वित्त समिति द्वारा निर्धारित किये गये प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उपगत किये जाने वाले आवर्ती और अनावर्ती व्ययों की सीमा को पार नहीं करेगी।

(7) विद्या परिषद तथा सम्बंधित संकायों के परिषदों की सलाह पर विचार करने

के पश्चात कार्य परिषद् अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं और परिलब्धियों तथा परीक्षकों को संदेय शुल्क के सम्बंध में कोई कार्यवाही नहीं करेगी।

(8) कार्य परिषद्, परिनियमों में निर्दिष्ट किन्हीं शर्तों के अध्यक्षीन, अपनी ऐसी शक्तियों को, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को अथवा उसके द्वारा नियुक्त समिति को प्रत्यायोजित कर सकती है।

21-(1) आपातकालीन बैठक को छोड़कर कार्य परिषद् तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी, और ऐसी बैठक के सम्बंध में सदस्यों को न्यूनतम पंद्रह दिन पूर्व सूचना दी जाएगी।

कार्य परिषद् की बैठक

(2) कार्य परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्यों से किसी बैठक की गणपूर्ति होगी।

(3) कार्य परिषद् की बैठक में बहुमत से निर्णय लिया जाएगा।

22-(1) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी और इस अध्यादेश, परिनियमावली तथा अध्यादेशों के उपबंधों के अध्यक्षीन -

विद्या परिषद्

(क) विश्वविद्यालय में चलाये जाने वाले या दिये जाने वाले अनुदेश, शिक्षण और शोध के मानकों को बनाये रखने के लिए नियंत्रण रखेगी और उनका सामान्य विनियमन करेगी और उसके लिए उत्तरदायी होगी;

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं से संबंधित प्रकरणों सहित सभी शैक्षणिक प्रकरणों पर कार्य परिषद् को सलाह दे सकेगी; तथा

(ग) उसके पास ऐसी शक्तियां और कर्तव्य होंगे जैसाकि उसे परिनियमावली द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किया जाय परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किया जा सकेगा।

(2) इस अधिनियम या परिनियमों के उपबंधों के अधीन, विद्या परिषद् में निम्नलिखित अतिरिक्त शक्तियां भी होंगी, अर्थात्:-

(एक) कार्य परिषद् द्वारा सौंपे गए किसी मामले पर रिपोर्ट उपलब्ध कराना;

(दो) विश्वविद्यालय में शैक्षिक पदों का सृजन, उन्मूलन या वर्गीकरण और उनसे जुड़ी अर्हताओं, परिलब्धियों और कर्तव्यों के संबंध में कार्य परिषद् को संस्तुति देना;

(तीन) संकायों के संगठन के लिए योजनाओं को तैयार करना और संशोधित करना या और ऐसे संकायों को उनके संबंधित विषयों को सौंपना और कार्य परिषद् को किसी संकाय के उन्मूलन या उप-विभाजन या एक विभाग का दूसरे विभाग के साथ संयोजन की आवश्यकता के सम्बंध में कार्य परिषद् को रिपोर्ट देना;

(चार) विनियमों के माध्यम से विश्वविद्यालय में नामांकित व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों हेतु अनुदेश और परीक्षा की व्यवस्था करना;

(पांच) विश्वविद्यालय में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और समय-समय पर ऐसे शोधों पर रिपोर्ट उपलब्ध कराना;

(छः) संकाय द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना;

(सात) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों की उपाधियों, डिप्लोमा को मान्यता देना और विश्वविद्यालय के डिप्लोमा और डिग्री के संबंध में उनकी समकक्षता निर्धारित करना;

(आठ) कार्य परिषद् द्वारा स्वीकृत किन्हीं शर्तों के अधीन, फेलोशिप, छात्रवृत्ति और अन्य पुरस्कारों के लिए प्रतियोगिताओं का समय, तरीका और शर्तें तय करना और उन्हें प्रदान करना;

(नौ) परीक्षकों की नियुक्ति, और यदि आवश्यक हो, तो उन्हें हटाने हेतु और उनकी फीस, परिलब्धियां और यात्रा और अन्य व्ययों के निर्धारण के संबंध में कार्य परिषद् को संस्तुति करना;

(दस) परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था के लिए कार्य परिषद को सिफारिश करना और उन्हें आयोजित करने की तारीखें तय करना;

(ग्यारह) विभिन्न परीक्षाओं का परिणाम घोषित करना या ऐसा करने के लिए समितियों या अधिकारियों की नियुक्ति करना और उपाधियां, सम्मान, डिप्लोमा, अनुज्ञप्ति, उपाधियां और सम्मान चिह्न प्रदान करने के संबंध में संस्तुति करना;

(बारह) पुरस्कारों से जुड़े हुए विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों के अनुसार वृत्ति, छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार प्रदान करना;

(तेरह) निर्धारित या अनुशंसित पाठ्य पुस्तकों की सूची प्रकाशित करना और अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रम को प्रकाशित करना;

(चौदह) अधिनियम के उपबंधों, अध्यादेशों के अनुसार समय-समय पर ऐसे प्रपत्र और रजिस्टर तैयार करना और शैक्षणिक प्रकरणों के सम्बंध में, ऐसे सभी कर्तव्यों, कार्यों का निष्पादन करना तथा पालन करना, जो इस अधिनियम के उपबंधों के समुचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों।

(3) विद्या परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात:

(एक) कुलपति;

(दो) सभी संकायों, यदि कोई हों के संकायाध्यक्ष;

(तीन) विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष और जहां विश्वविद्यालय में किसी विषय में कोई विभाग न हो, वहां संबंधित संकाय में उस विषय का प्रतिनिधित्व करने वाले संबद्ध महाविद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक;

(चार) विश्वविद्यालय के समस्त आचार्य, जो विभागाध्यक्ष न हों;

(पांच) संघटक महाविद्यालयों के प्राचार्य और संस्थानों के निदेशक, यदि कोई हों;

(छः) प्रत्येक संघटक महाविद्यालय, यदि कोई हो, से वरिष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम द्वारा दो आचार्यों को निर्धारित रीति से अवधारित किया जाएगा;

(सात) सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों (यदि कोई हों) के एक प्राचार्य का चयन निर्धारित रीति से चक्रानुक्रम द्वारा किया जायेगा;

(आठ) तीन अध्यापकों को निर्धारित रीति से चुना जायेगा;

(नौ) छात्रों के कल्याण का संकायाध्यक्ष;

(दस) विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष; तथा

(ग्यारह) कला, संगीत और संस्कृति के क्षेत्र के लब्ध प्रतिष्ठित तीन व्यक्ति, जिन्हें कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा;

परन्तु यह कि यदि इस उपधारा के अधीन गठित विद्या परिषद् में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का कोई सदस्य न हो तो कुलपति विश्वविद्यालय या सम्बद्ध महाविद्यालय से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के एक सदस्य और अन्य पिछड़े वर्गों से एक सदस्य को नाम निर्दिष्ट कर सकता है।

(4) धारा 61 के उपबंधों के अधीन पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

(5) जब तक शैक्षिक महत्व वाले प्रस्ताव की विद्या परिषद द्वारा संस्तुति नहीं की जाती है, तब तक कार्य परिषद उस पर निर्णय नहीं लेगी और यदि कार्य परिषद विद्या परिषद की संस्तुतियों से असहमत है, तो वह असहमति के कारणों सहित प्रस्ताव को वापस विद्या परिषद को संदर्भित करेगी और कार्य परिषद का निर्णय अंतिम होगा।

23-(1) विद्या परिषद आपात बैठक को छोड़कर माह में कम से कम एक बार, बैठक करेगी और ऐसी बैठक हेतु सदस्यों को अन्यून पंद्रह दिन पूर्व सूचना दी जाएगी।

विद्या परिषद की बैठक

(2) विद्या परिषद के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्यों से किसी बैठक की गणपूर्ति होगी।

(3) विद्या परिषद की बैठक में बहुमत से निर्णय लिया जायेगा।

24-(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे:-

वित्त समिति

(क) कुलपति;

(ख) राज्य सरकार का यथास्थिति अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव संस्कृति ;

(ग) राज्य सरकार का यथास्थिति अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या सचिव वित्त;

(घ) प्रतिकुलपति; यदि कोई हो;

(ङ) कुलसचिव;

(च) परीक्षा नियंत्रक;

(छ) कार्य परिषद से एक सदस्य जिसे कार्य परिषद द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा;

(ज) वित्त अधिकारी या वित्त नियंत्रक (जो भी वरिष्ठ हो) जो समिति का सचिव भी होगा।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट सदस्य स्वयं वित्त समिति की किसी बैठक में भाग लेने के बजाय, अपने स्थान पर किसी अधिकारी को जो विशेष सचिव के स्तर का हो, नाम-निर्दिष्ट कर सकता है और ऐसे अधिकारी को भी मत देने का अधिकार होगा।

(3) वित्त समिति विश्वविद्यालय की संपत्ति और निधियों के प्रशासन से संबंधित मामलों पर कार्यपरिषद को सलाह देगी। यह विश्वविद्यालय की आय और स्रोतों को ध्यान में रखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्ती और अनावर्ती व्यय की कुल सीमा निर्धारित करेगी और किन्हीं विशेष कारणों से वह इस प्रकार नियत किये गये व्यय की सीमाओं को उस वित्तीय वर्ष के दौरान पुनरीक्षित कर सकेगी और इस प्रकार नियत की गयी सीमाएं कार्य परिषद के लिए बाध्यकारी होंगी।

(4) वित्त समिति के पास ऐसी अन्य शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त या अधिरोपित किया जाय।

(5) जब तक वित्त समिति द्वारा वित्तीय प्रकृति वाले प्रस्ताव की संस्तुति न की जाय तब तक कार्य परिषद उस पर निर्णय नहीं लेगी और यदि कार्य परिषद वित्त समिति की संस्तुति से असहमत हो तो वह असहमति के कारणों सहित प्रस्ताव को वापस वित्त समिति को संदर्भित करेगी और कार्य परिषद का निर्णय अंतिम होगा।

25-(1) वित्त समिति की बैठक, आपातकालीन बैठक को छोड़कर, तीन महीने में कम से कम एक बार होगी, और ऐसी बैठक हेतु सदस्यों को अन्यून 15 दिन पूर्व सूचना दी जायेगी।

वित्त समिति की बैठक

(2) वित्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्यों से उसकी बैठक की गणपूर्ति होगी।

(3) वित्त समिति की बैठक में बहुमत से निर्णय लिया जाएगा।

26-इस अधिनियम द्वारा उपबंधित किसी बात के होते हुए भी, वित्त समिति की बैठक, धारा 24 की उप धारा (1) के खंड (ख) और (ग) में यथा उपबंधित वित्त समिति के सदस्यों की अनुपस्थिति में नहीं होगी।

वित्त समिति की बैठक का प्रतिषेध

संकाय

27-(1) विश्वविद्यालय में ऐसे संकाय होंगे जैसा कि निर्धारित किया जाय।

(2) प्रत्येक संकाय में अध्यापन के ऐसे विभाग सम्मिलित होंगे जो निर्धारित किए जाएं और प्रत्येक विभाग में अध्ययन के ऐसे विषय होंगे जिन्हें अधिनियम द्वारा समनुदेशित किया जाय।

(3) प्रत्येक संकाय का एक संकायाध्यक्ष होगा जो वरिष्ठता के क्रम से चक्रानुक्रम द्वारा चुना जाएगा और तीन वर्ष के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु यह भी कि यदि संकाय में कोई आचार्य न हो तो संकायाध्यक्ष का पद सह आचार्य द्वारा धारित किया जायेगा और यदि कोई सह आचार्य न हो तो उस संकाय में अन्य अध्यापकों द्वारा वरिष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम द्वारा धारित किया जाएगा।

(4) संकायाध्यक्ष संकाय का अध्यक्ष होगा और निम्न के लिए जिम्मेदार होगा:-

(क) संकाय में सम्मिलित किये गये विभागों के अध्यापन और अनुसंधान कार्य का संगठन और संचालन; तथा

(ख) संकाय से संबंधित परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का सम्यक् अनुपालन।

(5) विश्वविद्यालय के अध्यापन के प्रत्येक विभाग में एक विभागाध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति परिनियमों द्वारा विनियमित होगी :

परन्तु यह कि इस उपधारा के प्रारम्भ होने के दिनांक से ठीक पहले इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन पूर्व विभागाध्यक्ष का पद धारित करने वाला प्रत्येक व्यक्ति पद को उन्हीं निबन्धनों एवं शर्तों पर धारित करता रहेगा जिसे उसने उक्त दिनांक से ठीक पहले धारित किया था।

(6) विभागाध्यक्ष, विभाग में अध्यापन कार्य को संगठित करने के लिए संकायाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा और उसके पास ऐसी अन्य शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे जो अध्यादेशों में उपबंधित हों।

(7) अध्ययन के विभिन्न विषयों के संबंध में अध्यादेशों के उपबंधों के अनुसार अध्ययन परिषद का गठन किया जायेगा और अध्ययन परिषद को एक से अधिक विषय समनुदेशित किये जा सकेंगे।

अन्य प्राधिकारी

28- विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों की संवैधानिक शक्तियाँ और कर्तव्य ऐसे होंगे जो विहित किए जाएं।

अध्याय-छः

अध्यापकों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें

अध्यापकों की नियुक्ति

29-(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्याधीन :-

(क) विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य और अन्य सभी अध्यापन कर्मचारिवर्ग की नियुक्ति कार्य परिषद द्वारा परिनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से गठित चयन समिति की संस्तुति पर की जाएगी।

(ख) सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों के सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य और अन्य सभी अध्यापन कर्मचारिवर्ग (राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अनुरक्षित महाविद्यालय के अतिरिक्त) को सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के प्रबन्ध तंत्र द्वारा परिनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से गठित चयन समिति की संस्तुति पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

(ग) किसी संस्थान के निदेशक या संघटक महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति कार्य परिषद द्वारा एक चयन समिति की संस्तुति पर परिनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से की जाएगी।

(घ) किसी सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति किसी चयन समिति की संस्तुति पर परिनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से उपबंधित की जाएगी।

(ङ) पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के लिये चयन समिति वही होगी जो आचार्य, सह आचार्य और सहायक आचार्य की होती है।

(2) सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य, किसी संस्थान के निदेशक, संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य और अन्य सभी शैक्षणिक कर्मचारियों की अर्हताएं, अनुभव और सेवा शर्तें परिनियमों के अनुसार इस धारा की उपधारा (1) के अधीन होंगी।

30-इस अधिनियम के उपबंध के अधीन, धारा (29) की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सभी अध्यापन कर्मचारिवर्ग को इस तरह से पदोन्नत किया जाएगा और उनकी सेवा अवधि और अर्हताएं वहीं होंगी जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाय।

31-(1) परिनियमों द्वारा यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय के किसी वैतनिक अधिकारी या अध्यापक की नियुक्ति, लिखित संविदा के सिवाय नहीं की जायेगी जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों से सुसंगत होंगी।

(2) मूल संविदा कुलसचिव के पास जमा कराया जाएगा और उसकी एक प्रति संबंधित अधिकारी या अध्यापक को दी जाएगी।

(3) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व नियोजित किसी अधिकारी या अध्यापक की दशा में, उसके प्रारम्भ होने से तत्काल पूर्व प्रवृत्त समस्त संविदाओं का, इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों से असंगत होने की सीमा तक उक्त उपबंधों द्वारा संशोधित किया गया समझा जायेगा।

32-विश्वविद्यालय और प्रत्येक सम्बद्ध अथवा मान्यताप्राप्त महाविद्यालय, अपने अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन जैसा राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्गत किये जायें, ऐसे पेंशन, बीमा या भविष्य निधि का गठन करेगा जिसे वह ऐसी निधि को सम्मिलित करते हुए उपयुक्त समझे जिससे उन अध्यापकों का या जैसा विषय हो, उनके वारिसों को उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षाओं के संचालन सम्बंधी उपबंध) अधिनियम, 1965 में यथा परिभाषित केन्द्र के अधीक्षक या निरीक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के सम्बंध में निर्याग्यता, उपहति अथवा मृत्यु उपगत करने की दशा में पेंशन अथवा ग्रेच्युटी प्रदान की जायेगी।

33-(1) विश्वविद्यालय के अथवा सम्बद्ध या मान्यताप्राप्त महाविद्यालय के अध्यापकों को भारतीय विश्वविद्यालय अथवा लोक सेवा आयोग को छोड़कर अन्य निकाय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के संबंध में सम्पादित किन्हीं कर्तव्यों के लिये पारिश्रमिक संदाय से सम्बंधित शर्तें वहीं होंगी जो विहित की जायें।

(2) विश्वविद्यालय का अथवा सम्बद्ध या मान्यताप्राप्त महाविद्यालय का कोई अध्यापक किसी समय, किसी परीक्षा से सम्बद्ध अध्यापन या कर्तव्यों को छोड़कर अन्य कर्तव्यों को करने के लिए एक से अधिक पारिश्रमिक वाले पद को धारित नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण- शब्द 'पारिश्रमिक' में छात्र-निवास या छात्रावास के वार्डन या अधीक्षक या प्रॉक्टर, खेल अधीक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष के पद और राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय क्रीडा संगठन, समाज सेवा योजना और विश्वविद्यालय रोजगार कार्यालय में कोई भी पद सम्मिलित होगा।

34-(1) धारा 31 या धारा 32 में निर्दिष्ट नियुक्ति की संविदा से उत्पन्न होने वाले किसी विवाद को माध्यस्थम के अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए वैयक्तिक पदोन्नति विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति की संविदा

पेंशन, भविष्य निधि आदि

अध्यापकों के लिये अनुज्ञेय अतिरिक्त पारिश्रमिक कार्य की सीमाएं

माध्यस्थम का अधिकरण

(2) अधिकरण का निर्णय अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा और उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।

(3) माध्यस्थम अधिकरण के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी :-

(एक) अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करना;

(दो) संबंधित अधिकारी या अध्यापक की बहाली का आदेश देना; तथा

(तीन) संबंधित अधिकारी या अध्यापक को वेतन, उस आय को कम करने के पश्चात् प्रदान करना, जिसे उस अधिकारी अथवा अध्यापक ने अन्याय सेवा से अपने निलम्बन, अपसारण, बर्खास्तगी अथवा सेवा समाप्ति के दौरान प्राप्त किया होता।

(4) माध्यस्थम से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में निहित कोई बात, इस धारा के अधीन माध्यस्थम के लिए लागू नहीं होगी।

(5) ऐसे किसी मामले के संबंध में जिसका माध्यस्थम अधिकरण के समक्ष उपधारा (1) द्वारा निर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित हो, किसी न्यायालय में कोई वाद अथवा कार्यवाही दाखिल नहीं की जा सकेगी:

परन्तु यह कि उपधारा (2) में माध्यस्थम अधिकरण का प्रत्येक निर्णय प्रादेशिक क्षेत्राधिकार रखने वाले निम्नतम न्यायालय द्वारा उसी प्रकार से निष्पादित किया जायेगा, मानो वह उस न्यायालय की डिक्री हो।

अध्याय-सात

सम्बद्धता और मान्यता

35-(1) कार्य परिषद, कुलाधिपति की पूर्व अनुमति से, किसी महाविद्यालय को जो सम्बद्धता की उन शर्तों की पूर्ति करता है जिन्हें विहित किया जाये, सम्बद्धता के विशेषाधिकारों को प्रदान कर सकेगी अथवा पहले से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकारों को विस्तारित कर सकेगी अथवा उपधारा (8) के उपबंधों के अधीन ऐसे किसी विशेषाधिकार को वापस ले सकेगी या उसे कम कर सकेगी:

परन्तु यह कि यदि कुलाधिपति की राय में कोई महाविद्यालय सारवान् रूप से शर्तों को पूरा करता है, तो कुलाधिपति उस महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान करने की स्वीकृति दे सकेगा अथवा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में किसी अवधि के लिए विनिर्दिष्ट विषयों में उसके विशेषाधिकारों को विस्तारित कर सकेगा जिन्हें वह उपयुक्त समझे:

परन्तु अग्रेतर यह भी कि जब तक सम्बद्धता की सभी निर्धारित शर्तों का महाविद्यालय द्वारा पालन न किया जाय, तब तक वह अध्ययन के उस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी छात्र को प्रवेश नहीं देगा जिसके लिए उस सम्बद्धता के प्रारम्भ होने की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् पूर्वगामी परन्तुक के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

(2) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उसी स्थानीय क्षेत्र में अवस्थित किसी अन्य सम्बद्ध महाविद्यालय के साथ अथवा विश्वविद्यालय के साथ अध्यापन अथवा अनुसंधान कार्य में सहयोग करने के लिए प्रबन्ध करे।

(3) इस अधिनियम द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बद्ध महाविद्यालय की प्रबंध समिति, महाविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबन्ध करेगी और उनका नियंत्रण करने के लिए स्वतंत्र होगी और उसके अनुरक्षण एवं रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगी एवं उसका प्राचार्य उसके छात्रों के अनुशासन के लिए और उसके कर्मचारिवृन्द पर अधीक्षण एवं नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(4) प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय ऐसी रिपोर्टों, विवरणियों और अन्य विशिष्टियों को प्रदान करेगा जिन्हें कार्य परिषद् या कुलपति मांगे।

(5) कार्य परिषद प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण, उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा 05 वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर समय-समय पर करायेगा और उस निरीक्षण की रिपोर्ट कार्य परिषद को दी जायेगी।

महाविद्यालयों की सम्बद्धता और उसकी वापसी

(6) कार्य परिषद इस प्रकार निरीक्षण किए गए सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी कार्रवाई करने का निर्देश कर सकेगी जो उसे उस अवधि के भीतर, जिसे विहित किया जाये, आवश्यक लगे।

(7) ऐसे किसी महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार, जो उपधारा (6) के अधीन कार्य परिषद के किसी निर्देश का पालन करने में विफल हो जाता है या सम्बद्धता की शर्तों का पालन नहीं कर पाता है, उस महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात और कुलाधिपति के पूर्व स्वीकृति से, कार्य परिषद द्वारा परिणियमों के उपबंधों के अनुसार वापस लिया जा सकेगा या उसमें कमी की जा सकेगी।

(8) उपधारा (1) और (7) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि सम्बद्ध महाविद्यालय की प्रबंध समिति, सम्बद्धता की शर्तों का पालन करने में विफल हो तो कुलाधिपति प्रबन्ध समिति अथवा कुलपति से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात, सम्बद्धता के विशेषाधिकारों को वापस ले सकेगी अथवा उनमें कमी कर सकेगी।

(9) कोई भी संस्थान, जिसका आवेदन विश्वविद्यालय द्वारा खारिज कर दिया गया हो, अस्वीकृति के आदेश की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकता है, जो या तो अपील को अनुमति दे सकती हैं या इसे अस्वीकृत कर सकती हैं। राज्य सरकार को उन मामलों में भी महाविद्यालय के आवेदन पर पुनर्विचार करने का अधिकार होगा जहाँ महाविद्यालय द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में उसे शिकायतें प्राप्त हों।

36-(1) मान्यता प्राप्त महाविद्यालय ऐसे होंगे जो परिणियमों द्वारा नामित हों।

(2) किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के लिए अध्यापन कार्य में किसी अन्य मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से सहयोग लिया जाना विधिसम्मत होगा।

(3) किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय की मान्यता की शर्तें परिणियमों द्वारा या कार्य परिषद द्वारा निर्धारित की जाएंगी, किन्तु कोई मान्यता प्राप्त महाविद्यालय, कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन के बिना स्नातकोत्तर उपाधियों हेतु शिक्षा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह कि यदि कोई मान्यता प्राप्त महाविद्यालय स्नातकोत्तर उपाधि हेतु अनुदेश प्रदान करने की मान्यता प्रदान करने हेतु प्राधिकृत न हो तो ऐसे महाविद्यालय को कुलाधिपति के अनुमोदन से धारा 35 में, निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय द्वारा धारा 5 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सम्बद्धता प्रदान की जा सकेगी, तत्पश्चात उस महाविद्यालय का परास्नातक पाठ्यक्रम हेतु मान्यताप्राप्त महाविद्यालय होना बंद हो जायेगा।

(4) इस अधिनियम द्वारा यथा उपबंधित के सिवाय किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय का प्रबंधतंत्र, महाविद्यालय के मामलों का प्रबंध करने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्र होगा एवं वह उसके अनुरक्षण तथा रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसे प्रत्येक महाविद्यालय का प्राचार्य उसके छात्रों के अनुशासन के लिए और उसके कर्मचारिवृन्द पर अधीक्षण एवं नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) कार्य परिषद प्रत्येक मान्यता प्राप्त महाविद्यालय का उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किये गये एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा तीन वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर समय-समय पर निरीक्षण करवायेगा और निरीक्षण की रिपोर्ट कार्य परिषद को दी जायेगी।

(6) मान्यता प्राप्त महाविद्यालय की मान्यता को कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति से कार्य परिषद द्वारा वापस लिया जा सकेगा यदि उसका प्रबन्ध समिति द्वारा प्रदान किये गये किसी भी स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो जाये कि उसकी मान्यता की शर्तों को पूरा करना बन्द हो गया है अथवा यह कि वह इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के पालन में अथवा कार्य परिषद द्वारा बताये गये अपने कार्य में किसी दोष को दूर करने में अभी भी व्यतिक्रम कारित कर रहा है।

महाविद्यालयों
की मान्यता
और मान्यता
वापस लेना

प्रबंध समिति
की सदस्यता के
लिए निरर्हता

37-कोई व्यक्ति किसी सम्बद्ध अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय (राज्य सरकार द्वारा या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अपवर्जित रूप से पोषित महाविद्यालय को छोड़कर) के प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने और सदस्य बनने के लिए निरर्ह होगा, यदि वह या उसका नातेदार इसके लिए कोई पारिश्रमिक उस महाविद्यालय के किसी कार्य के लिए या उस महाविद्यालय के लिए किसी पारिश्रमिक को अथवा उस महाविद्यालय को माल प्रदाय करने के लिए या किसी कार्य के निष्पादन के लिए किसी संविदा को स्वीकार कर लेता है:

परन्तु यह कि इस धारा में कही गयी कोई भी बात, उस रूप में अध्यापक द्वारा किसी पारिश्रमिक के स्वीकार किये जाने के लिए अथवा उस महाविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षा के सम्बंध में सम्पादित किसी कर्तव्य के लिए अथवा उस महाविद्यालय के प्रशिक्षण इकाई के अथवा छात्र निवास या छात्रावास के अधीक्षक अथवा वार्डन के रूप में या प्राक्टर अथवा ट्यूटर के रूप में किन्हीं कर्तव्यों के लिए अथवा उस महाविद्यालय के सम्बंध में किसी प्रकृति के किन्हीं कर्तव्यों के सम्बंध में किसी पारिश्रमिक को स्वीकार कर लेता है।

स्पष्टीकरण- पद 'नातेदार' का वही अर्थ होगा जो धारा 19 के स्पष्टीकरण में प्रदान किया गया है।

सम्बद्ध और
मान्यता प्राप्त
महाविद्यालयों
का निरीक्षण
आदि

38-(1) राज्य सरकार को किसी सम्बद्ध और मान्यता प्राप्त महाविद्यालय, जिसमें, प्रयोगशालाएं तथा उसके उपकरण सम्मिलित हैं और उसके द्वारा संचालित परीक्षाओं, अथवा किये गये अध्यापन एवं अन्य कार्य का भी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिन्हें वह निदेशित करे, निरीक्षण कराने अथवा उस महाविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्त के सम्बंध में किसी मामले के सम्बंध में जांच कराने का अधिकार प्राप्त होगा।

(2) जहां राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच कराने का निर्णय लेती है, तो वह उसके प्रबंध समिति को और प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त किये गये प्रतिनिधि को सूचित करेगी और जहां प्रबंध समिति किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करने में विफल होती है, तो उस महाविद्यालय का प्राचार्य ऐसे निरीक्षण अथवा जांच के समय उपस्थित हो सकेगा और उसे प्रबंध समिति की ओर से सुने जाने का अधिकार प्राप्त होगा, किन्तु कोई विधि व्यवसायी उस निरीक्षण या जांच में महाविद्यालय की ओर से उपसंजात नहीं होगा, अभिवचन या कार्य नहीं करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को शपथ पर साक्ष्य लेने के और साक्षियों की उपस्थिति कराने एवं दस्तावेजों और तात्त्विक वस्तुओं को पेश करने के लिए विवश करने के प्रयोजनार्थ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) के अधीन वाद के विषय में विचार करते समय सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी और उसका दण्ड प्रक्रिया, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 480 और 482 अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय होना समझा जायेगा और उसके अथवा उनके समक्ष भारतीय दंड संहिता 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1880) की धारा 193 और 225 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही का होना समझा जायेगा।

(4) राज्य सरकार प्रबंध समिति को उस निरीक्षण या जांच के परिणाम को संसूचित कर सकेगी और वह कार्यवाही किये जाने के बारे में निदेश जारी कर सकेगी एवं प्रबंध समिति उन निदेशों का तत्काल अनुपालन करेगी।

(5) राज्य सरकार कुलपति को उपधारा (4) के अधीन प्रबंध समिति को उसके द्वारा दी गयी किसी संसूचना के बारे में सूचित करेगी।

(6) राज्य सरकार किसी समय उस निरीक्षण या जांच के संबंध में सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के प्रबंध समिति अथवा प्राचार्य से कोई सूचना मांग सकेगी।

39-(1) संघटक महाविद्यालय ऐसे महाविद्यालय होंगे जिन्हें परिणियमों द्वारा बनाया जायेगा।

संघटक
महाविद्यालय

(2) संघटक महाविद्यालय का प्राचार्य महाविद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों के अनुशासन के लिए उत्तरदायी होगा और उसका महाविद्यालय के लिपिक वर्गीय तथा अवर कर्मचारिवृन्द पर सामान्य नियंत्रण होगा। वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो परिणियमों द्वारा विहित की जाएं।

40-(1) स्वायत्तशासी विश्वविद्यालय ऐसे सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय को, जो उस निमित्त निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, निर्धारित रीति से उस महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्ययन के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन करने और इस प्रकार परिवर्तित किये गये पाठ्यक्रमों में परीक्षा आयोजित कराने के विशेषाधिकार प्रदान कर सकता है।

स्वायत्तशासी
महाविद्यालय

(2) ऐसी सीमा, जहां तक उस महाविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रमों में परिवर्तन किया जाये और ऐसी रीति जिससे परीक्षा आयोजित की जाये, का अवधारण प्रत्येक मामले में विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा।

(3) ऐसे महाविद्यालय को निर्धारित रीति से स्वायत्त महाविद्यालय के रूप में घोषित किया जायेगा।

41- विश्वविद्यालय किसी विषय में अध्ययन और अनुसंधान आयोजित तथा संचालित करने के लिए एक या एक से अधिक संस्थान स्थापित कर सकेगा।

संस्थान

42-सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति से सम्बद्ध कोई व्यक्ति, प्राचार्य, अध्यापक अथवा अन्य कर्मचारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अध्यादेश में निर्दिष्ट दरों पर शुल्क के सिवाय, किसी छात्र या उसकी ओर से (उस महाविद्यालय में उसे प्रवेश प्रदान करने अथवा उस प्रवेश के पश्चात उसमें बने रहने की शर्त के रूप में) नकद या वस्तु के रूप में कोई अंशदान, दान, फीस या अन्य किसी प्रकार का संदाय नहीं लेगा, न प्राप्त करेगा।

महाविद्यालयों
में प्रवेश हेतु
किसी दान
आदि को लेने
पर प्रतिबन्ध

43-जहां सम्बद्ध अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय द्वारा नकद या वस्तु के रूप में कोई अंशदान अथवा दान लिया जाता है वहां इस प्रकार प्राप्त किये गये दान का प्रयोग केवल उस प्रयोजन के उपयोग में लाया जायेगा जिसके लिए उसे दिया गया था।

महाविद्यालय
को योगदान
और दान

44-(1) विश्वविद्यालय के छात्र निवास और छात्रावास वही होंगे-

(क) जो विश्वविद्यालय द्वारा घोषित और परिणियमों में नामित हो;

(ख) जिन्हें कार्य परिषद द्वारा अध्यादेशों के माध्यम से उपबंधित सामान्य अथवा विशेष शर्तों पर मान्यता प्रदान की गयी हो।

विश्वविद्यालय
के छात्र निवास,
छात्रावास और
डेलीगेंसी

(2) छात्र निवासों और छात्रावासों के वार्डन तथा अन्य कर्मचारिवृन्द अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित रीति से नियुक्त किये जायेंगे।

(3) किसी संघटक महाविद्यालय द्वारा छात्र निवास की देखरेख में उसके अधीन निवास न करने वाले छात्रों के निवास, स्वास्थ्य एवं कल्याण के सम्बंध में प्रबन्धों का पर्यवेक्षण करने के लिए डेलीगेंसी होगी, उस डेलीगेंसी का गठन, शक्ति एवं कर्तव्य परिणियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

अध्याय-आठ

परिनियम, अध्यादेश, विनियम और वार्षिक रिपोर्ट

45-इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, परिणियम में विश्वविद्यालय से संबंधित किसी मामले के लिए उपबंध किया जा सकेगा और विशेष रूप से निम्न के लिए उपबन्ध किया जायेगा:-

परिनियम

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का गठन, शक्ति तथा कर्तव्य;

(ख) प्रथम सदस्यों के पद में बने रहने, उनकी सदस्यता में रिक्तियों को भरने और इन प्राधिकरणों से संबंधित अन्य मामलों, जिसके लिए उपबन्ध करना आवश्यक हो, सहित विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के सदस्यों के पद के चयन, नियुक्ति तथा कार्यकाल;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य;

(घ) विश्वविद्यालय के और सम्बद्धता तथा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं अन्य अध्यापकों का वर्गीकरण एवं भर्ती (न्यूनतम योग्यता और अनुभव सहित) उनके द्वारा अपनी वार्षिक शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट को अनुरक्षित करना, उनके द्वारा पालन किए जाने वाले आचरण के नियमों और उनके परिलब्धियों तथा सेवा की अन्य शर्तें (अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित उपबंधों सहित);

(ङ) विश्वविद्यालय के अधीन अन्य पदों पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों की भर्ती (न्यूनतम योग्यता और अनुभव सहित);

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए पेंशन या भविष्य निधि का गठन और उनके परिलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तें (अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित उपबंधों सहित); बीमा-योजना का स्थापित किया जाना;

(छ) उपाधियों और डिप्लोमा का संस्थित किया जाना;

(ज) मानद उपाधियाँ प्रदान किया जाना;

(झ) उपाधियों और डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों और अन्य शैक्षणिक विशेषताओं को वापस लेना;

(ञ) संकायों की स्थापना, विलय, उन्मूलन और पुनर्गठन;

(ट) संकायों के अध्यापन के विभागों की स्थापना करना;

(ठ) विश्वविद्यालय द्वारा पोषित छात्र निवासों और छात्रावासों की स्थापना, उन्मूलन और पुनर्गठन;

(ड) वे शर्तें जिनके अधीन महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता या मान्यता प्रदान करने के विशेषाधिकार प्रदान किये जा सकेंगे और वे शर्तें जिनके अधीन ऐसे किसी विशेषाधिकार को वापस लिया जा सकेगा।

(ढ) किसी सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति की मान्यता;

(ण) महाविद्यालय अथवा सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के वैतनिक कर्मचारियों (जो अध्यापक न हों) की सेवानिवृत्तिक आयु और अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित उपबंधों सहित संख्या, न्यूनतम अर्हताएं और अनुभव, परिलब्धियाँ तथा सेवा की अन्य शर्तें;

(त) छात्रवृत्तियों, अधिछात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों को संस्थित करना;

(थ) स्नातकों की अर्हताएं, शर्तें एवं पंजीयन की रीति और पंजीकृत स्नातकों की पंजी का अनुरक्षण;

(द) दीक्षांत समारोह, यदि कोई हो, का आयोजन; तथा

(ध) अन्य सभी मामले, जो इस अधिनियम द्वारा परिनियमों द्वारा उपबन्धित किए जाने चाहिए या उपबन्धित किये जा सकेंगे।

परिनियम बनाये जाने की रीतियां

46-(1) विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा बनाया जाएगा।

(2) कार्य परिषद समय-समय पर, नवीन या अतिरिक्त परिनियम बना सकती है या कुलपति की अनुमति से समय-समय पर संशोधन या निरसन कर सकती है।

(3) कार्य परिषद विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम के किसी प्रारूप को तब तक प्रस्तावित नहीं करेगी जब तक कि उस प्राधिकरण को उक्त प्रस्ताव पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो और इस प्रकार व्यक्त की गई कोई राय लिखित रूप में होगी और

कुलाधिपति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

(4) प्रत्येक नया परिनियम या परिनियम में परिवर्धन या परिनियम के किसी संशोधन या निरसन को कुलाधिपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उस पर सहमति दे सकेगा अथवा उसे अपनी अनुमति से रोक सकेगा या आगे विचार के लिए कार्य परिषद को भेज सकेगा।

(5) परिषद द्वारा पारित परिनियम उस तारीख से प्रभावी होगा जब उस पर कुलाधिपति द्वारा अनुमति दी गयी हो या ऐसी पश्चातवर्ती तारीख से प्रभावी होगा, जिसे उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

(6) पूर्वगामी उपधारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा अपने ज्ञान, अध्यापन अथवा अनुसंधान के हित में अथवा अध्यापकों, छात्रों अथवा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए, लिये गये अथवा नियामक निकाय के किसी सुझाव या अध्यापकों की अर्हताओं के सम्बंध में राज्य अथवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर लिये गये किसी विनिश्चय को पूरा करने के उद्देश्य से कार्य परिषद से विनिर्दिष्ट समय के भीतर नये या अतिरिक्त परिनियमों को बनाने अथवा उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों को संशोधित/निरसित करने की अपेक्षा कर सकेगी और यदि कार्य परिषद उक्त शर्त का पालन करने में विफल होती है तो राज्य सरकार कुलाधिपति की सहमति से, नये परिनियमों को बना सकेगी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट विधियों में संशोधन या निरसन कर सकेगी।

(7) कार्यकारी परिषद को राज्य सरकार द्वारा उपधारा (6) के अधीन बनाये गये परिनियमों को संशोधित करने या निरस्त करने या उक्त परिनियमों से असंगत नए या अतिरिक्त परिनियमों को बनाने की कोई शक्ति नहीं होगी।

47-(1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन, अध्यादेश में किसी ऐसे मामले के लिए उपबंध किया जा सकेगा जिसे इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेश द्वारा उपबंध किया जाना चाहिए अथवा किया जा सकेगा। अध्यादेश

(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्यादेश में निम्नलिखित मामलों के लिए उपबंध किया जा सकेगा:-

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश और उनका नामांकन इस रूप में बना रहना;

(ख) सभी उपाधियों, डिप्लोमा एवं विश्वविद्यालय की अन्य शैक्षिक विशेषताओं के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम को निर्दिष्ट किया जाना;

(ग) वे शर्तें जिनके अधीन छात्रों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों तथा डिप्लोमा में प्रवेश लिया जायेगा और वे उन उपाधियों तथा डिप्लोमा के प्रदान किये जाने के पात्र होंगे;

(घ) छात्रवृत्तियों, अधिछात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, विशेष छात्रवृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों को प्रदान किये जाने की शर्तें;

(ङ) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के निवास की शर्तें तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्र निवासों एवं छात्रावासों का प्रबन्धन;

(च) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित न किये जाने वाले छात्र निवासों और छात्रावासों की मान्यता एवं प्रबन्धन;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रों के मध्य अनुशासन बनाये रखना;

(ज) पत्राचार पाठ्यक्रमों तथा वैयक्तिक विद्यार्थियों से सम्बंधित सभी मामले;

(झ) पेरन्ट्स टीचर्स एसोसिएशन का गठन;

(ञ) शुल्क, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा या सम्बद्ध अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय द्वारा किसी प्रयोजनार्थ लिया जा सकेगा;

(ट) शर्तें, जिनके अधीन व्यक्तियों को छात्र निवासों एवं छात्रावासों में शिक्षण प्रदान करने के लिए अर्ह मानकर मान्यता प्रदान की जा सकेगी;

**अध्यादेश
बनाने की रीति**

(ठ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों, अनुसेवकों, अन्तरीक्षकों तथा सारिणीकारकों को नियुक्त करने की शर्तें, रीति तथा उनके कर्तव्य;

(ड) परीक्षाओं का संचालन;

(ढ) विश्वविद्यालयों के कार्यों के लिए नियोजित व्यक्तियों को संदाय किये जाने वाले यात्रा, पारिश्रमिक तथा दैनिक भत्ते सहित अन्य भत्ते;

(ण) अन्य सभी मामले जो इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन उपबन्ध किये जाने में, अध्यादेशों द्वारा किये जायें।

48-(1) प्रथम अध्यादेश राज्य सरकार द्वारा बनाया जाएगा। उसके बाद कुलाधिपति की सहमति से कार्य परिषद द्वारा बनाया जायेगा।

(2) विद्यमान विश्वविद्यालय के मामले में जब तक कि प्रथम अध्यादेश नहीं बनाया जाता है, लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यादेश जैसा कि वे उक्त विश्वविद्यालय के स्थापित किये जाने के तत्काल पूर्व प्रवृत्त हों तथा इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, ऐसे अनुकूलनों तथा उपांतरणों के अधीन जिनका राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से उपबन्ध कर सकेगी, उसके लिए लागू होंगे :

परन्तु यह कि ऐसे किसी अध्यादेश के उपबंधों को इस अधिनियम एवं परिनियमों के उपबंधों के अनुरूप लाने के प्रयोजनार्थ, कुलाधिपति आदेश द्वारा अध्यादेशों के ऐसे अनुकूलन एवं उपांतरण को चाहे वे निरसन, संशोधन या जैसा आवश्यक या समीचीन हो, परिवर्धन के रूप में कर सकेगा कि अध्यादेश आदेश में विनिर्दिष्ट हो जाने की तारीख से इस प्रकार किये गये अनुकूलनों तथा उपांतरणों के अध्याधीन प्रभावी होंगे और ऐसे किसी अनुकूलन अथवा उपांतरण को प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा।

(3) इस खंड में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय कार्य परिषद समय-समय पर नए या अतिरिक्त अध्यादेशों को बना सकेगी अथवा उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट अध्यादेशों को संशोधित या निरस्त कर सकेगी:

परन्तु यह कि ऐसा कोई अध्यादेश नहीं बनाया जाएगा, जो-

(क) छात्रों के प्रवेश को प्रभावित करता हो या विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समकक्ष मानकर प्रदान की जाने वाली परीक्षाओं को अथवा विश्वविद्यालय की उपाधि के पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश हेतु धारा 45 की उपधारा (1) में उल्लिखित अतिरिक्त अर्हताओं को विहित करता है जब तक कि शैक्षिक परिषद द्वारा उसके प्रारूप को प्रस्तावित न किया गया हो; या

(ख) परीक्षकों की नियुक्ति एवं कर्तव्यों की शर्तों और पद्धति तथा परीक्षाओं के संचालन या मानक या अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम, सम्बंधित संकाय या संकायों के प्रस्ताव के सिवाय, प्रभावित करता हो और जब तक उस अध्यादेश के प्रस्ताव को विद्या परिषद द्वारा प्रस्तावित न किया गया हो; या

(ग) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं और परिलब्धियों अथवा विश्वविद्यालय के आय या व्यय को प्रभावित करता हो, जब तक कि उसके प्रारूप को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो।

(4) कार्य परिषद को उपधारा (3) के अधीन शैक्षिक परिषद द्वारा प्रस्तावित किसी प्रारूप को संशोधित करने की शक्ति प्राप्त नहीं होगी किन्तु वह उसे अस्वीकार कर सकेगी या ऐसे किसी संशोधन के साथ जिसे कार्य परिषद सुझाव दे या तो पूर्णतः या आंशिक रूप से पुनर्विचार किये जाने के लिए विद्या परिषद को लौटा सकेगी।

(5) कार्य परिषद द्वारा बनाए गए सभी अध्यादेश उस दिनांक से प्रभावी होंगे जिस दिनांक को वह निर्देशित करे और उसे यथासंभव शीघ्र कुलाधिपति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(6) कुलाधिपति किसी समय उपधारा (3) के परंतुक के खंड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेश को छोड़कर अन्य अध्यादेशों के सम्बंध में अपनी अस्वीकृति संज्ञापित कर सकेंगे और उस अस्वीकृति की सूचना कार्यपरिषद् द्वारा प्राप्त किये जाने के दिनांक से उक्त अध्यादेश शून्य हो जायेगा।

(7) कुलाधिपति यह निर्देशित कर सकते हैं कि उपधारा (3) के परंतुक के खंड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेश को छोड़कर अन्य किसी अध्यादेश का प्रवर्तन निलंबित कर सकते हैं जब तक कि उन्हें अस्वीकृति हेतु अपनी शक्ति का प्रयोग करने का अवसर न प्राप्त हुआ हो। इस उपधारा के अधीन निलंबन का आदेश उक्त आदेश के दिनांक से एक माह के समाप्त होने पर प्रभाव रखना बन्द कर देगा।

49-(1) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन विश्वविद्यालय का प्राधिकरण या अन्य निकाय विनियमों की रचना कर सकेगा, जिनमें :-

(क) बैठक में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति का गठन करने के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या को निर्दिष्ट किया जाये;

(ख) ऐसे सभी मामलों के लिए उपबन्ध करना जिन्हें इस अधिनियम, परिनियम अथवा अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित किया जाना चाहिए; तथा

(ग) उस प्राधिकरण या निकाय के सम्बंध में या किसी अन्य मामले के लिए उपबंध करना जिनके बारे में इस अधिनियम, परिनियमों एवं अध्यादेशों द्वारा उपबंध नहीं किया जाता है।

(2) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय द्वारा बनाए गए विनियमों में बैठकों की तिथियाँ और उनमें संव्यवहार किये जाने वाले कार्यों के सम्बंध में उसके सदस्यों को नोटिस देने के लिए और उन बैठकों में कार्यवाही के अभिलेखों को रखने के लिए उपबंध किये जा सकेंगे।

(3) कार्यपरिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण अथवा अन्य निकाय को यह निर्देशित कर सकेगी कि वह उस प्राधिकरण या निकाय द्वारा बनाये गये किसी विनियम को निर्देश में जैसा विनिर्दिष्ट किया जाये उस रूप में रद्द कर सकेगी या संशोधित कर सकेगी :

परन्तु विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकरण या अन्य निकाय, यदि ऐसे किसी निर्देश से असंतुष्ट हो तो कुलाधिपति से अपील कर सकेगा जो कार्यपरिषद् का मत प्राप्त करने के बाद ऐसे आदेशों को पारित कर सकेगा जिन्हें वह उपयुक्त समझे।

(4) विद्या परिषद् अध्यादेशों के उपबंधों के अध्याधीन विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा, उपाधि अथवा डिप्लोमा के अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए उपबन्ध करते हुए, विनियमों की विरचना संबंधित संकाय के परिषद् के प्रारूप को प्रस्तावित करने के पश्चात् ही कर सकेगी।

(5) विद्या परिषद् को उपधारा (4) के अधीन संकाय के परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी प्रारूप को संशोधित या अस्वीकार करने की शक्ति नहीं होगी, किन्तु वह उसे अपने निजी सुझावों के साथ अग्रेतर विचार करने के लिए परिषद् को लौटा सकेगी।

50-प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु कार्यपरिषद् के निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी तथा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

वार्षिक रिपोर्ट

अध्याय-नौ

वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा

51-(1) विश्वविद्यालय एक निधि की स्थापना करेगा जिसे विश्वविद्यालय निधि कहा जाएगा।

(2) विश्वविद्यालय निधि में निम्नलिखित घटक सम्मिलित होंगे:-

(क) राज्य सरकार, केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोई अंशदान या अनुदान;

विश्वविद्यालय
निधि, लेखा
और लेखा
परीक्षा

- (ख) फीस और शुल्क से आय सहित सभी स्रोतों से विश्वविद्यालय की आय;
 (ग) ऋण, उपहार, दान, बंदोंबस्ती, उपकार, वसीयत और अन्य अनुदान, यदि कोई हो, या अंतरण;
 (घ) राज्य सरकार की अनुमति से बैंकों से ऋण ली गई कोई राशि;
 (ङ) विश्वविद्यालय द्वारा किसी अन्य तरीके से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सभी धन।

(3) विश्वविद्यालय निधि को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में वित्त समिति की सिफारिशों पर कार्य परिषद के विवेक पर रखा जाएगा।

(4) विश्वविद्यालय की निधियों को विश्वविद्यालय के व्ययों, जिसमें उसकी शक्तियों के प्रयोग और उसके कार्यों के निर्वहन में किए गए व्यय शामिल हैं, को निर्देशानुसार सम्मिलित किया जायेगा।

(5) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और तुलन-पत्र को कार्यपरिषद के निर्देशानुसार वित्त समिति द्वारा तैयार किया जायेगा और चाहे जिस भी स्रोत से विश्वविद्यालय को अर्जित होने वाले अथवा प्राप्त सभी धन एवं संचरित अथवा संदत्त सभी धनराशियों की प्राविष्टि विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित खातों में की जायेगी।

(6) वार्षिक खातों और तुलन-पत्र की प्रति, राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, जो उसका अंकेक्षण करायेगी।

(7) वार्षिक सम्परीक्षित खातों एवं अंकेक्षण किये गये तुलन-पत्र को मुद्रित किया जाएगा और उसकी प्रतियां, कार्य परिषद द्वारा अंकेक्षण की रिपोर्ट की प्रतियों के साथ राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

(8) कार्यपरिषद ऐसी तारीख के पूर्व जिसे विहित किया जाए, आने वाले वर्ष के लिए बजट तैयार करेगी।

(9) उपरोक्त नये व्यय के प्रत्येक मद जिसे चिन्हित किया जाय, जिसका बजट में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित हो, कार्यपरिषद द्वारा वित्त समिति को निर्दिष्ट किया जाएगा जो उस पर संस्तुतियां कर सकती है।

(10) कार्यपरिषद वित्त समिति की संस्तुतियों, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात बजट का अंतिम रूप से अनुमोदन करेगी।

(11) कुलपति या कार्यपरिषद के लिए कोई व्यय उपगत करना विधिसम्मत नहीं होगा:-

(क) जो या तो बजट में स्वीकृत न हो अथवा जो विश्वविद्यालय को प्रदान की गयी निधियों की दशा में, बजट की स्वीकृति के पश्चात, राज्य सरकार या भारत सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या फाउंडेशन द्वारा, उस अनुदान के निबंधनों के सिवाय अन्य किसी प्रकार से प्रदान की जाने वाली निधियों की दशा में :

परन्तु यह कि धारा 12 की उपधारा (7) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कुलपति अग्नि, बाढ़, अतिवृष्टि या अन्य अचानक अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं और परिस्थितियों में, पांच लाख रुपये से अनाधिक अनावर्ती व्यय उपगत कर सकेगा, जिसकी बजट में स्वीकृति प्रदान न की गयी हो और वह उन सभी व्ययों के सम्बंध में राज्य सरकार को तत्काल सूचित करेगा;

(ख) कुलाधिपति के अथवा राज्य सरकार के ऐसे किसी भी आदेश के, जिसका इस अधिनियम के अधीन किया जाना तात्पर्यित हो, के विरोध में किसी वादकरण पर।

(12) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन वित्तीय पुस्तिका में वर्णित राज्य सरकार के सभी प्रासंगिक वित्तीय नियम लागू होंगे।

52-(1) धारा 9 के खंड (ग) से (ज) में से निर्दिष्ट कोई अधिकारी विश्वविद्यालय के किसी धन या संपत्ति की हानि, दुर्व्यय अथवा दुरुपयोजन के लिए अधिभार हेतु उत्तरदायी होगा, बशर्ते वह हानि दुर्व्यय अथवा दुरुपयोजन, उसकी अपेक्षा या कदाचार का सीधा परिणाम हो।

अधिभार

(2) ऐसी हानि, दुर्व्यय अथवा दुरुपयोजन में अन्तर्वलित अधिभार की प्रक्रिया और धनराशि की वसूली की रीति वह होगी जिसे विहित किया जाए।

अध्याय-दस

सम्बद्ध महाविद्यालयों का विनियमन

53-(1) सम्बद्ध महाविद्यालय का विनियमन परिनियमों द्वारा विहित किया जाएगा।

सम्बद्ध
महाविद्यालयों
का विनियमन

(2) किसी सम्बद्ध अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के सम्बंध में 'संपत्ति' में महाविद्यालय की सम्पत्ति सम्मिलित है जिसमें स्थावर एवं जंगम सम्पत्ति सम्मिलित है, जो उस महाविद्यालय से सम्बंधित हो या उस महाविद्यालय के लाभ के लिए पूर्णतः या आंशिक रूप से विन्यासित हो और जिसमें भूमि, भवन (छात्रावासों सहित), कार्यशाला, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, उपकरण, उपस्कर, फर्नीचर, स्टेशनरी, भण्डारण, जिसमें ऑटोमोबाइल और अन्य वाहन यदि कोई हो, और महाविद्यालय से संबंधित अन्य चीजें, हस्तगत रोकड़, बैंक में रोकड़, विनियोग, पुस्तकीय ऋण और अन्य सभी अधिकार एवं हित से उत्पन्न होते हैं, उस महाविद्यालय के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में हो सकते हैं और सभी लेखा पुस्तकें, पंजियां तथा उनसे सम्बंधित किसी प्रकृति के सभी दस्तावेज सम्मिलित हैं, और उनका महाविद्यालय के किसी प्रकार के सभी विद्यमान उधारियों, दायित्वों एवं बाध्यताओं का सम्मिलित किया जाना समझा जाएगा;

(3) 'वेतन' का तात्पर्य परिलब्धियों से है जिनके अनुज्ञेय कटौतियों के पश्चात किसी अध्यापक अथवा अन्य कर्मचारी को संदेय तत्समय महंगाई या अन्य कोई भत्ता सम्मिलित है।

54-यदि राज्य सरकार किसी सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय (राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पोषित महाविद्यालय को छोड़कर) के संबंध में सूचना प्राप्त करती है:-

नोटिस जारी
करने की
राज्य सरकार
की शक्ति

(एक) कि उसके प्रबंधतंत्र ने उस महाविद्यालय के शिक्षकों या अन्य कर्मचारियों के वेतन के संदाय में उस माह के पश्चात जिसके सम्बंध में या जिसके किसी भाग के सम्बंध में वह संदेय है, अगले माह के 20वें दिन तक संदाय करने में लगातार जानबूझकर व्यतिक्रम कारित किया है; अथवा

(दो) कि उसका प्रबंधतंत्र ऐसी अहंताओं को धारित करते हुए अध्यापक स्टाफ की नियुक्ति करने में विफल रहा है जो महाविद्यालय के संबंध में शैक्षणिक मानकों को बनाये रखने को सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक है। परिनियमों अथवा अध्यादेशों के उल्लंघन में किसी अध्यापक को नियुक्त किया है अथवा उसे सेवा में प्रतिधारित किया है; अथवा

(तीन) कि उसके प्रबन्ध तंत्र के विधिपूर्ण पदाधिकारी होने के लिए भिन्न व्यक्तियों द्वारा दावाकृत अधिकार के संबंध में किसी विवाद में महाविद्यालय के निर्बाध और व्यवस्थित प्रशासन को प्रभावित किया है; अथवा

(चार) कि उसका प्रबंधतंत्र महाविद्यालय को इतनी पर्याप्त और समुचित जगह, पुस्तकालय, फर्नीचर, स्टेशनरी, प्रयोगशाला, उपकरण तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने में लगातार विफल रहा है, जो महाविद्यालय के कुशल प्रशासन हेतु आवश्यक है; अथवा

(पांच) कि उसके प्रबंधतंत्र ने महाविद्यालय का अहित करने के लिए महाविद्यालय की संपत्ति को पर्याप्त रूप से व्यपवर्तन, दुरुपयोग, दुर्विनियोग किया है;

वह प्रबंधतंत्र को इस विषयक कारण बताने के लिए आहूत कर सकेगा कि क्यों न धारा 55 के अधीन आदेश किया जाये:

परन्तु यह कि जहां इस विषय पर विवाद हो कि प्रबंधतंत्र के पदाधिकारी कौन है, तो ऐसा होने का दावा करते हुए सभी व्यक्तियों को नोटिस जारी की जायेगी।

प्राधिकृत नियंत्रक

55-(1) यदि राज्य सरकार का, धारा 54 के अधीन प्रबंधतंत्र द्वारा दाखिल स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद यह समाधान हो जाता है कि उस धारा में उल्लिखित कोई आधार विद्यमान है, तो वह आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को दो वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जिसे विनिर्दिष्ट किया जाये, महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र का और प्रबंधतंत्र को पृथक कर उसकी संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है और जब कभी प्राधिकृत नियंत्रक इस प्रकार प्रबंधतंत्र का अधिग्रहण करता है तो उसे, केवल ऐसे प्रतिबंधों के अधीन, जिन्हें राज्य सरकार अधिरोपित कर सकेगी, उस महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र एवं उसकी संपत्ति के संबंध में उन सभी शक्तियों एवं प्राधिकार को प्राप्त करेगा जिसे प्रबंधतंत्र ने उस दशा में प्राप्त किया होता जब महाविद्यालय एवं उसकी सम्पत्ति को इस उपधारा के अधीन अधिग्रहीत न किया गया होता :

परन्तु यदि राज्य सरकार की राय हो कि महाविद्यालय के समुचित प्रबंधन और उसकी सम्पत्ति को सुनिश्चित बनाये रखने के उद्देश्य से ऐसा करना समीचीन है, तो वह समय-समय पर उस अवधि के लिए, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, आदेश के प्रवर्तन को विस्तारित कर सकेगा जैसा वह विनिर्दिष्ट करे, किन्तु इस प्रकार के आदेश के प्रवर्तन की अवधि जिसमें इस उपधारा के अधीन प्रारंभिक आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि को सम्मिलित किया गया है, 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी:

परन्तु अग्रेतर यह कि यदि 05 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति पर, उस महाविद्यालय का कोई विधिपूर्ण ढंग से गठित किया गया प्रबंधतंत्र न हो तो प्राधिकृत नियंत्रक उस रूप में कार्य करता रहेगा, जब तक कि राज्य सरकार का यह समाधान न हो जाये कि प्रबंधतंत्र का विधिपूर्ण ढंग से गठन किया गया है:

परन्तु यह भी कि राज्य सरकार किसी भी समय इस उपधारा के अधीन किए गए आदेश का प्रतिसंहरण कर सकेगी।

(2) जहाँ राज्य सरकार की धारा 54 के अधीन नोटिस जारी करते समय, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, यह राय हो कि महाविद्यालय के हित में तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, तो वह प्रबंधतंत्र को निलंबित कर सकेगी, जो उसके पश्चात् कार्य करना बंद कर देगी एवं वह ऐसे प्रबंध कर सकेगी जिसे वह महाविद्यालय के कार्यकलाप और उसकी सम्पत्ति का, अग्रेतर कार्यवाइयों के पूर्ण होने तक प्रबंध करने हेतु उचित समझे:

परन्तु यह कि ऐसा कोई भी आदेश उस आदेश के अग्रसर करने के प्रबंधतंत्र के वास्तविक अधिग्रहण की तारीख से 06 माह से अधिक अवधि के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा :

परन्तु यह और कि 06 माह की उक्त अवधि की संगणना में, वह समय जिसके दौरान आदेश के प्रवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के किसी भी आदेश द्वारा निलंबित किया गया था अथवा कोई भी अवधि जिसके दौरान प्रबंधतंत्र धारा 54 के अधीन नोटिस के अनुसरण में कारण बताने में असफल हुआ था, अपवर्जित की जायेगी।

(3) उपधारा (1) में कही गयी किसी भी बात का प्राधिकृत नियंत्रक पर राज्य सरकार अथवा भारत सरकार के महाविद्यालय के किसी अनुदान को प्राप्त करने की शर्त के सिवाय महाविद्यालय की किसी स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण करने (प्रबंधतंत्र के साधारण अनुक्रम में प्रत्येक माह किराये पर देने अथवा उस पर किसी प्रभार का सृजन करने के सिवाय) की शक्ति को प्रदान करने के रूप में अर्थान्वित नहीं किया जायेगा।

(4) इस धारा के अधीन दिये गये किसी आदेश का महाविद्यालय के अथवा उसकी संपत्ति के प्रबंध और नियंत्रण से संबंधित उत्तर प्रदेश राज्य की किसी अन्य अधिनियमिति में अथवा किसी लिखत में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होगा:

परन्तु यह कि महाविद्यालय की संपत्ति और उससे प्राप्त कोई भी आय ऐसे किसी लिखत में यथा उपबंधित महाविद्यालय के प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाती रहेगी।

(5) निदेशक, संस्कृति निदेशालय प्राधिकृत नियंत्रक को ऐसे निर्देश दे सकेगा जिन्हें वह महाविद्यालय अथवा उसकी संपत्ति के समुचित प्रबंध हेतु आवश्यक समझे और प्राधिकृत नियंत्रक उन निर्देशों का पालन करेगा।

56-धारा 55 में कही गयी कोई भी बात भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित एवं प्रशासित महाविद्यालयों पर लागू नहीं होगी।

57-(1) जहां किसी महाविद्यालय के संबंध में धारा 55 के अधीन आदेश पारित किया गया हो। वहाँ ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसका कब्जा या अभिरक्षा या जिसके नियंत्रण में महाविद्यालय की कोई भी संपत्ति हो सकेगी, प्राधिकृत नियंत्रक को उक्त सम्पत्ति तत्काल सौंप देगा।

(2) कोई व्यक्ति, जो उस आदेश की तारीख पर महाविद्यालय से अथवा उसकी संपत्ति से संबंधित किन्हीं पुस्तकों अथवा अन्य दस्तावेजों का कब्जा रखता है या उन्हें अपने नियंत्रण में रखता है, तो उक्त पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों के हिसाब किताब के लिए प्राधिकृत नियंत्रक के प्रति उत्तरदायी होगा और वह उसे या ऐसे व्यक्ति को जिसे प्राधिकृत नियंत्रक इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, उन्हें प्रदान करेगा।

(3) प्राधिकृत नियंत्रक महाविद्यालय या उसकी संपत्ति या उसके किसी भाग के कब्जा पर नियंत्रण के परिदान के लिए कलेक्टर के समक्ष आवेदन कर सकेगा और कलेक्टर उस महाविद्यालय या संपत्ति के कब्जे को प्राधिकृत नियंत्रक के लिए सुनिश्चित कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकेगा अथवा विशेष रूप से ऐसे शक्ति का प्रयोग कर सकेगा या प्रयोग करा सकेगा जो आवश्यक हो।

58-(1) जो कोई धारा 42 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, सिद्ध दोष हो जाने पर, ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन माह तक हो सकेगी अथवा अर्थदण्ड से, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति जो :-

(क) किसी ऐसे महाविद्यालय की किसी संपत्ति को अपने कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में रखते हुए, जिसके संबंध में धारा 55 के अधीन आदेश दिया गया हो, सदोष उस सम्पत्ति को उस धारा के अधीन नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक से अथवा उसके द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति से सदोष प्रतिधारित करता है; अथवा

(ख) उस महाविद्यालय की किसी संपत्ति का सदोष कब्जा प्राप्त करता है; अथवा

(ग) कोई पुस्तक या अन्य दस्तावेज, जो उसके कब्जे या अभिरक्षा या नियंत्रण में हो सकते हैं, प्रतिधारित करता है अथवा प्राधिकृत नियंत्रक या धारा 57 की उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को प्रदान करने में विफल हो जाता है; या

(घ) किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के सभी उपबंधों या उनमें से किसी को सम्यक् रूप से कार्यान्वित करने में जानबूझकर व्यवधान उत्पन्न करता है;

सिद्ध दोष किये जाने पर ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, या अर्थदण्ड से या दोनों से दंडित किया जाएगा:

परन्तु यह कि इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन किसी अपराध के विषय में विचार करते हुए न्यायालय अभियुक्त व्यक्ति के, सिद्ध दोष करने के समय न्यायालय द्वारा नियत किये जाने वाले समय के भीतर सदोष प्रतिधारित या सदोष प्राप्त कोई भी सम्पत्ति अथवा सदोष प्रतिधारित कोई भी पुस्तक या अन्य दस्तावेज परिदत्त या प्रतिदाय करने के लिए आदेशित कर सकेगा।

धारा 55
अल्पसंख्यक
महाविद्यालयों
पर लागू नहीं
होगा
प्राधिकृत
नियंत्रक को
कब्जे का
परिदान करने
का कर्तव्य

अपराध और
शास्तियां

न्यायालय द्वारा
संज्ञान

पंजीकृत
समितियाँ द्वारा
अपराध

59-कोई न्यायालय राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना धारा 58 के अधीन दंडनीय अपराध को संज्ञान में नहीं लेगा।

60-(1) यदि धारा 58 के अधीन अपराध कारित करने वाला व्यक्ति सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत सोसाइटी है, तो वह सोसाइटी और साथ ही अपराध कारित किये जाने के समय उसके कार्य के संचालन हेतु सोसाइटी प्रभारी और उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति को उस अपराध का दोषी माना जाएगा और वह अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दण्डित किये जाने के लिए उत्तरदायी होगा:

परन्तु यह कि इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को किसी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगी, यदि यह साबित हो जाता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना कारित किया गया था अथवा यह कि उसने उक्त अपराध कारित करने का निवारण करने के लिए सम्यक् प्रयास किया था।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी पंजीकृत सोसाइटी द्वारा कारित किया गया हो और यह सिद्ध हो जाये कि वह उस अपराध को सोसाइटी के किसी सदस्य की सहमति या दुरभिसंधि से कारित किया गया है अथवा यह कि अपराध का किया जाना सोसाइटी के किसी सदस्य के पक्ष में किसी अपेक्षा के कारण है तो उस सदस्य को भी उस अपराध का दोषी होना समझा जायेगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने एवं तदुसार जिम्मेदार सोसाइटी के किसी सदस्य की ओर से किसी अपेक्षा के लिए, ऐसे सदस्य को भी उस अपराध का दोषी होना समझा जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने एवं तदनुसार दण्डित किये जाने के लिए उत्तरदायी होगा।

अध्याय-ग्यारह

आकस्मिक रिक्तियां, राज्य सरकार द्वारा निर्देश और कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाना

आकस्मिक
रिक्तियों को भरा
जाना

61-(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के पदेन सदस्यों को छोड़कर सदस्यों में किसी आकस्मिक रिक्ति को ऐसी रीति से भरा जायेगा जिसमें सदस्य, जिनकी रिक्ति को भरा जाना है, चुना गया था और रिक्ति को भरने वाला व्यक्ति उस प्राधिकरण या निकाय का उस शेष अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिए उस व्यक्ति, जिसके स्थान को उसने भरा है, सदस्य रहा होता।

(2) व्यक्ति जो किसी अन्य निकाय के प्रतिनिधि के रूप में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य है चाहे वह विश्वविद्यालय का हो, या बाहर का, उस प्राधिकरण में अपना पद तब तक प्रतिधारित करेगा जब तक वह उस निकाय का सदस्य बना रहता है।

कार्यवाहियों को
रिक्तियों आदि
द्वारा
अविधिमान्य नहीं
बनाया जायेगा

62- विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय या समिति का कोई भी कार्य या कार्यवाही मात्र इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी-

- (क) उसके गठन में कोई रिक्ति या दोष हो, या
- (ख) कार्यवाही में भाग लेने पर कोई व्यक्ति, जो सेवा करने का हकदार नहीं था, या
- (ग) उसके सदस्य के रूप में कार्य करते हुए व्यक्ति के चुनाव, नामांकन या नियुक्ति में कोई दोष हो, या
- (घ) वाद के गुणावगुण को प्रभावित न करते हुए उसकी प्रक्रिया में कोई अनियमितता हो।

63-विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के किसी व्यक्ति की सदस्यता इस आधार पर स्वतः समाप्त हो जाएगी कि ऐसे व्यक्ति को नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है या इस आधार पर कि वह निंदनीय आचरण का दोषी है या उसने विश्वविद्यालय के किसी सदस्य के साथ अशोभनीय तरीके से व्यवहार किया है और उसी आधार पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या प्रदान की गई किसी डिग्री या प्रमाण-पत्र को वापस ले सकता है।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाना

64-(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या समिति की रसीद, आवेदन, नोटिस, आदेश या कार्यवाही या संकल्प की एक प्रति या विश्वविद्यालय के कब्जाधीन अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत बनाए गए किसी रजिस्टर में कोई प्रविष्टि यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित हों, ऐसी रसीद, आवेदन, आदेश कार्यवाहियों, संकल्प या दस्तावेज या रजिस्टर में प्रविष्टि के साक्ष्य को प्रथम दृष्टया साक्ष्य माना जायेगा और उसमें दर्ज मामलों को लेन-देन के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा जहां उसका मूल यदि पेश किया गया होता तो वह साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होता।

विश्वविद्यालय के अभिलेख के प्रमाण का तरीका

(2) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या सेवक से किसी कार्यवाही, जिसमें विश्वविद्यालय पक्षकार नहीं है, में विश्वविद्यालय का कोई दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी, जिसकी विषय-वस्तु उपधारा (1) के अधीन साबित की जा सकती है। किन्तु प्रमाणित प्रति या उसमें दर्ज मामलों और लेन-देन को साबित करने के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जायेगा, जब तक कि विशेष कारण के लिए न्यायालय का आदेश नहीं होता है।

65-(1) जहां किसी सम्बद्ध या मान्यताप्राप्त महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र का किसी अध्यापक को पदच्युत करने, हटाने, पदावनत करने या अन्य तरीके से उसे दण्डित करने या उसकी सेवाएं समाप्त करने का विनिश्चय कुलपति द्वारा अनुमोदित न हो और जहां ऐसे अध्यापक के निलंबन के आदेश को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कुलपति द्वारा रोक दिया गया हो, रद्द कर दिया गया हो या संशोधित किया गया हो, ऐसे अध्यापक के वेतन का भुगतान करने में प्रबंधतंत्र ने चूक किया है, जो कुलपति के आदेश के फलस्वरूप उसके लिए देय हो, वहाँ कुलपति एक ऐसा आदेश पारित कर सकता है, जिसमें प्रबंधतंत्र को वेतन का भुगतान करने के लिए आदेश दे सकता है, जैसा कि निलंबन अवधि के दौरान आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो और प्रबंधतंत्र से निलंबन अवधि के दौरान संदेय वेतन के एक तिहाई से निलम्बन भत्ता का भुगतान करने की भी अपेक्षा कर सकता है, यदि उक्त धनराशि संदत्त न की गयी हो।

प्रबन्धन के विरुद्ध अपना आदेश प्रवर्तित करने के लिए कुलपति की शक्ति

(2) ऐसे किसी मामले में जैसा कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट है कुलपति संबंधित अध्यापक की बहाली का आदेश ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन कर सकता है जो वह ठीक समझे।

(3) उपधारा (1) के अधीन कुलपति के आदेश के अधीन भुगतान किए जाने के लिए आवश्यक वेतन या निलंबन भत्ता की राशि उसके द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र पर कलेक्टर द्वारा भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।

(4) उपधारा (2) के अधीन कुलपति का प्रत्येक आदेश क्षेत्रीय अधिकारिकता वाले अवर सिविल न्यायालय द्वारा निष्पादन योग्य होगा जैसा कि उस न्यायालय की डिक्री हो।

(5) किसी भी प्रबंधतंत्र या अध्यापक के विरुद्ध किसी भी तरीके से कोई मुकदमा नहीं होगा जिसके लिए इस धारा के अधीन कुलपति द्वारा राहत दी जा सकती है।

66-अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली, परिनियमावली या विनियमावली के अनुसरण में कृत या किए जाने के लिए आशयित किसी कार्य के संबंध में राज्य सरकार या संस्कृति निदेशक या प्राधिकृत नियंत्रक या विश्वविद्यालय या उसके किसी अधिकारी, प्राधिकरण या निकाय के विरुद्ध कोई वाद या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं होगी।

वाद पर रोक

निर्देश जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति

67-(1) राज्य सरकार को समय-समय पर विश्वविद्यालय को निर्देश जारी करने की शक्ति होगी, जैसा कि इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों के अनुपालन के लिए आवश्यक हो।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार आवश्यकता पड़ने पर निम्नलिखित मामलों के संबंध में निर्देश जारी कर सकती है, अर्थात् :-

- (क) शुल्क और शुल्क;
- (ख) धन जुटाना और धन उधार लेना;
- (ग) पदसृजन और नियुक्तियाँ;
- (घ) वेतनमानों में संशोधन और वेतनमानों का उन्नयन ।

कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाना

68-यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति विधिवत रूप से नियुक्त किया गया है, या वह विश्वविद्यालय के किसी या अन्य निकाय का सदस्य होने का हकदार है, या क्या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का कोई निर्णय परिनियम या विनियम की विधि मान्यता से संबंधित कोई प्रश्न शामिल है, जो राज्य सरकार या कुलाधिपति द्वारा बनाया या अनुमोदित कोई परिनियम या अध्यादेश न हो, इस अध्यादेश या उसके अधीन बनाए गए परिनियमों या विनियमों के अनुरूप है तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर कुलाधिपति का निर्णय अंतिम होगा :

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन कोई निर्देश नहीं दिया जायेगा।

(क) उस तारीख के तीन महीने से अधिक समय के बाद जब पहली बार प्रश्न उठाया जा सकता था;

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी या पीड़ित व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा :

परन्तु यह और कि कुलाधिपति आपवादिक परिस्थितियों में-

(क) पूर्ववर्ती परंतुक में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के बाद स्वप्रेरणा से कार्य करे या किसी संदर्भ पर विचार करे;

(ख) जहां निर्दिष्ट तरीके से चुनाव के बारे में विवाद हो, और इस प्रकार चुने गए व्यक्ति की योग्यता संदेह में है, ऐसे आदेश पारित करे जो वह उचित और समीचीन समझे।

अध्याय-बारह

नामांकन डिग्री, डिप्लोमा और अन्य

नामांकन हेतु छात्रों की अर्हता

69-(1) कोई छात्र डिग्री के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि-

(क) वह उत्तीर्ण न हो-

(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा, जो तत्समय किसी भी विधि द्वारा वर्तमान में लागू हो; या

(दो) किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा कोई परीक्षा या उसके द्वारा प्रदत्त कोई डिग्री, जो विश्वविद्यालय द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष या विश्वविद्यालय की डिग्री के रूप में मान्यताप्राप्त परीक्षा या डिग्री हो; तथा

(ख) उसके पास ऐसी और योग्यताएं, अर्हताएं, यदि कोई हों, जैसा कि विनियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) जिन शर्तों के अधीन छात्रों को विश्वविद्यालय के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जा सकता है, वे विनियमों द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

(3) विश्वविद्यालय को (किसी डिग्री के अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए), अपनी स्वयं की डिग्री के समकक्ष किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई किसी डिग्री या इंटरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष परीक्षा और भारतीय विश्वविद्यालय या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा आयोजित किसी समकक्ष परीक्षा को मान्यता देने की शक्ति होगी।

(4) कोई भी छात्र जिसका कार्य या आचरण असंतोषजनक है, उसे अध्यादेश के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय या किसी संस्थान या संघटक महाविद्यालय या सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से हटाया जा सकता है।

70-कार्य परिषद विद्या परिषद की सिफारिश पर ऐसी डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण-पत्र और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं प्रदान कर सकती है जैसा कि निर्धारित किया जाय।

71-यदि, विद्या परिषद की सिफारिश पर कार्य परिषद के कम से कम दो तिहाई सदस्यों ने सिफारिश की है कि किसी व्यक्ति को इस आधार पर मानद उपाधि या अन्य शैक्षणिक सम्मान प्रदान किया जाए कि वह उनकी राय में प्रतिष्ठित पद और उपलब्धियों के कारण उपयुक्त और उत्तम व्यक्ति है जो ऐसी उपाधि या अन्य शैक्षणिक विशिष्टता प्राप्त करने हेतु कुलाधिपति द्वारा सिफारिश की पुष्टि की गयी हो, कार्य परिषद् ऐसे व्यक्ति को उससे किसी परीक्षा से गुजरने की अपेक्षा के बिना मानद डिग्री या अन्य शैक्षणिक विशिष्टता प्रदान कर सकती है, जिसकी सिफारिश की गई है।

72-(1) कुलाधिपति कार्य परिषद की सिफारिश पर, नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दिए गए किसी सम्मान, डिग्री, डिप्लोमा या विशेषाधिकार को प्रत्याहृत कर सकता है या यदि वह कार्य परिषद की कुल सदस्यों के बहुमत से और उपस्थित और मतदान करने वाले कार्य परिषद के सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा घोर कदाचार का दोषी रहा है।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि उसे प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का अवसर न दिया गया हो।

(3) कार्य परिषद् द्वारा इस प्रकार पारित संकल्प तत्काल लागू होगा और उसकी प्रति संबंधित व्यक्ति को भेजी जाएगी।

अध्याय-तेरह

अस्थायी उपबंध

73-(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व की तारीख को विद्यमान विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी के रूप में पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यकाल की समाप्ति तक उसी नियम और शर्तों पर पद धारण करता रहेगा।

(2) राज्य सरकार इस अधिनियम के पारित होने के तुरंत बाद या यथाशक्य शीघ्र एक महीने की अवधि के भीतर, कुलसचिव और वित्त अधिकारी की नियुक्ति करेगी।

74-(1) किसी विद्यमान विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकरण इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद यथाशीघ्र इस अधिनियम के अनुसार गठित किया जाएगा और इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पूर्व ऐसे प्राधिकरण के सदस्य के रूप में पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को सदस्य होने से प्रविरत हो जायेगा।

उपाधि,
डिप्लोमा और
अन्य शैक्षणिक
विशिष्टता
मानद उपाधि

डिग्री या
डिप्लोमा का
प्रत्याहृतण
किया जाना

विश्वविद्यालय
के विद्यमान
अधिकारियों की
निरंतरता

प्राधिकरणों के
गठन के लिए
संक्रमणीय
उपबंध

(2) जब तक उपधारा (1) के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का गठन नहीं किया जाता है, तब तक राज्य सरकार समय-समय पर आदेश द्वारा निर्देश दे सकती

है कि इस अधिनियम के अधीन प्रयोक्तव्य या निर्वहन करने योग्य शक्तियों, कर्तव्यों तथा कृत्यों का प्रयोग और निस्तारण किसके द्वारा और किस तरीके से किया जा सकता है।

(3) धारा 11 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा प्रथम कुलपति की नियुक्ति इस अधिनियम के पारित होने के बाद यथाशक्य शीघ्र अनधिक तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसे नियमों और शर्तों पर की जाएगी जो राज्य सरकार उचित समझे।

(4) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रथम कुलपति को सलाहकार समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें उच्च शिक्षा, शिक्षा (कला संगीत और संस्कृति), प्रशासन, निर्माण, कम्प्यूटर के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले और विधि (जिला न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त व्यक्ति) और वित्त तथा विश्वविद्यालय के सुचारू कामकाज के लिए आवश्यक अन्य संबंधित क्षेत्रों के व्यक्ति राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(5) प्रथम कुलपति का निम्नलिखित कर्तव्य होगा:-

(क) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों के गठन की व्यवस्था, उसकी नियुक्ति के दिनांक के पश्चात् छः महीने के भीतर करना;

(ख) कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से प्रथम परिनियमावली, अध्यादेश या विनियमावली द्वारा उपबंधित न किये गये किसी मामले का उपबंध करना;

(ग) औपबंधिक प्राधिकरणों तथा निकायों का गठन करना और उनकी संस्तुतियों के आधार पर विश्वविद्यालय के कार्य संचालन का उपबंध करते हुए नियमावली बनाना;

(घ) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन और नियंत्रण से ऐसी वित्तीय व्यवस्था करना जैसा कि इस अधिनियम या उसके किसी भाग के उत्तम क्रियान्वयन हेतु आवश्यक हो;

(ङ) अपने ऐसे कृत्यों का निर्वहन करने के लिए जैसा वह निर्देश दे कोई समितियां नियुक्त करना जैसा कि वह उचित समझे; और

(च) सामान्यतः इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या तद्दीन कार्य परिषद को प्रदत्त सभी या किसी शक्ति का प्रयोग करना।

(6) सलाहकार समिति का कार्यकाल इस धारा की उपधारा (4) और (5) में यथा प्रदत्त प्रथम कुलपति का कर्तव्य और उसकी शक्तियां उसके कार्यकाल के लिए सह-विस्तारी होंगी।

अध्याय-चौदह

अनुपूरक उपबंध

कठिनाइयां दूर करने की राज्य सरकार की शक्ति

75—यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवृत्त करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों से संगत ऐसे उपबंध कर सकती है, जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

76—(1) विश्वविद्यालय, अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से ऐसी समितियां का गठन कर सकता है, जो इसके लिए अपेक्षित हों।

(2) ऐसी समिति का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जो विहित किए जाएं।

77-इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यक्षीन कुलपति शिकायत से संबंधित तथ्यों को एकत्र करने के लिए इस रीति से एक आंतरिक समिति का गठन कर सकता है और एक निर्धारित समय सीमा के भीतर सकारण आदेश पारित कर सकता है।

शिकायत
निवारण तंत्र

78-(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यक्षीन, जब तक विश्वविद्यालय के कृत्यों के लिए परिनियमावली, अध्यादेश और विनियमावली नहीं बनाए जाते हैं तब तक अध्यापन और अध्यापनेतर कर्मचारिवर्ग के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई, पदोन्नति, वित्तीय लेनदेन या किसी अन्य मामले, जो विश्वविद्यालय से संबंधित हों, के संबंध में सरकारी नियमावली लागू होगी।

प्रकीर्ण

(2) विश्वविद्यालय में प्रत्येक अध्यापन एवं अध्यापनेतर पद का सृजन राज्य सरकार की पूर्वानुमति से किया जायेगा।

79-(1) संस्कृति अनुभाग का शासनादेश संख्या- 274/चार-201-11(12)/83, दिनांक

निरसन और
व्यावृत्ति

18 अप्रैल, 2001 और भातखण्डे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2022 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2022) एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्वोक्त शासनादेश के अधीन कृत समस्त नियुक्तियाँ, जारी आदेश, प्रदान की गयी उपाधि या डिप्लोमा या जारी किए गए प्रमाण-पत्र, दिये गये विशेषाधिकार या कृत अन्य चीजें (स्नातकों के पंजीकरण सहित) इस अधिनियम के समान उपबंधों के अधीन क्रमशः किये गये, जारी किये गये, प्रदत्त, दिये गये या किये गये समझे जायेंगे और इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय तब तक प्रवृत्त रहेंगे, जब तक इस अधिनियम के अधीन कृत किसी आदेश द्वारा उन्हें अधिक्रान्त नहीं किया जाता है। इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व कृत चयन समिति की समस्त कार्यवाहियाँ, प्रबंधतंत्र की समस्त कार्यवाहियाँ या ऐसी चयन समिति की संस्तुति के आधार पर कृत कार्यवाहियाँ, जहाँ इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व उसके आधार पर नियुक्ति का कोई आदेश पारित न किया गया हो, इस बात के होते हुए कि चयन प्रक्रिया इस अधिनियम द्वारा संशोधित कर दी गयी है, विधिमान्य समझे जायेंगे, किन्तु ऐसे लम्बित चयनों के संबंध में अग्रतर कार्यवाही इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार की जायेगी और प्रक्रम से जारी रहेगी जिस प्रक्रम पर वे उक्त प्रारंभ के ठीक पूर्व विद्यमान थीं।

(3) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध, सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश में संगीत और कला के विकास की अपार संभाव्यता है। संगीत और कला में विशेष रूचि रखने वाले छात्रों और भविष्य में इसे एक व्यावसायिक वृत्ति के रूप में अंगीकृत करने की अभिरूचि रखने वालों के लिए राज्य में न केवल कला, संगीत और सांस्कृतिक क्रियाकलापों के विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण की आवश्यकता है, बल्कि कला और संगीत को एक व्यवसाय के रूप में चयन करने का उन्हें विकल्प प्रदान करने की भी आवश्यकता है।

कला और संगीत के क्षेत्र में अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना करके नवोदित छात्रों को उत्तम शिक्षा तथा प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने और कला, संगीत एवं संबंधित शाखा विषयक पाठ्यक्रमों में आधारभूत शिक्षा के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण अंगीकृत करने के उद्देश्य से कला, संस्कृति और उस क्षेत्र के युवाओं के निमित्त नियोजन संबंधी अवसर सृजित करने के अभिनव आयामों वाले छात्रों में कौशल तथा भौतिक अभिरूचि की अभिवृद्धि करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में विद्यमान भातखण्डे संगीत सम विश्वविद्यालय, लखनऊ का उच्चीकरण तथा पुनर्निर्माण करने और उससे संबंधित तथा अनुषांगिक मामलों की दृष्टि से एक अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तारण विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने का विनिश्चय किया गया था।

चूंकि राज्य विधानमण्डल सत्र में नहीं था और उपरोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 06 जनवरी, 2022 को भातखण्डे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2022 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2022) प्रख्यापित किया गया।

पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Bhatkhande Sanskriti Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2022 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 2 of 2022) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on June 3, 2022. The Sanskriti Anubhag is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE BHATKHANDE SANSKRITI VISHWAVIDYALAYA

ACT, 2022

(U.P. Act no. 2 of 2022)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to establish and incorporate a teaching, research and extension University with a view to upgrade and reconstitute the existing Bhatkhande Music Institute Deemed University, Lucknow in the State of Uttar Pradesh and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

It IS HEREBY enacted in the Seventy third Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Bhatkhande Sanskriti Vishwavidyalaya Act, 2022. Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from January 6, 2022.

2. In this Act unless the context otherwise requires: Difinitions

a. "Academic Council", means the Academic Council of the University constituted under section 22;

b. "Affiliated College" means an institution affiliated to the University in accordance with the provisions of this Act and Statutes of the University;

c. "Autonomous College" means an affiliated or recognized college declared as such in accordance with the provisions of section 40;

d. "Chancellor" means the Chancellor of the University;

e. "Constituent College" means an institution maintained by the University and named as such by the Statutes;

f. "Director" in relation to an Institute, means the head of such Institute;

g. "Executive Council" means the Executive Council of the University constituted under section 19;

h. "Existing University" means Bhatkhande Music Institute Deemed University;

i. "Faculty" means a faculty of the University;

j. "Foundation course" means a course of greater awareness of oneself and of the social cultural and natural environment;

k. "Hall" means a unit of residence for students maintained or recognized by the University in which provision is made for imparting tutorial and other supplementary instructions;

l. "Hostel" means a unit of residence for students maintained or recognized by the University, other than a hall, and "hostel of an affiliated or

recognized college” means a unit of residence for students of that college;

m. “Institute” means an Institute established by the University under section 41;

n. “Management” in relation to an affiliated or recognized college means the Managing Committee or other body charged with managing the affairs of that college and recognized as such by the University;

o. “Other Backward Classes of citizens” shall have the same meaning as in the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994;

p. “Prescribed” means prescribed by the Statutes;

q. “Principal” in relation to an affiliated, recognized or a constituent college means the head of such college and includes, the person for the time being duly appointed to Act as Principal, and in the absence of the Principal or Acting Principal, a Vice-Principal duly appointed as such;

r. “Registrar” means the Registrar of the University appointed under section 14;

s. “Recognized College” means any institution recognized by the University and authorized under the provisions of this Act and the Statutes of the University to provide for the teaching necessary for admission to a degree of the University;

t. “Secretary” means the Principal Secretary or the Secretary, as the case may be, of the concerned Department of the Government of Uttar Pradesh;

u. “Self finance course” means a course with respect to which all financial liabilities shall be borne by the Management of an recognized or affiliated college or by the University;

v. “Senior officers of the State” means officers of the Provincial Service of Uttar Pradesh posted in the University by the State Government;

w. “Statutes”, “Ordinances” and “Regulations” means respectively the Statutes, Ordinances and Regulations of the University;

x. “Teacher” means Professor, Associate Professor, Assistant Professor imparting instructions or guiding research in the University or a Constituent College or Affiliated College or a Recognized College or Institute of the University or such other persons as may be declared to be the teacher by the Statutes;

y. “University” means the Bhatkhande Sanskriti Vishwavidyalaya established under section 3;

z. “Vice Chancellor” and “Pro-Vice Chancellor” means the Vice Chancellor and Pro-Vice Chancellor of the University appointed under sections 11 and 13 respectively.

CHAPTER II

THE UNIVERSITY

3. (1) With effect from such date as the State Government may, by notification in the Gazette appoint, there shall be established in the State of Uttar Pradesh a University by the name of "Bhatkhande Sanskriti Vishwavidyalaya".

Establishment
and
Incorporation
of the University

(2) With effect from the date of commencement of this Act, the Bhatkhande Music Institute Deemed University shall cease to function as such, and all the assets and liabilities of the said Deemed to be University shall stand transferred to the University.

(3) The University shall be a body corporate. The Chancellor, the Vice-Chancellor, the members of the Executive Council and the Academic Council for the time being holding office as such in the University shall constitute the body corporate.

(4) The headquarter of the University shall be at Lucknow.

(5) The University shall have perpetual succession and a common seal, and shall sue and be sued by its name.

(6) In relation to the University to be established under sub-section (1):-

(a) the State Government shall appoint interim officers of the said University and shall constitute interim authorities of such University in such manner as it thinks fit;

(b) the officers appointed and members of the authorities constituted under clause (a) shall hold office until the appointment of officers or the constitution of the authorities in accordance with clause (c) or such other earlier date as may be specified by the State Government in this behalf:

Provided that the State Government may, by notification, extend the term of the members of such authorities for a period not exceeding one year.

(c) the State Government shall take steps for the appointment of officers and constitution of authorities of such University in accordance with the provisions of this Act, so that the same may be completed before the expiry of the respective terms of the interim officers and members under clause (b).

4. The objectives of the University shall be :-

Objectives of the
University

(i) to provide for instruction and training in all branches of Music, Art and Culture in India in order to achieve highest standard in education of Music, Art and Culture and to disseminate the same in society at large;

(ii) to facilitate research for the advancement and dissemination of knowledge in order to promote Indian Classical Music, Art and Culture, in India and abroad, and to establish new campus of University in India and abroad in order to achieve this goal;

(iii) to undertake extra mural studies, extension programs and field outreach activities in order to contribute to the development of society;

(iv) to own, manage, and develop as an institution for the advancement of Classical Music, open to all irrespective of caste, creed, race, and religion,

economic position or social status;

(v) to bring about musical, intellectual, emotional and ethical integration of an individual possessing the basic values of humanism, secularism, and democracy; capable of giving a fuller response to social and environmental challenges, and having a strong character and high ethical standard;

(vi) to organise and impart excellent music education in classical, vocal and instrumental forms and dance education in classical as well as contemporary forms;

(vii) to nurture a musical temper and train a person in practical music and musicology to make the individual better suited to the increasingly music oriented society of the day;

(viii) to promote the study of cultural heritage and provide a musical background for retaining human touch so as to mellow down the harshness of a mechanical world;

(ix) to promote, preserve and encourage the folk music and dances of India;

(x) to facilitate research in Science of Music and all the three branches of Indian Classical Music, Vocal, Instrumental and Dancing;

(xi) to collect and preserve the best classical compositions in the form of tapes, records, manuscripts, photographs, instruments, costumes and ornaments etc.;

(xii) to organize and conduct short term and refresher courses, summer camps etc. and invite experts and research scholars from within the country and abroad for delivering lectures regarding the promotion of Indian Culture;

(xiii) to offer job oriented diploma and certificate courses in the field of performing arts, film making, visual arts, archaeology, musicology and archives;

(xiv) to produce, direct and perform music programmes before the public and music connoisseurs as a part of training and promotion of Indian Music as well as for the promotion of the other objectives of the University;

(xv) to introduce various courses regarding teaching and learning in the field of Choreography, Script writing, Cinematography, Music Composition, Lyrics Writing, Song Recordings, Music Designing, Anchoring, Costume Designing, Make-up, Light Designing, Instrument making and to promote programmes based on Indian Culture;

(xvi) to publish a Research Journal of international standards with a view to preserve and promote Indian Music, Arts and Culture;

(xvii) to invite respected vocalists, instrumentalists, dance maestro, drawing and painting artists, and subject experts from the field of museum, archaeology and archives to impart training in workshops; and to create study material for audio visual library of the Institute as well as to help in developing the extra-curricular activities par excellence;

(xviii) to collect, evaluate and preserve the best classical compositions, manuscripts, photographs, instruments, costumes, ornaments, audio-video recordings, etc;

(xix) to promote, preserve and pave the way for performance and research of folk culture of Uttar Pradesh and India;

(xx) to collect, evaluate and preserve the best classical compositions, manuscripts, photographs, instruments, costumes, ornaments, audio-video recordings, etc;

(xxi) to foster cultural and academic contacts within India and abroad through cultural and academic exchange programs with a view to facilitate

students, teachers, and to conduct research for their foreign visits to attend seminars and performances as well as to give advancement to their studies;

(xxii) to grant affiliation and to enter into Memorandum of Understanding (MoUs) with the Universities, museums and Academies of the same nature from different States of India and other countries of abroad;

(xxiii) to establish a Research and Documentation Cell in University to enrich pure Indian classical music, accessible to the world by way of both real and virtual teaching in the digital era of globalization;

(xxiv) to promote and encourage Guru Shishya Prampara tradition of Indian Culture;

(xxv) to initiate research in Music as a therapy and to promote and encourage inter-disciplinary researches therein;

(xxvi) to establish inter-departmental cultural academic exchange programme and courses with any similar Universities or Institutes;

(xxvii) to prepare professional courses of highest academic level synthesising music, art, culture and tourism to promote employment;

(xxviii) to sign M.O.U. with different Pilgrimage Development Boards established or to be established by the Government of Uttar Pradesh for granting Degree, Diploma, for participation in research and cultural activities and also to have co-operation with other activities of these Boards in order to promote cultural diversity;

(xxix) to set up a separate faculty for study and research in traditional theatre of different cultural zones of Uttar Pradesh i.e., Awadh, Poorvanchal, Bundelkhand, Braj and Pashchimanchal Uttar Pradesh, etc;

(xxx) to promote study of and to establish centres related to Uttar Pradesh Classical Gharanas, and classical and folk music in countries like Mauritius, Surinam, Trinidad, etc;

(xxxi) to facilitate scholarships to those students of the University, who are pursuing their further studies abroad in the field of music, arts and culture;

(xxxii) to facilitate students to achieve different fellowships;

(xxxiii) to set up a mega auditorium for performance and a digitals studio, well-equipped with modern facilities and techniques for music composing, editing, dubbing and other related works. along with a mini auditorium to promote performing skills among the students and artists, by way of workshops and seminars/symposias and exhibition gallery for various exhibitions;

(xxxiv) to set up a modern library, digitally equipped library for studies and other similar works;

(xxxv) to set up a museum of rare instruments related to folk, tribal and contemporary music, art and culture;

(xxxvi) to felicitate the reputed and distinguished personalities of the State of Uttar Pradesh, of India and abroad to give them proper recognition of their lifelong works and achievements to music art and culture, and to develop a sense of responsibility among the students and research scholars of the University so that they can serve the society in fields of music and arts by developing skills in respect thereof;

(xxxvii) to organize lectures, seminars, symposia and conferences to make music and arts with efficient instruments of socio-cultural and

Powers and
Functions of the
University

academic development;

(xxxviii) to hold examinations and confer degrees and other academic distinctions;

(xxxix) to do all such other acts and things as may be necessary or desirable to further the objects of the University.

5. The University shall have the following powers and functions, namely,-

(i) to provide for instruction in such branches of learning as the University may think fit, and to make provisions for research and for the advancement and dissemination of knowledge of art and culture;

(ii) to admit any college to the privileges of affiliation or recognition or to enlarge the privileges of any college already affiliated or recognized, as the case may be, or to withdraw or curtail any such privilege and to guide and control the work of affiliated and recognized colleges.

(iii) to confer degrees, diplomas and other academic distinctions;

(iv) to hold examination for, and to grant and confer degrees, diplomas and other academic distinctions to and on persons, who:-

(a) have pursued a course of study in the University, a constituent college or an affiliated college, or recognized college; or

(b) have carried on research in the University or in an institution recognized in that behalf by the University or independently, under conditions laid down in the Statutes and the Ordinances; or

(c) have pursued a course of study by correspondence whether residing within the area of the University or not, and have been registered by the University as external candidates, subject to such conditions as may be laid down in the Statutes and Ordinances; or

(d) are teachers or other employees in the University or in an Institute or in a constituent or affiliated or recognized college or in any other educational institution under conditions laid down in the Statutes and the Ordinances, and have carried on private studies under the conditions laid down in the Statutes and the Ordinances; or.

(e) are persons residing within the area of the University and have carried on private studies under conditions laid down in the Statutes and Ordinances; or

(f) are blind and are residing within the area of the University and have carried on private studies under conditions laid down in the Statutes and the Regulations;

(v) to grant such diplomas to, and to provide such lectures and instructions for persons, not being students of the University, as the University may determine;

(vi) to co-operate and collaborate with other Universities and authorities in such manner and for such purposes as the University may determine;

(vii) to institute teaching posts required by the University and to appoint persons to such posts;

(viii) to recognize teachers for giving instruction in halls;

(ix) to lay down the conditions of affiliation or recognition of colleges and to satisfy itself by periodical inspection and otherwise that those conditions are satisfied ;

(x) to institute and award scholarships, fellowships (including travelling fellowship), studentships and prizes in accordance with the Statutes and the Ordinances;

(xi) to institute and maintain halls and hostels and to recognize places of residence for students of the University, the Institutes or the constituent or recognized colleges affiliated; or

(xii) to demand and receive such fees and other charges as may be fixed by the Ordinances;

(xiii) to supervise and control the residence and to regulate the discipline of students of the University, the Institute and the constituent or affiliated or recognized colleges and to make arrangements for promoting their health;

(xiv) to publish books, monographs, periodicals and papers in various subjects taught in the University, the Institute and the constituent or affiliated or recognized colleges;

(xv) to raise loans;

(xvi) to receive grants, subventions, subscriptions, donations, and gifts for the purpose of the University and consistent with the objectives for which the University is established;

(xvii) to acquire, hold, manage and dispose of any property, movable or immovable, including trust and endowment properties for the purposes of the University;

(xviii) to create administrative, ministerial and other necessary posts and to make appointments thereto; and

(xix) to do all such acts and things, whether incidental to the powers aforesaid or not as may be requisite in order to further the objects of the University

6. The jurisdiction of the University shall extend to the whole of the State of Uttar Pradesh. Jurisdiction

7. (1) The University shall be open to all persons (including the teachers and students) of whatever race, religion, caste, creed, class or sex: University open
to all classes
Castes and creed

(2) The University shall not admit to any course of study a larger number of students than may be determined by the Statutes and Regulations:

Provided that nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making special provisions for admission of students belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or Other Backward Classes of citizens.

CHAPTER-III INSPECTION AND INQUIRY

Visitation

8. (1) The State Government, shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as it may direct, of the University or any constituent college or any Institute maintained by the University including its buildings, libraries, laboratories, workshops and equipment and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University or such colleges or Institute or to cause an inquiry to be made in the like manner in respect of any manner connected with the administration and finances of the University or such college or such Institute.

(2) Where the State Government decides to cause an inspection or inquiry to be made under sub-section (1), it shall inform the University of the same through the Registrar, and any person nominated by the Executive Council may be present at such inspection or inquiry as representative of the University and he shall have the right to be heard as such:

Provided that no legal practitioner shall appear, plead or act on behalf of the University at such inspection or inquiry.

(3) The person or persons appointed as per Statutes to inspect or inquire under sub-section (1) shall have all the powers of a Civil Court, while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908, (Act no. 5 of 1908) for the purpose of taking evidence on oath and enforcing the attendance of witnesses and compelling production of documents and material objects, and shall be deemed to be a Civil Court within the meaning of sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) and any proceeding before him or them shall be deemed to be judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of 1860).

(4) The State Government shall address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry, and the Vice-Chancellor shall communicate to the Executive Council the views of the State Government with such advice as the State Government may offer upon the action to be taken thereon.

(5) The Vice-Chancellor shall then, within such time as the State Government may fix, submit to it a report of the action taken or proposed to be taken by the Executive Council.

(6) If the University authorities do not within a reasonable time, take action to the satisfaction of the State Government, the Government may after considering any explanation which the University authorities may furnish, issue such directions as it may think fit, and the University authorities shall be bound to comply with such directions.

(7) The State Government shall send to the Chancellor a copy of every report of an inspection or inquiry caused to be made under sub-section (1), of every communication received from the Vice-Chancellor under sub-section (5), of every direction issued under sub-section (6), and also of every report or information received in respect of compliance or non-compliance with such direction.

(8) Without prejudice to the provisions of sub-section (6) if the Chancellor, on consideration of any document or material referred to in sub-section (7) of this section including any report of an inquiry held before the commencement of this Act is of opinion that the Executive Council has failed to carry out its functions or has abused its powers, he may, after giving it an opportunity of submitting a written explanation order that in supersession of the said Executive Council, an *ad hoc* Executive Council consisting of the Vice-Chancellor and such other persons not exceeding ten in number as the Chancellor may appoint in that behalf including any member of the superseded Executive Council shall for such period not exceeding two years as the Chancellor may from time to time specify and subject to the provisions of sub-section (11), exercise and perform all the powers and functions of the Executive Council under this Act.

(9) Nothing in section 19 shall apply to the composition of the *ad-hoc* Executive

Council that may be constituted under sub-section (8).

(10) Upon an order being made under sub-section (8), the term of office of all members of the Executive Council superseded thereby, including *ex-officio* members shall cease and all such members shall vacate their offices as such.

(11) During the period of operation of an order under sub-section (8), the provisions of this Act, shall have effect subject to the following modifications, namely:-

(a) in section 19, after sub-section (5), the following sub-section shall be deemed *inserted*:

“(6) A meeting of the Executive Council shall be held at least once every two months:”

(b) in section 20, in sub-section (1), after the words “subject to the provisions of this Act”, the words “and subject also to the control of the Chancellor” shall be deemed *inserted*;

(12) A fresh Executive Council shall be constituted in accordance with the provisions of section 19 with effect from the expiration of the period of operation of an order under sub-section (8).

(13) Any Statute, Ordinance, Regulation or other rules made during the period of operation of an order under sub-section (8), in accordance with the provisions of this Act, as deemed modified by virtue of the provisions of sub-section (11) shall, notwithstanding the expiration of such period, continue in force until amended, repealed or rescinded in accordance with the provisions of this Act.

CHAPTER-IV

OFFICERS OF THE UNIVERSITY

9. The following shall be the officers of the University

Officers of the University

- (a) the Chancellor;
- (b) the Vice-Chancellor;
- (c) the Registrar;
- (d) the Finance Officer;
- (e) the Controller of Examinations;
- (f) the Deans of the Faculties;
- (g) the Dean of Students Welfare;

(h) such other officers as may be declared by the Statutes to be the officers of the University.

10. (1) The Governor shall be the Chancellor of the University. He shall, by virtue of his office, be the Head of the University.

The Chancellor

(2) Every proposal for the conferment of an honorary degree shall be subject to the confirmation of the Chancellor.

(3) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to furnish such information or records relating to the administration of the affairs of the University as the Chancellor may call for.

(4) The Chancellor shall have such other powers as may be conferred on him by or under this Act or the Statutes.

11. (1) The Vice-Chancellor shall be whole-time salaried officer of the University and shall be appointed by the Chancellor except as provided by sub-section (5) or sub-section (10) from amongst the persons whose names are submitted to him by the Committee constituted in accordance with the provisions of sub-section (2).

The Vice-Chancellor

(2) The Committee referred to in sub-section (1) shall consist of the following members, namely-

(a) one person (not being a person connected with the University, an Institute and a constituent college, a recognized or affiliated college or a hall or hostel, or any authorities of the University) to be nominated by the Executive Council at least three months before the date on which a vacancy in the office of the Vice-Chancellor is due to occur by reason of expiry of his term:

Provided that if any member of the Executive Council, including the Vice Chancellor, is an applicant for the post of Vice-Chancellor he shall recuse the said meeting while discussing the agenda point of this issue.

(b) one person who is a sitting judge of the High Court of Judicature at Allahabad including the Chief Justice thereof nominated by the said Chief Justice ; and

(c) one person to be nominated by the Chancellor who shall also be the convener of the Committee:

Provided that where the Executive Council fails to nominate any person in accordance with clause (a), then the Chancellor shall nominate in addition to the person nominated by him under clause (c), one person in lieu of the representative of the Executive Council.

(3) The Committee shall, as far as may be, at least ninety days before the date on which a vacancy in the office of the Vice-Chancellor is due to occur by reason of expiry of term or resignation under sub-section (7), and also whenever so required and before such date as may be specified by the Chancellor, submit to the Chancellor the names of not less than three and not more than five persons suitable to hold the office of the Vice-Chancellor. The Committee shall while submitting the names, also forward to the Chancellor a concise statement showing the academic qualifications and other distinctions of each of the persons so recommended in English alphabetical order, which shall not indicate any order of preference.

(4) Where the Chancellor does not consider any one or more of persons recommended by the Committee to be suitable for appointment as Vice-Chancellor or if one or more of the persons recommended is or are not available for appointment and the choice of the Chancellor is restricted to less than three persons, he may require the Committee to submit a list of fresh names in accordance with sub-section (3).

(5) If the Committee in the case referred to in sub-section (3) or sub-section (4) fails or is unable to suggest any names within the time specified by the Chancellor, or if the Chancellor does not consider any one or more of the fresh names recommended by the Committee to be suitable for appointment as Vice-Chancellor then another Committee consisting of three persons of academic eminence shall be constituted by the Chancellor which shall submit the names in accordance with sub-section (3).

(6) No act or proceeding of the Committee shall be invalidated merely by reason of the existence of a vacancy or vacancies among its members or by reason of some person having taken part in the proceedings who is subsequently found not to have been entitled to do so.

(7) (a) Only such person shall be eligible for appointment to the office of Vice Chancellor who has not attained the age of sixty-five years;

(b) The Vice-Chancellor shall hold the office for a term of three years from the date he enters upon his office or till he attains the age of sixty eight years whichever is earlier;

(c) The Vice-Chancellor who has not attained the age of sixty-five years may be appointed as such for second term:

Provided that the Vice-Chancellor may, by writing under his hand addressed to the Chancellor resign his office and shall cease to hold his office on the acceptance by the Chancellor of such resignation.

(8) Subject to the provisions of this Act, the emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as may be determined by the Statutes.

(9) The Vice-Chancellor shall not be entitled to the benefit of any pension, insurance or provident fund constituted under section 32:

Provided that when any teacher or other employee of any University or any affiliated or recognized college is appointed as Vice-Chancellor, he shall be allowed to continue to contribute to the provident fund to which he is a subscriber and the contribution of the University shall be limited to what it had been contributing immediately before his appointment as Vice-Chancellor.

(10) In any of the following circumstances (of the existence of which the Chancellor shall be the sole judge), the Chancellor may appoint any suitable person to the office of Vice-Chancellor for a term not exceeding six months as he may specify:-

(a) where a vacancy in the office of Vice-Chancellor occurs or is likely to occur by reason of leave or any other cause, not being resignation or expiry of term on which a report is forthwith made by the Registrar to the Chancellor ;

(b) where a vacancy in the office of Vice-Chancellor occurs and it cannot be conveniently and expeditiously filled in accordance with the provisions of sub-sections (1) to (5);

(c) any other emergency :

Provided that the Chancellor may from time to time, extend the term of appointment of any person to the office of Vice-Chancellor under this sub-section, so however, that the total term of such appointment including the term fixed in the original order does not exceed one year.

(11) Until a Vice-Chancellor appointed under sub-section (1) or sub-section (5) or sub-section (10) assumes office, the Pro-Vice-Chancellor, if any, or the senior-most Professor of the University shall discharge the duties of the Vice-Chancellor as well.

(12) If in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor wilfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him, or if it otherwise appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interest of the University, the Chancellor may, after making such inquiry as he deems proper, by order, remove the Vice-Chancellor.

(13) During the pendency or in contemplation, of any inquiry referred to in sub-section (12), the Chancellor may order that till further orders:-

(a) such Vice-Chancellor shall refrain from performing the functions of the office of Vice-Chancellor but shall continue to get the salary and University residence.

(b) the functions of the office of the Vice-Chancellor shall be performed by the person specified in the order.

12. (1) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall:-

(a) exercise general supervision and control over the affairs of the University including the constituent colleges and the Institutes maintained by the University and its affiliated and recognized colleges;

(b) give effect to the decisions of the authorities of the University ;

(c) in the absence of the Chancellor, preside over any convocation of the University;

(d) be responsible for the maintenance of discipline in the University;

Powers and
Functions of the
Vice-Chancellor

(e) be responsible for holding and conducting the University examinations properly and at due times and for ensuring that the results of such examinations are published expeditiously and that the academic session of the University starts and ends on proper dates.

(2) He shall be an *ex-officio* member and Chairman of the Executive Council, Academic Council and the Finance Committee.

(3) He shall have the right to speak in and otherwise to take part in the meeting of any other authority or body of the University but shall not by virtue of this sub-section be entitled to vote.

(4) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure the faithful observance of the provisions of this Act, the Statutes and the Regulation and he shall, without prejudice to the powers of the Chancellor [under sections 10 and 68] possess all such powers as may be necessary in that behalf.

(5) The Vice-Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened meetings of the Executive Council, the Academic Council and the Finance Committee:

Provided that he may delegate this power to any other officer of the University.

(6) Where any matter (other than the appointment of teacher of the University) is of urgent nature requiring immediate action and the same could not be immediately dealt with by any officer or the authority or other body of the University empowered by or under this Act to deal with it, the Vice-Chancellor may take such action as he may deem fit and shall forthwith report the action taken by him to the Chancellor and also to the officer, authority, or other body who or which in the ordinary course would have dealt with such matter:

Provided that no such action shall be taken by the Vice-Chancellor without the previous approval of the Chancellor if it would involve a deviation from the provisions of the Statutes or the Ordinances:

Provided further that if the officers, authority or other body is of the opinion that such action ought not to have been taken, it may refer the matter to the Chancellor who may either confirm the action taken by the Vice-Chancellor or annul the same or modify it in such manner, as he thinks fit and thereupon, it shall cease to have effect or, as the case may be, take effect in the modified form, so however, that such annulment or modification shall be without prejudice to the validity of anything previously done by or under the order of the Vice-Chancellor:

Provided also that any person in the service of University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section, shall have the right to appeal against such action to the Executive Council within three months from the date on which decision on such action is communicated to him and thereupon, the Executive Council may confirm, modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor.

(7) Nothing in sub-section (6) shall be deemed to empower the Vice-Chancellor to incur any expenditure not duly authorised and provided for in the budget.

(8) Where the exercise of the power by the Vice-Chancellor under sub-section (6) involves the appointment of an officer such appointment shall terminate an appointment being made in the prescribed manner or on the expiration of a period of six months from the date of the order of the Vice-Chancellor, whichever is earlier.

(9) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers as may be laid down by the Statutes and the Ordinances.

Pro-Vice-
Chancellor

13. (1) The senior-most professor of the University shall be appointed as Pro-Vice-Chancellor by the Vice Chancellor with prior approval of the Chancellor :

Provided that if any enquiry is pending against senior most professor or he is punished for any financial, administrative or moral misconduct the next senior most Professor will be considered for the post of Pro Vice-Chancellor having no such disabilities.

(2) The Pro-Vice-Chancellor shall assist the Vice Chancellor in respect of such matters as may be specified by the Vice Chancellor in this behalf from time to time, and shall in the absence of the Vice Chancellor preside over the meetings of the University. He shall not be entitled for any other emoluments than his entitlement as professor for the post of Pro Vice Chancellor.

(3) The Pro-Vice-Chancellor shall have such other powers as may be conferred upon him by or under this Act or the Statutes.

14. (1) The Registrar shall be a whole-time officer of the University.

The Registrar

(2) The Registrar shall be appointed by the State Government from amongst the senior-most administrative officers of the State or Registrar, Deputy Registrar and Assistant Registrar, separate service cadre created by rules made in this regard by notification in official Gazette by the State Government.

He may be appointed in accordance with, and his conditions of service may be governed by such rules.

(3) The Registrar shall have the power to authenticate records on behalf of the University.

(4) The Registrar shall be responsible for the due custody of the records and the common seal of the University. He shall be the ex-officio Secretary of the Executive Council, the Academic Council and the Admissions Committee and of every Selection Committee for appointment of teachers of the University and shall be bound to place before these authorities all such information as may be necessary for transaction of their business. He shall also perform such other duties required, as may be prescribed by the Statutes and Ordinances, from time to time, by the Executive Council or the Vice-Chancellor but he shall not, by virtue of this sub-section be entitled to vote.

(5) The Registrar shall not be offered nor shall he accept any remuneration for any works in the University save such as may be provided for by rules made under sub-section (2)

(6) While the Registrar is for any reason unable to act or the office of Registrar is vacant, all the duties of the office shall be performed by such person as may be appointed by the Vice-Chancellor, until the Registrar resumes his duties or, as the case may be, the vacancy is filled.

15. (1) There shall be a Finance Officer for the University, who shall be appointed by the State Government and his remuneration and allowances shall be paid by the University.

The Finance Officer

(2) The Finance Officer shall be responsible for presenting the budget (annual estimates) and the Statement of Accounts to the Executive Council and also for drawing and disbursing funds on behalf of the University.

(3) He shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of the Executive Council but shall not be entitled to vote.

(4) The Finance Officer shall have the duty-

(a) to ensure that no expenditure, not authorised in the budget, is incurred by the University (otherwise than by way of investment) ;

(b) to disallow any proposed expenditure which may contravene the provisions of this Act or the terms of any Statutes or Ordinances;

(c) to ensure that no other financial irregularity is committed and to take steps to set right any irregularities pointed out during audit;

(d) to ensure that the property and investments of the University are duly preserved and managed.

(e) to ensure that internal audit is conducted atleast twice in a financial year, and shall take all corrective measures and actions subject to the provisions of this Act as required by the such audit report.

(5) The Finance Officer shall have access to and may require the production of such records and documents of the University and the furnishing of such information pertaining to its affairs as in his opinion may be necessary for the discharge of his duties.

(6) All contracts shall be entered into and signed by the Finance Officer on behalf of the University.

(7) Other powers and functions of the Finance Officer shall be such as may be prescribed.

The Controller
of Examination

16. (1) The Controller of Examinations shall be a whole-time officer of the University.

(2) The Controller of Examinations shall be appointed by the State Government and his remuneration and allowances shall be paid by the University.

(3) The Controller of Examinations shall be responsible for the due custody of the records pertaining to his work. He shall be *ex officio* Secretary of the Examinations Committee of the University and shall be bound to place before such Committee all such information as may be necessary for transaction of its business. He shall also perform such other duties as may be prescribed by the Statutes and Ordinances, as required from time to time, by the Executive Council or the Vice-Chancellor but he shall not, by virtue of this sub-section, be entitled to vote. He may require, from any office or institute of the University, the production of such return or the furnishing of such information as may be necessary for the discharge of his duties.

(4) The Controller of Examination shall have administrative control over the employees working under him.

(5) Subject to the superintendence of the Examination Committee, the Controller of Examination shall conduct the examination and make all other arrangements therefor and be responsible for the due execution of all processes connected therewith.

(6) The Controller of Examinations shall not be offered nor shall he accept any remuneration for any work in the University, except in accordance with the order of the State Government.

(7) While the Controller of Examination is for any reason unable to act or the office of Controller of Examination is vacant, all the duties of the office shall be performed by such person as may be appointed by the Vice-Chancellor, until the Controller of Examination resumes his duties or the vacancy is filled, as the case may be.

Other Officers

17. The powers of officers of the University other than the Chancellor, the Vice-Chancellor, the Pro-Vice-Chancellor, Finance Officer, the Registrar and the Controller of Examinations shall be such as may be laid down by the Statutes and the Ordinances.

CHAPTER-V

AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

Authorities of the
University

18. The following shall be the authorities of the University-

- (a) the Executive Council;
- (b) the Academic Council;
- (c) the Finance Committee;
- (d) Faculties
- (e) such other authorities as may be declared by the Statutes to be authorities of the University.

Constitution of
the Executive
Council

19. (1) The Executive Council shall consist of-

- (a) the Vice-Chancellor who shall be the Chairman thereof;
- (b) the Pro-Vice-Chancellor, if any;

- (c) the Deans of two Faculties by rotation in the manner prescribed;
- (d) one member from amongst the Professors or Associate Professors belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes and one member from amongst the Professors or Associate Professors belonging to Other Backward Classes of citizen nominated by the Chancellor;
- (e) three persons of academic eminence - one person each from the field of music, art and culture to be nominated by the Chancellor;
- (f) one retired judge of the High Court of Judicature at Allahabad to be nominated by the Chancellor;
- (g) Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, Culture Department of State Government, as the case may be, or his nominee not below the rank of Special Secretary;
- (h) Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, Higher Education Department of State Government, as the case may be, or his nominee not below the rank of Special Secretary;
- (i) Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, Finance Department of the State Government, as the case may be, or his nominee not below the rank of Special Secretary.

(2) The term of office of members mentioned in:-

- (i) clauses (c) and (d) of sub section(1) shall be one year.
- (ii) clause (e) or clause (f) of sub-section (1) shall be three years.

(3) No person shall be a member of the Executive Council for more than two consecutive terms.

(4) Notwithstanding anything in sub-section (1) no person shall be nominated as a member of the Executive Council unless he is a graduate or an eminent person from the field of music, art and culture.

(5) A person shall be disqualified for being chosen as and for being, a member of the Executive Council if he or his relative accepts any remuneration for any work in or for the University or any contract for the supply of goods to or for the execution of any work for the University:

Provided that nothing in this sub-section shall apply to the acceptance of any remuneration by a teacher as such or for any duties performed in connection with an examination conducted by the University or for any duties as Superintendent or Warden of a training unit or any hall or hostel or proctor or teachers for any duties of a similar nature in relation to the University.

Explanation :- The expression "relative" shall have the same meaning as defined in clause (77) of section 2 of the Companies Act, 2013 (Act no. 18 of 2013).

20. (1) The Executive Council shall be the principal executive body of the University and subject to the provisions of this Act, shall have the following powers namely:-

- (i) to hold and control the property and funds of the University;
- (ii) to acquire or transfer any movable or immovable property on behalf of the University;
- (iii) to make, amend or repeal Statutes and Ordinances;
- (iv) to administer any funds placed at the disposal of the University for specific purposes;
- (v) to prepare the budget of the University;
- (vi) to award scholarship, fellowships, bursaries, medals and other rewards in accordance with the Statutes and Ordinances;
- (vii) to appoint teachers and other employees of the University and to define their duties and conditions of their service, and to provide for the filling of temporary casual vacancies in their posts;

Powers and
Functions of
the Executive
Council

(viii) to fix the fees, emoluments and travelling and other allowances of the examiners;

(ix) to admit any college to the privileges of affiliation or recognition or enlarge the privileges of any college already affiliated/recognised or withdraw or curtail any such privilege;

(x) to arrange for and direct the inspection of Institutes, affiliated, recognized or constituent colleges, halls, hostels and other places of residence of students;

(xi) to direct the form and use of common seal of the University;

(xii) to regulate and enforce discipline among officers and members of the teaching, administrative and other staff of the University in accordance with the Statutes and the Ordinances;

(xiii) to manage and regulate the finances, accounts, investments, property, business and all others administrative affairs of the University and for that purpose, to appoint such agents as it may think fit;

(xiv) to invest any money belonging to the University (including any income from trust and endowed property) and purchase immovable property as per the directions of the State Government.

(xv) to provide the buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed for carrying on the work of the University ;

(xvi) to enter into, vary, carry out and cancel contracts on behalf of the University;

(xvii) to appoint Committees for admissions and examinations in the manner as provided in Statutes;

(xviii) to regulate and determine all other matters concerning the University as well as Institutes, constituent, affiliated and recognized colleges in accordance with this Act, the Statutes and the Ordinances.

(2) No immovable property of the University shall, except with the prior sanction of the State Government, be transferred (except by way of letting from month to month in the ordinary course of management) by the Executive Council by way of mortgage, sale, exchange, gift or otherwise nor shall any money be borrowed, or advance taken on the security thereof except as condition of receipt of any grant-in-aid of the University from the State Government or, with the previous sanction of the State Government, from any other person.

(3) No expenditure in respect of which approval of the State Government is required by this Act or the Statutes or Regulations shall be incurred except with such approval previously obtained, and no post shall be created either in the University or in any Institute or constituent college maintained by the University except with the prior approval of the State Government [or except in accordance with any general or special order of the State Government]:

Provided that in case of self finance courses no such approval of the State Government is required.

(4) The Executive Council may with the prior approval of the State Government create supernumerary post of teacher of the University with a view to enabling a teacher who is for the time being holding a responsible position of national importance in India or abroad in educational administration or other similar assignments to retain his lien and seniority as such teacher and also to continue to earn increments in his pay scale during the period of his assignment and to contribute towards provident fund and earn retirement benefits, if any, in accordance with Statutes:

Provided that no salary shall be payable to such teacher by the University for the period of such assignment.

(5) The pay and other allowances to various categories of the employees of the University or of any Institute or constituent college or affiliated or recognized college shall be such as may be approved by the State Government.

(6) The Executive Council shall not exceed the limits of recurring and non-recurring expenditure to be incurred in each financial year fixed by the Finance Committee.

(7) The Executive Council shall not take any action in regard to the number, qualifications and emoluments of teachers, and the fees payable to examiners, except after considering the advice of the Academic Council and the Boards of Faculties concerned.

(8) The Executive Council may, subject to any conditions laid down in the Statutes delegate such of its powers as it deems fit to an officer or any other authority of the University or to a Committee appointed by it.

21. (1) The Executive Council shall meet atleast once in three months except in emergency meeting, and not less than fifteen days' notice shall be given to the members thereof of such meeting.

Meeting of
the Executive
Council

(2) One-third of the total number of members of the Executive Council shall form the quorum at any meeting thereof.

(3) Decision shall be taken by the majority in the meeting of the Executive Council.

22. (1) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances:-

Academic
Council

(a) shall have the control and general regulation of, and be responsible for the maintenance of standard of instruction education and research carried on or imparted in the University;

(b) may advise the Executive Council on all academic matters including matters relating to examinations conducted by the University; and

(c) shall have such powers and duties as may be conferred or imposed upon it by the Statutes.

(2) Subject to the provisions of this Act or the Statutes, the Academic Council shall in addition to all other powers vested in it, have the following powers, namely:—

(i) to report on any matter referred on delegated to it by the Executive Council;

(ii) to make recommendations to the Executive Council with regard to the creation, abolition or classification of teaching posts in the University and the qualification, emoluments and duties attached thereto;

(iii) to formulate and modify or revise schemes for organization of the faculties and to assign to such faculties their respective subjects and also to report to the Executive Council as the expediency of the abolition or sub-division of any faculty or the combination of one faculty with another;

(iv) to make arrangement through regulations for the instruction and examination of persons other than those enrolled in the University;

(v) to promote research with the University and to require, from time to time, to report on such research;

(vi) to consider proposals submitted by the faculties;

(vii) to recognize diplomas and degrees of other Universities and Institutions and to determine their equivalence in relation to the diplomas and degrees of the University;

(viii) to fix, subject to any conditions accepted by the Executive Council, the time, mode and conditions of competitions for fellowship, scholarships and other prizes and to award the same;

(ix) to make recommendations to the Executive Council with regards to the appointment of examiners and, if necessary their removal and the fixation of their fees, emoluments and travelling and other expenses;

(x) to make recommendation to Executive Council for arrangement of the conduct of examination and to fix dates for holdings them;

(xi) to declare the result of the various examinations or to, appoint committees or officers to do so, and to make recommendations regarding the conferment of grant of degrees, honours, diplomas, licenses, titles and marks of honours;

(xii) to award stipends, scholarships, medals and prizes and to make other awards in accordance with the regulations and such other conditions as may be attached to the awards;

(xiii) to publish list of prescribed or recommended text books and to publish syllabus of the prescribed courses of study;

(xiv) to prepare such form and registers as are from time to time, prescribed by regulations; and to perform in relation to academic matters, all such duties and to do all such acts as may be necessary for the proper carrying out of provisions of this Act.

(3) The Academic Council shall consist of the following members, namely:-

(i) the Vice-Chancellor;

(ii) the Deans of all Faculties, if any ;

(iii) all Heads of Departments of the University and where there is no department in a subject in the University, the senior-most teacher from affiliated colleges representing that subject from the Faculty concerned;

(iv) all Professors of the University who are not Heads of Departments;

(v) the Principals of constituent colleges and the Directors of Institutes, if any ;

(vi) two Professors from each constituent college, if any, by rotation in order of seniority to be determined in the manner prescribed ;

(vii) one Principal of affiliated or recognized colleges (if any) to be selected by rotation in the manner prescribed;

(viii) three teachers to be selected in the manner prescribed;

(ix) the Dean of Students Welfare ;

(x) the Librarian of the University; and

(xi) three persons of academic eminence – one person each from the field of Art, Music and Culture to be nominated by the Chancellor:

Provided that if there is no member belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or the Other Backward Classes of citizens in the Academic Council constituted under this sub-section, the Vice-Chancellor may nominate one member belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes and One member belonging to Other Backward Classes from an affiliated college or the University.

(4) Subject to the provisions of section 61 the term of office of members other than *ex officio* members shall be three years.

(5) Unless a proposal having academic importance has been recommended by the Academic Council, the Executive Council shall not take a decision thereon and if the Executive Council disagrees with the recommendations of the Academic Council, it shall refer the proposal back to the Academic Council with reasons for the disagreement and the decision of Executive Council shall be final.

23. (1) The Academic Council shall meet at least once in three months except in emergency meeting and not less than fifteen days' notice shall be given to the members thereof of such meeting. Meeting of the Academic Council
- (2) One-third of the total number of members of the Academic Council shall form the quorum at any meeting thereof.
- (3) Decision shall be taken by the majority in the meeting of the Academic Council.
24. (1) The Finance Committee shall consist of :- The Finance Committee
- (a) the Vice-Chancellor;
- (b) the Additional Chief Secretary or Principal Secretary, or Secretary Culture to the State Government, as the case may be;
- (c) the Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, Finance Department of the State Government, as the case may be;
- (d) the Pro- Vice-Chancellor, if any ;
- (e) the Registrar;
- (f) the Controller of Examination;
- (g) one member from the Executive Council to be nominated by the Executive Council;
- (h) the Finance Officer or Finance Controller (whosoever is senior) shall also be the Secretary of the Committee.
- (2) A member referred to in clause (b) or clause (c) of sub-section (1) may instead of attending any meeting of the Finance Committee himself, depute an officer not below the rank of a Special Secretary to the State Government and an officer so deputed shall also have the right to vote.
- (3) The Finance Committee shall advise the Executive Council on matters relating to the administration of property and funds of the University. It shall, having regard to the income and resources of the University, fix limits for the total recurring and non-recurring expenditure for the ensuing financial year and may, for any special reasons, revise during the financial year the limits of expenditure so fixed and the limits so fixed shall be binding on the Executive Council.
- (4) The Finance Committee shall have such other powers and duties as may be conferred or imposed on it by this Act or the Statutes.
- (5) Unless a proposal having financial implication has been recommended by the Finance Committee, the Executive Council shall not take a decision thereon and if the Executive Council disagrees with the recommendations of the Finance Committee, it shall refer the proposal back to the Finance Committee with reasons for the disagreement and the decision of Executive Council shall be final.
25. (1) The Finance Committee shall meet at least once in three months except in emergency meeting, and not less than fifteen days' notice shall be given to the members thereof of such meeting. Meeting of the Finance Committee
- (2) One-third of the total number of members of the Finance Committee shall form the quorum at any meeting thereof.
- (3) Decision shall be taken by the majority in the meeting of the Finance Committee.
26. Notwithstanding anything provided by this Act, the meeting of the Finance Committee shall not take place in the absence of members of the Finance Committee as provided in clauses (b) and (c) of sub-section (1) of section 24. Bar of the Meeting of Finance Committee

The Faculties	<p>27. (1) The University shall have such Faculties as may be prescribed.</p> <p>(2) Each Faculty shall comprise such departments of teaching as may be prescribed and each Department shall have such subjects of study as may be assigned to it by the Act.</p> <p>(3) There shall be a Dean of each Faculty who shall be appointed from amongst the Professors of the University by rotation in order of seniority and shall hold office for three years:</p> <p>Provided that if there is no Professor in the Faculty, the office of Dean shall be held by Associate Professors and if there are no Associate Professors, then by other teachers in that Faculty, by rotation in order of seniority.</p> <p>(4) The Dean shall be the Chairman of the Faculty and be responsible for:-</p> <p>(a) the organization and conduct of the teaching and research work of departments comprised in the Faculty; and</p> <p>(b) the due observance of the Statutes, Ordinances and Regulations relating to the Faculty.</p> <p>(5) In each Department of teaching in the University, there shall be a Head of the Department whose appointment shall be regulated by Statutes:</p> <p>Provided that every person holding the office of Head of Department immediately before the date of commencement of this sub-section shall, subject to the provisions of this Act and the Statutes, continue to hold office on the same terms and conditions as he held immediately before the said date.</p> <p>(6) The Head of Department shall be responsible to the Dean for the organization of teaching in the Department and have such other powers and duties as may be provided in the Ordinances.</p> <p>(7) There shall be constituted in accordance with the provisions of the Ordinances, Boards of Studies in respect of different subjects of study and more than one subject may be assigned to one Board of Studies.</p>
Other Authorities	<p>28. The constitution powers and duties of other authorities of the University shall be such as may be prescribed.</p>

CHAPTER-VI

APPOINTMENT AND CONDITIONS OF SERVICE OF TEACHERS

Appointment of Teachers	<p>29. (1) Subject to the provisions of this Act,-</p> <p>(a) Assistant Professor, Associate Professor, Professor and all other teaching staff of the University shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of a Selection Committee constituted in the manner as prescribed by the Statutes.</p> <p>(b) Assistant Professor, Associate Professor, Professor and all other teaching staff of the affiliated or recognized colleges (other than a college maintained exclusively by the State Government) shall be appointed by the Management of the affiliated or recognized college, as the case may be, on the recommendation of Selection Committees constituted in the manner as prescribed by the Statutes.</p> <p>(c) Director of an Institute or the Principal of constituent college shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of a Selection Committee in the manner as prescribed by the Statutes.</p> <p>(d) The Principal of an affiliated or recognized college (other than those appointed by the management of the affiliated or recognized college) shall be appointed on the recommendation of a Selection Committee in the manner as prescribed by the Statutes.</p> <p>(e) The Selection Committee for the post of Librarian, a Deputy Librarian and Assistant Librarian shall be the same as that of a Professor, Associate Professor and Assistant Professor.</p>
----------------------------	--

(2) Qualification, experience and conditions of service of Assistant Professor, Associate Professor, Professor, Director of an Institute, Principal of constituent recognized and affiliated colleges and all other teaching staff under sub section (1) of this section shall be such as prescribed by the statutes.

30. Subject to the provision of this Act, all teaching staff appointed under sub-section (1) of section 29 shall be promoted in such manner and have such length of service and qualifications as prescribed by the Statutes.

Personal promotion to Teachers of University
Contract of Appointment of Teachers of the University

31. (1) Except as otherwise provided by Statutes, no salaried officer and teacher of the University shall be appointed except under a written contract which shall be consistent with the provisions of this Act, the Statutes and Ordinances.

(2) The original contract shall be lodged with the Registrar and a copy thereof shall be furnished to the officer or teacher concerned.

(3) In the case of an officer or teacher employed before the commencement of this Act all contracts in force immediately before such commencement shall, to the extent of any inconsistency with the provisions of this Act or the Statutes or the Ordinances, be deemed to have been modified by the said provisions.

32. The University and every affiliated or recognized college shall constitute, for the benefit of its officers, teachers and other employees, in such manner and subject to such conditions as may be specified by general or special order by the State Government such pension, insurance or provident fund as it may deem fit including a fund from which such teachers or their heirs, as the case may be, shall be paid pension or gratuity in the event of their incurring disability, wound or death in connection with the discharge of their duties as Superintendent of a Centre or invigilator as defined in Uttar Pradesh Universities (Provisions regarding Conduct of Examinations) Act, 1965.

Pensions, Provident Fund etc.

33. (1) The conditions regarding payment of remuneration to the teachers of the University or for an affiliated or an recognized college for any duties performed in connection with any examination conducted by an Indian University or anybody other than Public Service Commission shall be such as may be prescribed.

(2) No teacher of the University or of an affiliated or recognized college shall at any time, hold more than one remunerative office carrying duties other than teaching or duties connected with any examination.

Limits of Additional Remunerative Work Permissible to Teachers

Explanation :- The words 'remunerative office' include the offices of Warden or Superintendent of a Hall or Hostel, Proctor, Games Superintendent, Librarian, and any office in the National Cadet Corps, National Sports Organisation, National Social Service Scheme and University Employment Exchange.

34. (1) Any dispute arising out of a contract of appointment referred to in section 31 or section 32 shall be referred to a Tribunal of Arbitration as prescribed by the Statutes.

Tribunal of Arbitration

(2) The decision of the Tribunal shall be final and binding on the parties and shall not be questioned in any Court.

(3) The Tribunal of Arbitration shall have the power:-

(i) to regulate its own procedure;

(ii) to order re-instatement of the officer or teacher concerned; and

(iii) to award salary to the officer or teacher concerned, after deducting therefrom such income which such officer or teacher might have otherwise derived during his suspension, removal, dismissal or termination from service.

(4) Nothing contained in any law for the time being in force relating to arbitration shall apply to arbitration under this section.

(5) No suit or proceedings shall lie in any Court in respect of any matter which is required by sub-section (1) to be referred to the Tribunal of Arbitration:

Provided that every decision of the Tribunal referred to in sub-section (2) shall be executable by the lowest Court having territorial jurisdiction, as if it were a decree of that Court.

CHAPTER-VII

AFFILIATION AND RECOGNITION

Affiliation and
withdrawal of
Affiliation of
Colleges

35. (1) The Executive Council may, with the previous sanction of the Chancellor admit any college which fulfils such conditions of affiliation as may be prescribed, to the privileges of affiliation or enlarge the privileges of any college already affiliated or subject to the provisions of sub-section (8) withdraw or curtail any such privilege:

Provided that if in the opinion of the Chancellor a college substantially fulfils the conditions of affiliation, he may sanction grant of affiliation to that college or enlarge the privileges thereof in specific subjects for one term of a course of study on such terms and conditions as he may deem fit:

Provided further that unless all the prescribed conditions of affiliation are fulfilled by a college, it shall not admit any student in the first year of the course of study for which affiliation is granted under the foregoing proviso after one year from the date of commencement of such affiliation.

(2) It shall be lawful for an affiliated college to make arrangement with any other affiliated college situated in the same local area, or with the University for co-operation in the work of teaching or research.

(3) Except as provided by this Act, the management of an affiliated college shall be free to manage and control the affairs of the college and be responsible for its maintenance and upkeep, and its Principal shall be responsible for the discipline of its students and for the superintendence and control over its staff.

(4) Every affiliated college shall furnish such reports returns and other particulars as the Executive Council or the Vice-Chancellor may call for.

(5) The Executive Council shall cause every affiliated college to be inspected from time to time at intervals not exceeding five years by one or more persons authorised by it in that behalf, and a report of the inspection shall be made to the Executive Council.

(6) The Executive Council may direct an affiliated college so inspected to take such action as may appear to it to be necessary within such period as may be specified.

(7) The privileges of affiliation of a college which fails to comply with any direction of the Executive Council under sub-section (6) or to fulfil the conditions of affiliation may, after obtaining a report from the Management of the college, be withdrawn or curtailed by the Executive Council in accordance with the provisions of the Statutes.

(8) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) and (7), if the Management of an affiliated college has failed to fulfil the conditions of affiliation, the State Government may, after obtaining a report from the Management and the Vice-Chancellor, withdraw or curtail the privileges of affiliation.

(9) Any institution, whose application is rejected by the University, may prefer an appeal to the State Government within thirty days from the receipt of the order of rejection, which may either allow the appeal or reject it. The State Government shall also have power to review the matter of application of a college in cases where complaints have been received by it with respect to the irregularities committed by the college.

<p>36. (1) Recognized colleges shall be such as may be named by the Statutes.</p> <p>(2) It shall be lawful for a recognized college to make arrangements with any other recognized college or colleges or with the University for co-operation in the work of teaching.</p> <p>(3) The conditions of recognition of a recognized college shall be prescribed by the Statutes or imposed by the Executive Council but no recognized college shall except with the previous approval of the Chancellor, be authorised to impart instruction for post-graduate degrees:</p> <p>Provided that if a recognized college is not authorized to grant recognition for imparting instruction for post-graduate degrees, such college may, with the approval of the Chancellor, be granted affiliation by any University referred to in section 35 anything in section 5 notwithstanding and thereupon, such college shall cease to be a recognized college for post graduate course.</p> <p>(4) Except as provided by this Act, the Management of a recognized college shall be free to manage and control the affairs of the college and be responsible for its maintenance and upkeep. The Principal of every such college shall be responsible for the discipline of its students and for the superintendence and control over its staff.</p> <p>(5) The Executive Council shall cause every recognized college to be inspected from time to time at intervals not exceeding three years by one or more persons authorised by it in this behalf and a report of the inspection shall be made to the Executive Council.</p> <p>(6) The recognition of a recognized college may with the previous sanction of the Chancellor be withdrawn by the Executive Council, if it is satisfied after considering any explanation furnished by the management that it has ceased to fulfil the conditions of its recognition or that it persists in making default in the performance of its duties under this Act or in the removal of any defect in its work pointed out by the Executive Council.</p>	<p>Recognition and Withdrawal of Recognition of Colleges</p>
<p>37. A person shall be disqualified from being chosen as and for being a member of the Management of an affiliated or recognized college (other than a college maintained exclusive be the State Government or by local authority), if he or his relative accepts any remuneration for any work in or for such college or accepts any contract for the supply of goods to or for the execution of any work for such college:</p> <p>Provided that nothing in this section shall apply to the acceptance of any remuneration by a teacher as such or for any duties performed in connection with an examination conducted by the college or for any duties as Superintendent or Warden of a training unit or of a hall or hostel of the college or as a Proctor or tutor or for any duties of a similar nature in relation to the college.</p> <p><i>Explanation.</i>—The term ‘relative’ shall have the same meaning as assigned to it in the Explanation to section 19.</p>	<p>Disqualification from Membership of Management</p>
<p>38. (1) The State Government shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as it may direct, of any affiliated and recognised college, including buildings, laboratories and equipments thereof and also of the examinations teaching and other work conducted or done by it, or cause an inquiry to be made in respect of any matter connected with the administration and finances of such college.</p> <p>(2) Where the State Government decides to cause an inspection or inquiry to be made under sub-section (1), it shall inform the Management of the same and a representative appointed by the Management and where the Management fails to appoint a representative, the Principal of the college may be present at such inspection or inquiry and shall have the right to be heard on behalf of the Management but no legal practitioner shall appear, plead or act on behalf of the college at such inspection or inquiry.</p>	<p>Inspection etc of Affiliated and Recognized Colleges</p>

	<p>(3) The person or persons appointed to inspect or inquire under sub-section (1) shall have all the powers of a Civil Court while trying a suit under the Code of the Civil Procedure, 1908 (Act no. 5 of 1980), for the purpose of taking evidence on oath and of enforcing the attendance of witnesses and compelling production of documents and material objects, and shall be deemed to be a Civil Court within the meaning of sections 480 and 482 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) and any proceedings before him or them shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of 1860).</p> <p>(4) The State Government may communicate to the Management, the result of such inspection or inquiry and may issue direction as to the action to be taken and the Management shall forthwith comply with such directions.</p> <p>(5) The State Government shall inform the Vice-Chancellor about any communication made by it to the Management under sub-section (4).</p> <p>(6) The State Government may, at any time call for any information from the Management or Principal of an affiliated or recognized college in connection with such inspection or inquiry.</p>
Constituent Colleges	<p>39. (1) Constituent colleges shall be such as may be named by the Statutes.</p> <p>(2) The Principal of a constituent college shall be responsible for the discipline of the students enrolled in the college and shall have general control over the ministerial and inferior staff allotted to the college. He shall exercise such other powers as may be prescribed by the Statutes.</p>
Autonomous College	<p>40. (1) The University may grant in the manner prescribed, to an affiliated or recognized college which satisfies the conditions prescribed in that behalf, the privileges of varying, for the students receiving instruction in such college, the courses of study prescribed by the University, and holding examination in the courses so varied.</p> <p>(2) The extent to which the courses may be varied and the manner of holding the examination conducted by such college shall be determined in each case by the University.</p> <p>(3) Such a college shall be declared in the manner prescribed as an autonomous college.</p>
Institutes	<p>41. The University may establish one or more Institutes which will organize and conduct teaching and research in any subject.</p>
Bar of Charging Any Donation etc. for Admission to a College	<p>42. No person connected with the Management of an affiliated or recognized college and no Principal or other teacher or other employee thereof shall directly or indirectly take or receive or cause to be taken or received any contribution donation, fees or any other payment of any sort, either in cash or in kind except the fees at the rates laid down in the Regulations, from or on behalf of any pupil (as a condition for granting him admission to or permitting him after such admission to continue in such college).</p>
Contribution and Donations to Colleges	<p>43. Where a contribution or donation either in cash or in kind is taken or received by any affiliated or recognized college, the contribution or donation so received shall be utilised only for the purpose for which it was given to it.</p>
Halls, Hostels and Delegacy of the University	<p>44. (1) The halls and hostels of the University shall be:-</p> <p>(a) those maintained by the University and named in the Statutes;</p> <p>(b) those recognised by the Executive Council on such general or special conditions as may be provided by the Ordinances.</p> <p>(2) The warden and other staff of the halls and hostels shall be appointed in the manner provided by the Ordinances.</p> <p>(3) There shall be a Delegacy to supervise the arrangements relating to the residence, health and welfare of students of the University not residing in or under the care of any constituent college or hall. The constitution, power and functions of the Delegacy shall be prescribed by the Statutes.</p>

CHAPTER -VIII
STATUTES, ORDINANCES, REGULATIONS
AND ANNUAL REPORTS

45. Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any matter relating to the University and shall in particular, provide for:- Statutes

(a) the constitution power and functions of the authorities of the University;

(b) the election, appointment and term of office of the members of the authorities of the University including the continuance in office of the first members and the filling in of vacancies in their membership and all other matters relating to these authorities for which it may be necessary to provide;

(c) the powers and duties of the officers of the University;

(d) the classification and recruitment (including minimum qualifications and experience) of Principals and other teachers of the University and of affiliated and recognized colleges, the maintenance by them of their annual academic progress report, the rules of conduct to be observed by them and their emoluments and other conditions of service (including provisions relating to compulsory retirement);

(e) the recruitment (including minimum qualifications and experience) and their emoluments and other conditions of service (including provisions relating to compulsory retirement) of persons appointed to other posts under the University;

(f) the constitution of a pension or provident fund or the establishment of an insurance-scheme for the benefit of officers, teachers and other employees of the University;

(g) the institution of degrees and diplomas;

(h) the conferment of honorary degrees;

(i) the withdrawal of degrees and diplomas certificates and other academic distinctions;

(j) the establishment, amalgamation, abolition and reorganization of Faculties;

(k) the establishment of departments of teaching in the Faculties;

(l) the establishment, abolition and reorganization of halls and hostels maintained by the University;

(m) the conditions under which colleges and other institutions may be admitted to the privileges of affiliation or recognition by the University and the conditions under which any such privilege may be withdrawn;

(n) the recognition of the Management of any affiliated or recognized college;

(o) the number, minimum qualification and experience, the emoluments and other conditions of service including the age of retirement and provisions relating to compulsory retirement of salaried employees (not being teachers) of the University or an affiliated or recognized college, and the preparation and maintenance of records of their service;

(p) the institution of scholarships, fellowships, studentships, medals and prizes;

(q) the qualifications, conditions and manner of registration of graduates and the maintenance of a register of registered graduates.

(r) the holding of convocation, if any; and

(s) all other matters which by this Act are to be or may be provided for by the Statutes.

Statutes, how to be made

46. (1) The First Statutes of the University shall be made by the State Government by the notification in the *Gazette*.

(2) The Executive Council may, from time to time, make new or additional Statutes or may amend or repeal the same from time to time with assent of the Chancellor.

(3) The Executive Council shall not propose the draft of any Statute affecting the status, power or constitution of any authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing its opinion upon the proposal and any opinion so expressed shall be in writing and shall be submitted to the Chancellor.

(4) Every new Statute or addition to a Statute or any amendment or repeal of Statute shall be submitted to the Chancellor who may assent to it or withhold his assent therefrom or remit it to the Executive Council for further consideration.

(5) A Statute passed by the Executive Council shall have effect from the date it is assented to by the Chancellor or from such later date as may be specified by him.

(6) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-section the State Government may, in order to implement any decision taken by it in the interest of learning, teaching or research or for the benefit of teachers, students or other staff or on the basis of any suggestion or recommendation of any regulatory body or the State or National Education Policy, with regard to the qualifications of the teachers require the Executive Council to make new or additional Statutes or amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1) within a specified time and if the Executive Council fails to comply with such requirement the State Government may with the assent of the Chancellor, make new or additional Statutes or amend or repeal the Statutes referred to in sub-section(1).

(7) The Executive Council shall have no power to amend or repeal the Statutes made by the State Government under sub-section (6) or to make new or additional Statutes inconsistent with such Statutes.

Ordinances

47. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for any matter which is to be provided for by this Act or the Statutes or is to be or may be provided for by the Ordinances.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the Ordinances shall provide for the following matters, namely :-

(a) the admission of students to the University and their enrolment and continuance as such;

(b) the course of study to be laid down for all degrees, diplomas and other academic distinctions of the University;

(c) the conditions under which students shall be admitted to the examinations, degrees and diplomas of the University and shall be eligible for the award of such degrees and diplomas;

(d) the conditions of the award of scholarships, fellowships studentships, degrees, medals, and prizes;

(e) the conditions of residence of students at the University and the management of halls and hostels maintained by the University;

(f) the recognition and management of halls and hostels not maintained by the University;

(g) the maintenance of discipline among the students of the University;

(h) all matters relating to correspondence courses and private candidates;

(i) the formation of parent-teachers association;

(j) the fees which may be charged by the University or by an affiliated or recognized college for any purpose;

(k) the conditions subject to which persons may be recognized as qualified to give instructions in halls and hostels;

- (l) the conditions and mode of appointment and the duties of examining bodies, examiners, moderators, invigilators and tabulators;
- (m) the conduct of examinations;
- (n) the remuneration and allowances including travelling allowance or any daily allowances to be paid to persons employed on the business of the University; and
- (o) all other matters which by this Act or the Statutes are to be or may be provided for by the Ordinances.

48. (1) The first Ordinances shall be made by the State Government. Thereafter, Ordinances shall be made by the Executive Council with consent of the Chancellor.

Ordinance,
how to be
made

(2) In the case of the existing University, for so long as the First Ordinances are not so made, the Ordinances of the University of Lucknow as in force immediately before the commencement of this Act, insofar as they are not inconsistent with the provisions of this Act, shall apply, subject to such adaptations and modifications as may be necessary or expedient, as the State Government may, by notification in the *Gazette* provide:

Provided that for the purpose of making the provisions of any such Ordinances in consonance and accordance with the provisions of this Act and the Statutes, the Chancellor, may by order, make such adaptations and modifications of the Ordinances whether by way of repeal, amendment or addition as may be necessary or expedient and provide that the Ordinances shall, from such date as may be specified in the order, have effect subject to the adaptations and modifications so made and any such adaptation or modification shall not be called in question.

(3) Save as otherwise provided in this section, the Executive Council may, from time to time, make new or additional Ordinances or may amend or repeal the Ordinances referred to in sub-sections (1) and (2):

Provided that no Ordinance shall be made:-

(a) affecting the admission of students or prescribing examinations to be recognized as equivalent to the University examinations or the further qualifications mentioned in sub-section (1) of section 45 for admission to the degree courses of the University unless a draft of the same has been proposed by the Academic Council; or

(b) affecting the conditions and mode of appointment and duties of examiners and the conduct or standard of examinations or any course of study except in accordance with a proposal of the Faculty or Faculties concerned unless a draft of such Ordinance has been proposed by the Academic Council; or

(c) affecting the number, qualifications and emoluments of teachers of the University or the income or expenditure of the University unless a draft of the same has been approved by the State Government.

(4) The Executive Council shall not have power to amend any draft proposed by the Academic Council under sub-section (3) but may reject it or return to the Academic Council for reconsideration either in whole or in part, together with any amendments which the Executive Council may suggest.

(5) All Ordinances made by the Executive Council shall have effect from such date as it may direct and shall be consented by the Chancellor.

(6) The Chancellor may, at any time signify to the Executive Council his disallowance of such Ordinances other than those referred to in clause (c) of the proviso to sub-section (3) and from the date of receipt by the Executive Council of intimation of such disallowance, such Ordinances shall become void.

- (7) The Chancellor may direct that the operation of any Ordinance other than those referred to in clause (c) of the proviso to sub-section (3) shall be suspended until he has an opportunity of exercising his power of disallowance. An order of suspension under this sub-section shall cease to have effect on the expiration of one month from the date of such order.
- Regulations 49. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes and the Ordinances, an authority or other body of the University may make Regulations:-
- laying down the procedure to be followed at its meeting and the number of members required to form the quorum;
 - providing for all matters which by this Act, the Statutes or the Ordinances are to be provided by Regulations; and
 - providing for any other matter solely concerning such authority or body and not provided for by this Act, the Statutes and the Ordinances.
- (2) The Regulations made by any authority or other body of the University shall provide for the giving of notice to its members of the dates of meetings and the business to be transacted thereat and for the keeping of record of the proceedings of such meetings.
- (3) The Executive Council may direct any authority or other body of the University to cancel or to amend in such form as may be specified in the direction, any Regulation made by such authority or body and such authority or body shall thereupon cancel or amend the Regulation accordingly:
- Provided that any authority or other body of the University, if dissatisfied with any such direction, may appeal to the Chancellor who may after obtaining the views of the Executive Council pass such orders as he thinks fit.
- (4) The Academic Council may, subject to the provisions of the Ordinances, make Regulations providing for the course of study for any examination, degree or diploma of the University only after the Board of Faculty concerned has proposed a draft of the same.
- (5) The Academic Council shall not have power to amend or reject any draft proposed by the Board of Faculty under sub-section (4) but may return it to the Board for further consideration together with its own suggestions.
- Annual Report 50. The University shall prepare for each financial year, the annual report of the University in such form and containing such particulars as the Executive Council may specify, and it shall be submitted to the State Government.

CHAPTER -IX

FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

- University Funds, Accounts and Audit 51. (1) The University shall establish a fund to be called the University Fund.
- (2) The following shall form part of, or be paid into, the University Fund :-
- any contribution or grant by the State Government, the Central Government, or the University Grants Commission;
 - the income of the University from all source including income from fees and charges.
 - loans, gifts, donations, endowments, benefactions, bequests and other grants, if any, or transfers;
 - any sum borrowed from the banks with the permission of the State Government;
 - all moneys received by the University in any other manner or from any other source.

(3) The University Fund shall be kept in any Scheduled Bank as defined in the Reserve Bank of India Act, 1934 (Act no.2 of 1934) at the discretion of the Executive Council on the recommendations of Finance Committee.

(4) The funds of the University shall be applied towards the expenses of the University including expenses incurred in the exercise of its powers and discharge of its functions in such manner as may be prescribed.

(5) The annual accounts and balance-sheet of the University shall be prepared by the Finance Committee under the direction of the Executive Council and all money accruing to or received by the University from whatever source and all amounts disbursed or paid shall be entered in the accounts maintained by the University.

(6) A copy of the annual accounts and the balance-sheet shall be submitted to the State Government which shall cause the same to be audited.

(7) The audited annual accounts and the balance-sheet audited shall be printed and copies thereof shall, together with copies of the audit report, be submitted by the Executive Council to the State Government.

(8) The Executive Council shall also prepare, before such date as may be prescribed, the budget for the ensuing year.

(9) Every item of new expenditure above such amount as may be prescribed, which is proposed to be included in the budget shall be referred by the Executive Council to the Finance Committee which may make recommendations thereon.

(10) The Executive Council shall approve the budget finally after considering the recommendations, if any, of the Finance Committee.

(11) It shall not be lawful for the Vice-Chancellor or the Executive Council to incur any expenditure:-

(a) either not sanctioned in the budget, or in the case of funds granted to the University, subsequent to the sanction of the budget by the State Government or the Government of India or the University Grants Commission or any international organization or Foundation save in accordance with the terms of such grant :

Provided that notwithstanding anything in sub-section (7) of section 12, the Vice-Chancellor may, in the case of fire, flood, excessive rainfall or other sudden or unforeseen natural calamities and circumstances, incur non-recurring expenditure not exceeding rupees five lakhs not sanctioned in the budget and he shall immediately inform the State Government in respect of all such expenditure;

(b) on any litigation in opposition to any order of the Chancellor any or order of the State Government made under this Act.

(12) Subject to the provisions of this Act, all relevant financial rules of the State Government as laid down in the Financial Handbook shall be applicable.

52. (1) An officer specified in clauses (c) to (h) of section 9 shall be liable to surcharge for the loss, waste or misapplication of any money or property of the University if such loss, waste or misapplication is a direct consequence of his neglect or misconduct.

(2) The procedure of surcharge and the manner of recovery of the amount involved in such loss, waste or misapplication shall be such as may be prescribed.

CHAPTER-X

REGULATION OF AFFILIATED DEGREE COLLEGES

Regulation of
Affiliated
Degree
Colleges

53. (1) Regulation of Affiliated Degree Colleges shall be as prescribed by the Statutes.

(2) 'Property', in relation to an affiliated or recognized college, includes all property, movable and immovable belonging to or endowed wholly or partly for the benefit of the college, including lands, buildings (including hostels), works, library, laboratory, instruments, equipment, furniture, stationery, stores, automobiles and other vehicles if any, and other things pertaining to the college, cash on hand, cash at bank, investments, and book debts and all other rights and interests arising out of such property as may be in the ownership, possession, power or control of the college and all books of account, registers, and all other documents of whatever nature relating thereto, and shall also be deemed to include all subsisting borrowings, liabilities and obligations of whatever kind of the college.

(3) 'Salary' means the aggregate of the emoluments including dearness or any other allowance for the time being payable to a teacher or other employee after making permissible deductions.

Power of the
State
Government to
Issue Notice

54. If the State Government receives information in respect of any affiliated or recognized college (other than a college maintained exclusively by the State Government or a local authority):-

(i) that its Management has persistently committed wilful default in paying the salary of the teachers or other employees of the college by the twentieth day of the month next following the month in respect of which or any part of which it is payable; or

(ii) that its Management has failed to appoint teaching staff possessing such qualifications as are necessary for the purpose of ensuring the maintenance of academic standards in relation to the college or has appointed or retained in service any teacher in contravention of the Statute or Ordinances; or

(iii) that any dispute with respect to the right claimed by different persons to be lawful office-bearers of its Management has affected the smooth and orderly administration of the college; or

(iv) that its Management has persistently failed to provide the college with such adequate and proper accommodation, library, furniture, stationery, laboratory, equipment, and other facilities, as are necessary for efficient administration of the college; or

(v) that its Management has substantially diverted, misapplied or misappropriated the property of the college to the detriment of the college;

then in such situations it may call upon the Management to show-cause why an order under section 55 should not be made :

Provided that where it is in dispute as to who are the office-bearers of the Management, such notice shall be issued to all persons claiming to be so.

Authorised
Controller

55. (1) If the State Government after considering the explanation, if any, submitted by the Management under section 54 is satisfied that any ground mentioned in that section exists, it may by order, authorise any person (hereinafter referred to as the Authorised Controller) to take over, for such period not exceeding two years as may be specified, the Management of the college and its property to the exclusion of the Management and whenever the Authorised Controller so takes over the Management, he shall, subject only to such restrictions as State Government may impose, have in relation to the Management of the college and its property all such powers and authority as the Management would have if the college and its property were not taken over under this sub-section :

Provided that if the State Government is of opinion that it is expedient so to do in order to continue to secure the proper Management of the college and its property, it may, from time to time, extend the operation of the order for such period, not

exceeding one year at a time, as it may specify, so however, that the total period of operation of the order, including the period specified in the initial order under this sub-section does not exceed five years:

Provided further that if at the expiration of the said period of five years there is no lawfully constituted Management of the college the Authorised Controller shall continue to function as such, until the State Government is satisfied that the Management has been lawfully constituted:

Provided also that the State Government may at any time, revoke an order made under this sub-section.

(2) Where the State Government while issuing a notice under section 54 is of opinion, for reasons to be recorded, that immediate action is necessary in the interest of the college, it may suspend the Management, which shall thereupon cease to function, and make such arrangement as it thinks proper for managing the affairs of the college and its property till further proceedings are completed:

Provided that no such order shall remain in force for more than six months from the date of actual taking over the Management in pursuance of such order:

Provided further that in computation of the said period of six months, the time during which the operation of the order was suspended by any order of the High Court passed in exercise of jurisdiction under Article 226 of the Constitution of India or any period during which the Management failed to show cause in pursuance of the notice under section 54, shall be excluded.

(3) Nothing in sub-section (1) shall be construed to confer on the Authorised Controller the power to transfer any immovable property belonging to college (except by way of letting from month to month in the ordinary course of management or to create any charge thereon) except as a condition of receipt of any grant-in-aid of the college from the State Government or the Government of India.

(4) Any order made under this section shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other enactment of the State of Uttar Pradesh or in any instrument relating to the management and control of the college or its property:

Provided that the property of the college and any income there from shall continue to be applied for the purposes of the college as provided in any such instrument.

(5) The Director of Culture may give the Authorised Controller such directions as he may deem necessary for the proper management of the college or its property, and the Authorised Controller shall carry out those directions.

56. Nothing contained in section 55 shall apply to a college established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India.

Section 55 not applied to minority colleges

57. (1) Where an order has been passed under section 55 in respect of a college, every person in whose possession or custody or under whose control any property of the college may be, shall deliver the property to the Authorised Controller forthwith.

Duty to deliver possession to the Authorised Controller

(2) Any person who on the date of such order has in his possession or under his control any books or other documents relating to the college or to its property, shall be liable to account for the said books and other documents to the Authorised Controller and shall deliver them up to him or to such person as the Authorised Controller may specify in this behalf.

(3) The Authorised Controller may apply to Collector for delivery of possession and control over the college or its property or any part thereof and the Collector may take all necessary steps for securing possession to the Authorised Controller of such college or property, and in particular may use or cause to be used such force as may be necessary.

Offence and Penalties

58. (1) Whoever contravenes the provisions of section 42 shall on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees or both.

(2) Any person who:-

(a) having in his possession, custody or control any property of a college in respect of which an order has been made under section 55, wrongfully withholds such property from the Authorised Controller appointed under that section or from any person authorised by him in that behalf; or

(b) wrongfully obtains possession of any property of such college; or

(c) wilfully withholds or fails to furnish the Authorised Controller or any person specified by him as required by sub-section (2) of section 57 any books or other documents which may be in his possession custody or control; or

(d) wilfully obstructs any person from duly carrying out all or any of the provisions of this Act;

shall, on conviction be punished with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with both :

Provided that the Court trying any offence under clause (a) or clause (b) of this sub-section may at the time of convicting the accused person order him to deliver up or refund within a time to be fixed by the Court, any property wrongfully withheld or wrongfully obtained or any books or other documents wilfully withheld.

Cognizance by Courts

59. No Court shall take cognizance of an offence punishable under section 58 except with the previous sanction of the State Government.

Offences by registered societies

60. (1) If the person committing the offence under section 58 is a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (Act no. 21 of 1860) the society as well as every person in charge of and responsible to the society for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this section shall render any such person liable to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where any offence under this Act has been committed by a registered society and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of or that the commission of offence is attributable to any neglect on the part of any member of the society, such member shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

CHAPTER-XI

CASUAL VACANCIES, DIRECTION BY

THE STATE GOVERNMENT AND REFERENCE TO THE CHANCELLOR

Filling of casual vacancies

61. (1) Any casual vacancy among the members, other than *ex-officio* members, of any authority or body of the University shall be filled in the same manner in which the members whose vacancy is to be filled up was chosen, and the person filling the vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been a member.

(2) A person who is a member of any authority of the University as a representative of another body, whether of the University or outside, shall retain his seat on such authority for so long as he continues to be the representative of such body.

<p>62. No act or proceeding, of any authority or body or committee of the University shall be invalid merely by reason of:-</p> <p>(a) any vacancy or defect in the constitution thereof; or</p> <p>(b) some person having taken part in the proceedings who was not entitled to do so; or</p> <p>(c) any defect in the election, nomination or appointment of a person acting as member thereof; or</p> <p>(d) any irregularity in its procedure not affecting the merits of the case.</p>	<p>Proceeding not to be invalidated by vacancies, etc.</p>
<p>63. The membership of any person of any authority or body of the University shall suo-moto cease to exist upon the ground that such person has been convicted of an offence involving moral turpitude or upon the ground that he has been guilty of scandalous conduct or has behaved in a manner unbecoming of a member of the University and may upon the same grounds withdraw from any person any degree or certificate conferred or granted by the University.</p>	<p>Removal from membership of the University</p>
<p>64. (1) A copy of any receipt, application, notice, order, proceeding, or resolution of any authority or committee of the University or other documents in possession of the University or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar, shall be received as prima facie evidence of such receipt, application, notice, order, proceedings, resolution or document or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transactions therein recorded where the original thereof would, if produced, have been admissible in evidence.</p>	<p>Mode of proof of University record</p>
<p>(2) No officer or servant of the University shall in any proceeding to which the University is not a party, be required to produce any document, register or other record of the University the contents of which can be proved under sub-section (1) but a certified copy, or to appear as a witness to prove the matters and transactions recorded therein unless by order of the court made for special cause.</p>	
<p>65. (1) Where a decision of the Management of an affiliated or recognized college to dismiss, remove or to reduce a teacher in rank or to punish him in any other manner or to terminate his services, has not been approved by the Vice-Chancellor or where an order of suspension of such teacher has been stayed, revoked or modified by the Vice-Chancellor in accordance with the provisions of this Act and the Management has committed default in paying the salary of such teacher which became due to him in consequence of the Vice-Chancellor's order, the Vice-Chancellor may pass an order requiring the management to pay the amount of salary as may be specified in the order and during the period of suspension, may also require the management to pay the suspension allowance at the rate of one-half of the salary payable, if the said amount has not been paid.</p>	<p>Power of Vice-Chancellor to enforce his order against Management</p>
<p>(2) In any such case as is referred to in sub-section (1), the Vice-Chancellor may also order reinstatement of the teacher concerned subject to such terms and the conditions as he thinks fit.</p>	
<p>(3) The amount of salary or suspension allowance required to be paid under an order of the Vice-Chancellor under sub-section (1) shall, on a certificate issued by him to that effect, be recoverable by the Collector as arrears of land revenue.</p>	
<p>(4) Every order of the Vice-Chancellor under sub-section (2) shall be executable by the lowest Civil Court having territorial jurisdiction as if it were a decree of that Court.</p>	
<p>(5) No suit shall lie against any Management or teacher in respect of any matter for which a relief can be granted by the Vice-Chancellor under this section.</p>	
<p>66. No suit or other legal proceedings shall lie against the State Government or the Director of Culture or the Authorised Controller or the University or any officer, authority or body thereof in respect of anything done or purported or intended to be done in pursuance of the Act or the rules or the Statutes or the Regulations made thereunder.</p>	<p>Bar of suit</p>

Power of State Government to issue directions	<p>67. (1) The State Government shall have power to issue directions to the University, from time to time, as may be required for compliance of the provisions of this Act and the regulations.</p> <p>(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the State Government may issue directions, when it requires, in regard to the following matters, namely:-</p> <p>(a) fees and charges;</p> <p>(b) raising of funds and borrowing money;</p> <p>(c) creation of posts and appointments;</p> <p>(d) revision of pay-scales and up-gradation of scales.</p>
Reference to the Chancellor	<p>68. If any question arises whether any person has been duly appointed as or is entitled to be member of any authority or other body of the University, or whether any decision of any authority or officer of the University (including any question as to the validity of a Statute or Regulation), not being a Statute or Ordinance made or approved by the State Government or by the Chancellor, is in conformity with this Ordinance or the Statutes or the Regulations made thereunder, the matter shall be referred to the Chancellor and the decision of the Chancellor thereon shall be final :</p> <p>Provided that no reference under this section shall be made:-</p> <p>(a) more than three months after the date when the question could have been raised for the first time;</p> <p>(b) by any person other than an authority or officer of the University or a person aggrieved :</p> <p>Provided further that the Chancellor may in exceptional circumstances:-</p> <p>(a) act suo motu or entertain a reference after the expiry of the period mentioned in the preceding proviso;</p> <p>(b) where the manner referred relates to a dispute about the election and the eligibility of the person so elected is in doubt, pass such orders as he thinks just and expedient.</p>

CHAPTER-XII

ENROLMENT, DEGREE, DIPLOMA AND OTHERS

Qualification for Enrolment of the Students	<p>69. (1) No student shall be eligible for admission to the course of study for a degree unless,-</p> <p>(a) he has passed:-</p> <p>(i) the Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh, or of the University or Board incorporated by any law for the time being in force; or</p> <p>(ii) any examination or any degree conferred by any other University, being an examination or degree recognized by the University as equivalent to the Intermediate Examination or to a degree of the University; and</p> <p>(b) he possesses such further qualifications, if any, as may be specified in the Regulations.</p> <p>(2) The conditions under which students may be admitted to the Diploma courses of the University shall be prescribed by the Regulations.</p> <p>(3) The University shall have the power to recognize (for the purposes of admission to a course of study for a degree), as equivalent to its own degree, any degree conferred by any other University or, as equivalent to the Intermediate Examination of any Indian University, any examination conducted by any other authority.</p> <p>(4) Any student whose work or conduct is unsatisfactory may be removed from the University or an Institute or a constituent college or an affiliated or associated college in accordance with the provisions of the Ordinances.</p>
---	--

70. The Executive Council may, on the recommendation of the Academic Council, institute and confer such degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions as may be prescribed.

Degree, Diploma and other Academic Distinctions

71. If, on the recommendation of the Academic Council, not less than two thirds of the members of the Executive Council recommend that an honorary degree or other academic distinction be conferred on any person on the ground that he is, in their opinion, by reason of eminent position and attainments a fit and proper person to receive such degree or other academic distinction and the recommendation is confirmed by the Chancellor, the Executive Council may confer on such person the honorary degree or other academic distinction so recommended without requiring him to undergo any examination.

Honorary Degree

72. (1) The Chancellor may, on the recommendation of the Executive Council, withdraw any distinction, degree, diploma or privilege conferred on or granted to any person who has been convicted by a Court of law for an offence involving moral turpitude or if he has been guilty of gross misconduct, by a resolution passed by majority of the total membership of the Executive Council and by a majority of not less than two-thirds of the members of the Executive Council present and voting.

Withdrawal of Degree or Diploma

(2) No action under sub-section (1) shall be taken against any person unless he has been given an opportunity to show cause against the action proposed to be taken.

(3) The resolution so passed by the Executive Council shall take effect immediately and the copy of the same shall be sent to the person concerned.

CHAPTER-XIII TRANSITORY PROVISION

73. (1) Subject to the provisions of this Act, every person holding office as an Officer of the existing University on the date immediately before the commencement of this Act shall continue to hold office on the same terms and conditions until the expiration of his term of office.

Continuation of existing Officers of the University

(2) The State Government shall, soon after the commencement of this Act or as soon as practicable preferably within period of one month, appoint the full time Registrar and the Finance Officer of the University.

74. (1) Every authority of an existing University shall, as soon as may be after the commencement of this Act, be constituted in accordance with the provisions of this Act and every person holding office as member of such authority immediately before the commencement of this Act shall, on the date of such commencement, cease to be such member.

Transitional Provisions for Constitution of authorities

(2) Until any authority of the University is constituted under sub-section (1), the State Government may, by order direct from time to time by whom and in what manner the powers, duties and functions exercisable or dischargeable under this Act by any authority of University shall be exercised or discharged.

(3) Notwithstanding anything contained in section 11, the first Vice Chancellor shall be appointed by the State Government as soon as practicable after the enactment of this Act, for a period of not exceeding three year on such terms and conditions as the State Government thinks fit.

(4) Notwithstanding anything contained in this Act, the first Vice-Chancellor shall be assisted by the Advisory Committee consisting of not more than ten members having experience in the field of Higher Education, Academics (Art, Music and Culture), Administration, Constructions, Computer, Legal (a person retired from the post of District Judge) and Finance and other relevant fields required for the smooth functioning of the University, to be nominated by the Chancellor in consultation with State Government.

(5) It shall be the duty of first Vice-Chancellor:-

(a) to make arrangements for the constitution of other authorities of the University within six months after the date of his appointment;

(b) with previous approval of the Chancellor, to make additional Statutes, Ordinance or Regulations to provide for any matter not provided for by the first Statutes, Ordinance or Regulations.

(c) to constitute provisional authorities and bodies and on their recommendations to make rules providing for conducting the work of the University;

(d) with prior approval and control of the State Government to make such financial arrangements as may be necessary for better implementation of this Act or any part thereof to be brought in force;

(e) to appoint any committees as he may think fit to discharge such of his functions as he may direct; and

(f) generally to exercise all or any of the powers conferred on the Executive Council by or under the provisions of this Act.

(6) The tenure of the Advisory Committee, duties and powers the first Vice-Chancellor as provided in sub-section (4) and (5) of this section shall be co-terminus to his tenure as provided in sub-section (3) of this section.

CHAPTER-XIV

SUPPLEMENTARY PROVISIONS

Power of the
State
Government to
Remove
Difficulties

75. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by an order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent, with the provisions of this Act, as appear to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of two years from the date of commencement of this Act.

Committees

76. (1) The University may for the purpose of carrying out the provisions of the Act, constitute such committees as may be required by it.

(2) The Constitution of such committee, the term of office of its members and its powers and functions shall be such as may be prescribed.

Grievance
Removal
Machinery

77. Subject to the provisions of this Act, the Vice Chancellor may form an internal committee in such manner as provided in Statutes for collecting the facts related to grievance and will pass a speaking order within a stipulated time frame.

Miscellaneous

78. (1) Subject to the provision of this Act, until Statutes, Ordinance and Regulations are framed for the functioning of the University, the State Government rules regarding leave, disciplinary actions against teaching and non-teaching staff, promotion, financial transactions or any other matter, which is related to the University, shall be applicable.

(2) Every teaching and non-teaching post in the University shall be created with the prior permission of the State Government.

Repeal and
Savings

79. (1) The Government Order No.274/Four-2001-11(12)83 of Sanskriti Anubagh dated 18th April, 2001 and the Bhatkhande Rajya Sanskriti Vishwavidyalaya Ordinance, 2022 (U.P. Ordinance no. 1 of 2022) are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all appointments made, orders issued, degrees or diplomas conferred or certificates issued, privileges granted or other things done (including registration of graduates) under the aforesaid Government Order shall be deemed to have been respectively made, issued, conferred, granted or done under the corresponding provisions of this Act, and except as otherwise provided by or under this Act continue in force unless and until they are superseded by any

order made under this Act. All proceedings of the Selection Committee which took place before the commencement of this Act and all actions of the Management or actions taken on the basis of recommendation of such Selection Committees, where no orders of appointment on the basis thereof were passed before the commencement of this Act, shall notwithstanding that the procedure for selection has been modified by this Act, be deemed to have been valid but further proceeding in connection with such pending selections shall be taken in accordance with the provisions of this Act and be continued from the stage where they stood immediately before such commencement.

(3) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

There is a huge potential for the development of music and art in Uttar Pradesh. For students having special interest in music and art and those who want to adopt it as a professional career in future, there is a need for a conducive environment for the development of not only art, music and cultural activities in the State, but there is also a need to provide them with an option to choose art and music as a profession.

In order to provide opportunities for good education and training to the budding students by establishing infrastructure and facilities in the field of arts and music, and to adopt a pragmatic approach to basic education in courses related to art, music and related branches, it had been decided to establish and incorporate a teaching, research and extension University with a view to upgrade and reconstitute the existing Bhatkhande Music Institute Deemed University, Lucknow in the State of Uttar Pradesh to promote development of skills and physical aptitude in the students of art, culture and its related new dimensions for creating employment opportunities for the youth in this field and for matters connected therewith and incidental thereto.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Bhatkhande Rajya Sanskriti Vishwavidyalaya Ordinance, 2022 (U.P. Ordinance no. 1 of 2022) was promulgated by the Governor on January 6, 2022.

The Bhatkhande Sanskriti Vishwavidyalaya Bill, 2022 is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.